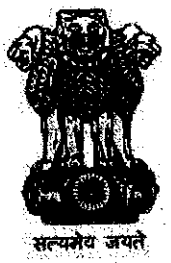

भारत सरकार

परिणाम बजट

2013 - 2014

जल संसाधन मंत्रालय

विषय सूची

अध्याय/पैरा सं.	विषय	पृष्ठ सं.
	कार्यकारी सार	1-3
I	मंत्रालय/विभाग के कार्यों, संगठनात्मक ढांचे के संबंध में संक्षिप्त परिचयात्मक टिप्पण, मंत्रालय/विभाग द्वारा क्रियान्वित किए गए प्रमुख कार्यक्रम/स्कीमों की सूची, इसका अधिदेश, लक्ष्य और नीतिगत ढांचा	4-10
II	परिव्ययों और परिणामों/लक्ष्यों का विवरण : वार्षिक योजना 2013-14	11-23
III	सुधारात्मक उपाय और नीतिगत प्रयास	24-26
IV	विगत निष्पादन की समीक्षा	27
V	समग्र वित्तीय समीक्षा	
	वित्त वर्ष 2012-13 में व्यय का रूझान	28-29
	बजट एक दृष्टि में	30-36
	उपयोग प्रमाण पत्र	37
VI	सांविधिक/स्वायत्त संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य निष्पादन की समीक्षा	
	सांविधिक निकाय :	
6.1.1-6.1.4	ब्रह्मपुत्र बोर्ड	38-39
6.2.1	रावी और व्यास जल अधिकरण	40
6.3.1	कावेरी जल विवाद अधिकरण	40
6.4.1-6.4.2	कृष्णा जल विवाद अधिकरण	41
6.5.1-6.5.2	वंसधारा जल विवाद अधिकरण	42
6.6.1	महादायी जल विवाद अधिकरण	43

	स्वायत्त निकाय (सोसाइटियां) :	
6.7.1-6.7.6	राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण	43-45
6.8.1-6.8.5	राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान	45-46
	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम:	
6.9.1-6.9.7	जल तथा विद्युत परामर्शी सेवाएं (भारत) लिमिटेड	47-49
6.10.1-6.10.5	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड	49-50

अनुलग्नक

I	**2011-12** में निष्पादन	51-65
II	2012-13 में निष्पादन	66-94
III	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और राष्ट्रीय परियोजना के विषय में सूचना	95-99
IV	XIवीं योजना परिव्यय की तुलना में जल संसाधन मंत्रालय के बजट का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण	100
V	XII वीं योजना परिव्यय की तुलना में वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु जल संसाधन मंत्रालय के बजट का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण	101

कार्यकारी सार

इस मंत्रालय का परिणाम बजट 2013-14 वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों में निहित व्यापक प्रारूप के अनुसार तैयार किया गया है । इस बजट में वित्त वर्ष 2011-12 में वास्तविक निष्पादन दर्शाते हुए वित्त बजट के वास्तविक पक्षों वित्त वर्ष 2012-2013 के प्रथम 9 माह तथा 2013-14 के दौरान लक्षित निष्पादन को रेखांकित किया गया है । इस बजट में मंत्रालय के विभिन्न पहलुओं को समाहित करते हुए निम्नलिखित अध्याय हैं :-

अध्याय

शामिल पहलू

I. यह मंत्रालय के कार्यों, संगठनात्मक ढांचा, आयोजना और नीतिगत ढांचे तथा मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों/स्कीमों का संक्षिप्त परिचय देता है । संक्षेप में भारत सरकार में जल संसाधन मंत्रालय जल के एक राष्ट्रीय संसाधन के रूप में समग्र विकास, संरक्षण और प्रबंधन तथा विभिन्न जल प्रयोगों के समन्वय सहित इस संबंध में समग्र राष्ट्रीय परिदृश्य और समन्वय हेतु नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करने के लिए जिम्मेदार है । केन्द्रीय मंत्री, राज्य मंत्री तथा सचिव के नियंत्रणाधीन मंत्रालय प्रशासन स्कन्ध, वित्त स्कन्ध और नौ विषयगत स्कन्धों के अंतर्गत गठित है । इस मंत्रालय के दो संबद्ध कार्यालय, सात अधीनस्थ कार्यालय, नौ सांविधिक निकाय, दो स्वायत्त निकाय (सोसायटीज) और दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं । ग्यारहवीं योजना अवधि के लिए इस मंत्रायल द्वारा कार्यान्वित/मॉनीटर किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों के अंतर्गत गतिविधियों को 13 केन्द्रीय क्षेत्र, और 05 राज्य क्षेत्र स्कीमों (सीएडीएवंडब्ल्यूएम की एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम 2008-09 से राज्य क्षेत्र में डाल दी गई है) में मिला दिया गया है ।

II. इसमें सारणीबद्ध प्रारूप है जिसे बजट प्राक्कलन के विवरण (एसबीई) के "ऊर्ध्वाधर संक्षेपण और क्षैतिज विस्तार" के रूप में देखा जा सकता है इसे व्यय बजट खंड II में शामिल किया गया है । इसका मुख्य उद्देश्य (वित्तीय) बजट 2013-2014 और परिणाम बजट 2013-2014 के बीच क्रमवार सामंजस्य स्थापित करना है । इस ब्यौरे में वित्तीय परिव्यय, प्रक्षेपित परिणाम और प्रक्षेपित/बजटीय परिणाम (मध्यम, आंशिक और अंतिम, जैसा भी मामला हो) शामिल हैं ।

III. इसमें मंत्रालय द्वारा किये गये सुधार उपाय और नीतिगत कार्यों तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी, वैकल्पिक वितरण तंत्र, सामाजिक और लिंग सशक्तीकरण प्रक्रिया व्यापक विकेन्द्रीकरण, पारदर्शिता इत्यादि जैसे क्षेत्रों में अंतरवर्ती परिणाम और अंतिम परिणामों से किस तरह इन्हें जोड़ा जाये, का विवरण दिया गया है ।

IV. इसमें अंतर के कारणों से वास्तविक निष्पादन का स्कीमवार विश्लेषण; अलग-अलग कार्यक्रमों/स्कीमों के क्षेत्र और उद्देश्यों की व्याख्या, 2011-12 के दौरान तथा 2012-13 की तीसरी तिमाही तक वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियों का ब्यौरा दर्शाया गया है ।

V. इसमें हाल के वर्षों में बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों की तुलना में व्यय की समग्र प्रवृत्तियों को समाहित करते हुए वित्तीय समीक्षा दी गई है । इस अध्याय में राज्यों और कार्यान्वयन अभिकरणों के पास बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों और खर्च न हुई बकाया राशि की स्थिति का ब्यौरा दिया गया है ।

VI. इस अध्याय में इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणधीन सांविधिक/स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निष्पादन की समीक्षा दी गई है ।

1. संघ मंत्रिमंडल द्वारा 6 अप्रैल, 2011 को राष्ट्रीय जल मिशन को दिये गए अनुमोदन की अनुपालना करते हुए एक मिशन सचिवालय की स्थापना की गई है । वर्तमान में विशेष सचिव, जल संसाधन मंत्रालय इसके मिशन निदेशक हैं और उनके निर्देशन में इसमें कार्य किया जा रहा है । राष्ट्रीय जल मिशन दस्तावेज में परिकल्पित आठ सलाहकार समूहों/समितियों का गठन किया गया है ।
2. जल संसाधन मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय केन्द्रीय जल आयोग मुख्य केन्द्रों पर जलवैज्ञानिक प्रेक्षणों से संबंधित विशिष्ट गतिविधियॉं, अभिज्ञात परियोजनाओ, विशेषत: पूर्वोत्तर क्षेत्र में, का सर्वेक्षण और अन्वेषण, जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना, डिजाइन और मूल्यांकन तथा बाढ़ पूर्वानुमान में राज्यों की सहायता करता है । केन्द्रीय जल आयोग अपने विभिन्न मानीटरिंग निदेशालयों और क्षेत्र संरचनाओं के माध्यम से चयनित चालू वृहद, मध्यम और विस्तार, पुनरूद्धार एवं आधुनिकीकरण (ईआरएम) सिंचाई परियोजनाओं की सामान्य मानीटरिंग करता है। आयोग, मुख्य रूप से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन स्कीमों के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर रही वृहद, मध्यम और चुनिंदा लघु सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन की मानीटरिंग करता है । मानीटरिंग के एक भाग के रूप में सीडब्ल्यूसी के अधिकारियों द्वारा नियमित आधार पर इन परियोजनाओं का दौरा किया जाता है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलापों की मानीटरिंग करने के लिए इस मंत्रालय के कमान क्षेत्र विकास स्कंध के अधिकारियों द्वारा कमान क्षेत्र विकास परियोजनाओं का भी दौरा किया जाता है ।
3. जल संसाधन मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड के मुख्य कार्यकलापों में भू जल प्रबंधन अध्ययन, भूजल प्रबोधन, भूभौतिकी अध्ययन, अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग, कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन अध्ययन, दूर संवेदी अध्ययन, जल गुणवत्ता विश्लेषण, अल्पकालिक जल आपूर्ति, अन्वेषण, भूजल विकास का विनियमन, जन जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि शामिल हैं ।

4. मंत्रालय के अंतर्गत अन्य संगठन जैसे केन्द्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधानशाला, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान अन्य बातों के साथ-साथ जल संसाधन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्यकलापों में जुटे हुए हैं । मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जल एवं विद्युत परामर्शी सेवाएं (भारत) लिमिटेड और नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड कार्य कर रहे हैं । रावी और ब्यास जल अधिकरण, कावेरी जल विवाद अधिकरण, कृष्णा जल विवाद अधिकरण, वंसधारा जिल विवाद अधिकरण और महादायी जल विवाद अधिकरण अंतर-राज्य जल विवादों का समाधन करने के लिए कार्य कर रहे हैं । ब्रह्मपुत्र बोर्ड जल संसाधनों के स्थायी विकास के लिए ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिन में कार्य कर रहा है ताकि बाढ़ नियंत्रण और तटकटाव पर बल देते हुए अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके ।
5. संबंधित क्रियान्वयन अभिकरणों के साथ नियमित आवधिक व्यय समीक्षा बैठकों के माध्यम से मंत्रालय द्वारा विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र स्कीमों के संबंध में वित्तीय और वास्तविक प्रगति की मानीटरी की जाती है । राज्य क्षेत्र स्कीमों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राज्य के जल संसाधन/सिंचाई/बाढ़ नियंत्रण सचिवों के साथ बैठकें की जाती हैं ।

अध्याय-1

मंत्रालय/विभाग के कार्यों, संगठनात्मक ढाचे के संबंध में संक्षिप्त परिचयात्मक टिप्पण, मंत्रालय/विभाग द्वारा क्रियान्वित किए गए प्रमुख कार्यक्रम/स्कीमों की सूची, इसका अधिदेश, लक्ष्य और नीतिगत ढांचा

परिचय

1.1 जल संसाधन मंत्रालय, जल के विभिन्न उपयोग में समन्वय स्थापित करने के साथ ही राष्ट्रीय संसाधन के रूप में जल के पूर्ण विकास, संरक्षण और प्रबंधन, तथा इससे संबंधित संपूर्ण राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य और समन्वय स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है ।

1.2 कार्य नियमों के आबंटन के अनुसार इस मंत्रालय के कार्य इस प्रकार हैं ;

1) राष्ट्रीय संसाधन के रूप में जल का विकास, संरक्षण और प्रबंधन; जल के विविध उपयोगों के संबंध में जल आयोजना का समग्र राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तथा समन्वय ।
2) राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ।
3) सामान्य नीति, तकनीकी सहायता, अनुसंधान और विकास प्रशिक्षण तथा बहुउद्देशीय, वृहद, मध्यम, लघु तथा आपातिक सिंचाई कार्यों सहित सिंचाई से संबंधित सभी मामले; नौवहन तथा जलविद्युत के लिए हाइड्रोलिक संरचाएं; नलकूप तथा भूजल अन्वेषण तथा दोहन; भूजल संसाधनों की सुरक्षा तथा परिरक्षण; सतही और भूजल का संयुक्त उपयोग, कृषि प्रयोजना के लिए सिंचाई, जल प्रबंधन, कमान क्षेत्र विकास; जलाशय एवं जलाशय अवसादन का प्रबंधन; बाढ़ (नियंत्रण) प्रबंधन, जल निकास, सूखारोधन; जल जमाव और समुद्र-तट कटाव समस्याएं; बांध सुरक्षा ।
4) अंतर्राज्जीय नदियों तथा नदी घाटियों का विनियमन और विकास । स्कीमों, नदी बोर्डों के माध्यम से अधिकरणों के पंचाटों का कार्यान्वयन ।
5) जल कानून, विधान
6) जल गुणवत्ता आकलन ।
7) केन्द्रीय जल इंजीनियरी सेवा (समूह क) का संवर्ग नियंत्रण एवं प्रबंधन ।
8) जल संसाधन विकास तथा प्रबंधन, जल निकास और बाढ़ नियंत्रण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन, आयोग तथा सम्मेलन ।
9) अंतर्राष्ट्रीय जल कानून
10) भारत तथा पड़ोसी देशों की साझी नदियों से संबंधित मामले, बांग्लादेश के साथ संयुक्त नदी आयोग, सिन्धु जल संधि 1960; स्थाई सिन्धु आयोग ।
11) जल संसाधन विकास के क्षेत्र में द्विपक्षीय तथा बाहा सहायता एवं सहयोग कार्यक्रम ।

1.3 मंत्रालय के उपर्युक्त कार्य इसके निम्न संगठनों/संस्थाओं द्वारा किए जाते हैं :

संबद्ध कार्यालय

1. केन्द्रीय जल आयोग
2. केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला

अधीनस्थ कार्यालय

1. केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केन्द्र
2. केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड
3. फरक्का बैराज परियोजना
4. गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग
5. बाण सागर नियंत्रण बोर्ड
6. सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति
7. ऊपरी यमुना नदी बोर्ड

सांविधिक निकाय

1. ब्रह्मपुत्र बोर्ड
2. बेतवा नदी बोर्ड
3. नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण
4. तुंगभद्रा बोर्ड
5. रावी और व्यास जल अधिकरण
6. कावेरी जल विवाद अधिकरण
7. कृष्णा जल विवाद अधिकरण
8. वंशधारा जल विवाद अधिकरण
9. महादायी जल विवाद अधिकरण

स्वायत्त निकाय (सोसाइटी)

1. राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
2. राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

1. जल एवं विद्युत परामर्शी सेवा (भारत) लिमिटेड
2. राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड

1.4 यह मंत्रालय 2012-13 के दौरान 13 केन्द्रीय क्षेत्र, और 5 राज्य क्षेत्र स्कीमों का कार्यान्वयन और निगरानी कर रहा है । नीचे केन्द्रीय क्षेत्र स्कीमों का संक्षिप्त सिंहावलोकन दिया गया है :

1.4.1 जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास : इस स्कीम का उद्देश्य एक जल संसाधन प्रणाली का विकास करना और इसे शीघ्रतिशीघ्र प्रचालनात्मक बनाना है । जल संसाधनों का प्रबंधन एक अत्यधिक जटिल कार्य है जिसमें आंकड़ा प्राप्ति, अंकीय मॉडलिंग, इष्टतमीकरण, आंकड़ा वेयर हाउसिंग और सामाजिक-आर्थिक, पर्यावरणीय और विधिक मुद्दों सहित बहुविषयक क्षेत्र शामिल हैं । मानव जीवन में जल की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए जल प्रणालियों के बेहतर डिजाइन और अधिकतम उपयोग किए जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में एक युक्तिसंगत विश्लेषण किया जाना चाहिए जो कि इस दृष्टिकोण पर आधारित हो कि सभी संबंधित कारणों और प्रभावों पर विचार किया जाए और विभिन्न विकल्पों का क्रमबद्ध मूल्यांकन किया जाए । जल संसाधन सूचना प्रणाली संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ।

1.4.2 जल विज्ञान II परियोजना : 1995-2003 की अवधि के दौरान कार्यान्वित जल विज्ञान परियोजना, चरण-I (एच पी-I) का उद्देश्य जल वैज्ञानिक सूचना प्रणाली (एचआईएस) के विकास हेतु सांस्थानिक व्यवस्थाओं, तकनीकी क्षमताओं तथा सुविधाओं में सुधार करना था । एच पी-I के अनुवर्तन स्वरूप जल संसाधनों की आयोजना तथा प्रबंधन से संबंधित सार्वजनिक तथा निजी सभी संभावित प्रयोक्ताओं द्वारा एचआईएस के निरंतर एवं प्रभावी उपयोग का विस्तार एवं संवर्धन करने के उद्देश्य से जल विज्ञान परियोजना चरण-II (एच पी-II) आरंभ की गई है जिससे 13 राज्यों तथा 8 केन्द्रीय अभिकरणों में बढ़ी हुई उत्पादकता तथा लागत प्रभावी जल संबंधी निवेशों में वृद्धि हुई ।

1.4.3 जल संसाधन विकास स्कीम का अन्वेषण : इसमे दो संघटक उदाहरणार्थ "एनडब्ल्यूडीए द्वारा नदी संपर्क प्रस्तावों का अन्वेषण" तथा "सीडब्ल्यूसी द्वारा जल संसाधनों/बहु उद्देशीय स्कीमों का अन्वेषण" शामिल है । इस स्कीम का उद्देश्य सर्वेक्षण, क्षेत्र अन्वेषण, जल के अंतरबेसिन अंतरण संबंधी स्कीमों अंत: राज्य संपर्कों की व्यवहार्यता पूर्व/व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआरएस) और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआरएस) तैयार करने से संबंधित क्रियाकलापों को करना तथा उपरोक्त प्रयोजनों को प्राप्त करने के लिए

आकस्मिक, अनुपूरक अथवा प्रेरक माने जाने वाले अन्य अध्ययनों तथा क्रियाकलापों को करना ।

1.4.4 जल क्षेत्र के लिए अनुसंधान और विकास कार्यक्रम : इस स्कीम के उद्देश्य हैं- (i) देश की जल संसाधन संबंधी समस्याओं का व्यावहारिक समाधान ढूंढ़ना और मौजूदा सुविधाओं की कुशलता में सुधार करने के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकी और अभियंत्रण विधियों में सुधार करना तथा प्रक्रियाओं, विशेषकर, अनुसंधान अध्ययनों को शुरू करना, (ii) अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से सामंजस्य बनाये रखने के लिए राष्ट्र स्तरीय प्रमुख संगठनों/संस्थाओं की अनुसंधान सुविधाओं का सृजन करना/उनका उन्नयन करना, और (iii) जल क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं द्वारा शुरू किए जाने वाले अनुसंधान कार्य में सहायता करना।

1.4.5 राष्ट्रीय जल अकादमी : इस स्कीम में ऐसे क्रियाकलाप शामिल होंगे जो कि जल संसाधन विकास, विशेषकर एकीकृत नदी बेसिन आयोजना और प्रबंधन के क्षेत्र में राज्य और केन्द्रीय संगठनों में जल संसाधन पेशवरों के प्रशिक्षण से संबंधित हैं ।

1.4.6. सूचना, शिक्षा एवं संचार : विभिन्न जल संबंधी मुद्दों का समाधान करने के लिए एक समन्वित प्रयास पर उचित बल देते हुए एक संपूर्णतावादी दृष्टिकोण से जल संसाधन के विकास एवं प्रबंधन के महत्व के संबंध में विभिन्न लक्ष्य समूहों के बीच जागरूकता सृजित करने के उद्देश्य से XIवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु 83.00 करोड़ रूपये के परिव्यय से सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) स्कीम शुरू की गई है । स्कीम के उद्देश्य निम्नानुसार हैं :

I. देश के त्वरित, समान, आर्थिक विकास के लिए सभी पणधारियों के सक्रिय सहयोग से इस मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने हेतु देश के जल संसाधनों के इष्टतम स्थायी विकास, गुणवत्ता को बनाए रखने एवं कुशल उपयोग के संबंध में जागरूकता फैलाना ।
II. आपसी सहयोग और प्रबंधन में समग्र आयोजना एवं सहभागिता दृष्टिकोण अपनाने की अविलंब आवश्यकता के संबंध में जागरूकता सृजित करना ।
III. जल संरक्षण की आवश्यकता के संबंध में लोगों के बीच जागरूकता फैलाना ।
IV. जल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और जल संसाधन के स्थायी विकास संबंधी मुद्दों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने, प्रलेखन एवं प्रसार पर जोर देते हुए राष्ट्रीय जल नीति के सिद्धांतों का प्रचार करना ।

V. जल की वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वर्षा जल संचयन एवं भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण हेतु उपाय अपनाने की आवश्यकता के संबंध में जागरूकता सृजित करना ।

VI. जागरूकता अवसंरचना विशेष तौर पर प्रचार तंत्र एवं सहयोग संरचना को सुदृढ़ बनाना ।

1.4.7. नदी बेसिन संगठन/प्राधिकरण : इस स्कीम का उद्देश्य बेसिन और सभी पणधारियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जल संसाधनों के विकास और उपयोग हेतु इष्टतम विधि का पता लगाने हेतु आवश्यक अध्ययन, मूल्यांकन इत्यादि शुरू करने के लिए सभी सह बेसिन राज्यों के लिए एक मंच उपलब्ध कराना है ।

1.4.8 अवसंरचना विकास : इस स्कीम में भूमि और भवन तथा सूचना और प्रौद्योगिकी विकास से संबंधित क्रियाकलाप शामिल हैं तथा इसमें विशेष रूप से निम्न से संबंधित क्रियाकलाप शामिल होंगे, (i) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड की भूमि और भवन और सूचना प्रौद्योगिकी योजना (ii) केन्द्रीय जल आयोग की भूमि और भवन, (iii) जल संसाधन मंत्रालय का सूचना प्रौद्योगिकी विकास योजना (iv) केन्द्रीय जल आयोग के कम्प्यूटरीकरण और सूचना प्रणाली का उन्नयन और आधुनिकीकरण ।

स्कीम का उद्देश्य कार्यालयों में बेहतर कार्य परिवेश उपलब्ध कराना, परिसम्पतियों का सृजन और मासिक किराये के भुगतान में बचत है । इसे प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्थलों पर कार्यालयों का निर्माण करने, फील्ड़ में कार्य करने वाले कार्मिकों के लिए कुटीर का प्रावधान, मंत्रालय (खास) और केन्द्रीय जल आयोग के लिए स्टाफ क्वार्टर के निर्माण और वर्तमान कार्यालयों के आधुनिकीकरण का प्रावधान इस स्कीम के कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया है । इसका उद्देश्य वर्तमान छितराई हुई सूचना प्रणालियों को समेकित एवं कारगर बना कर एकदिशीय गत्यात्मक ई-गवर्नेंस पद्धति में लाना भी है ।

1.4.9 बांध सुरक्षा अध्ययन और आयोजना : इस स्कीम में बांध सुरक्षा संगठन के बांध सुरक्षा और अवसंरचना सुदृढ़ीकरण से संबंधित आवश्यक अध्ययन शुरू करने की योजना है। 2011 में विश्व बैंक की सहायता से बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी), एक छह वर्षीय परियोजना आरंभ की गई । उक्त परियोजना 4 राज्यों, नामत: केन, मध्य प्रदेश, ओड़िशा और तमिलनाडु में कार्यान्वित की जाएगी । पुनर्वास और सुधार की यथेष्ट आवश्यकता वाले चार सहभागी राज्यों में लगभग 223 बड़े बांधों को उक्त परियोजना में शामिल किया जाएगा । सभी बड़े बांधों के सुरक्षित प्रचालन और अनुरक्षण हेतु उपयुक्त संस्थात्मक तंत्र का विकास इन राज्यों में भी आरंभ किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय जल आयोग में राष्ट्रीय स्तर की बांध सुरक्षा निगरानी और मार्गदर्शन के लिए

संस्थात्मक ढ़ांचे को सुदृढ़ किया जाएगा । डीआरवाईपी के परियोजना विकास लक्ष्य है : (i) चुनिंदा बांधों और संबद्ध उपाबंधों की सुरक्षा और निष्पादन में स्थायी रूप से सुधार करना तथा (ii) सहभागी राज्यों में तथा केन्द्रीय स्तर पर सहभागी राज्यों में बांध सुरक्षा संस्थागत ढ़ांचे को सुदृढ़ बनाना ।

1.4.10भूजल प्रबंधन एवं विनियमन :

- भूजल अन्वेषण
- भूजल संसाधन आकलन
- भूजल अवस्था की निगरानी
- कृत्रिम पुनर्भरण एवं वर्षा जल संचयन संबंधी अध्ययन
- अभिज्ञात जोर दिए जाने वाले क्षेत्रों में भूजल प्रबंधन अध्ययन
- भूभौतिकीय अध्ययन
- जल-रासायनिक अध्ययन
- भूजल विकास का विनियमन
- दूर संवेदी अध्ययन
- भूजल मॉडलिंग
- सतही एवं भूजल के संयुक्त उपयोग संबंधी अध्ययन
- अनुसंधान एवं विकास अध्ययन
- शिक्षा/ज्ञान का अंतरण आदि ।

1.4.11 राजीव गांधी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान : संस्थान भूजल और संबंधित पहलुओं के क्षेत्र में क्षमता निर्माण करने के लिए सीजीडब्ल्यूबी, केन्द्र/राज्य सरकार के संगठनों/अकादमिक संस्थानों आदि के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी है ।

1.4.12 बाढ़ पूर्वानुमान : इस स्कीम का उद्देश्य भारत में बाढ़ पुर्वानुमान और अंतर्वाह पुर्वानुमान को सुदृढ़ करना और पूर्वानुमान सूचना प्रणाली को विकसित करना है ।

1.4.13 सीमावर्ती क्षेत्रों में नदी प्रबंधन क्रियाकलाप : यह नेपाल, भूटान, चीन और बांग्लादेश के साथ समान नदियों के संबंध में चालू नदी प्रबंधन कार्यकलापों को शामिल करती है । इसके अतिरिक्त XIवीं योजना अवधि के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए संबंधित राज्यों को 100% केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु सीमावर्ती क्षेत्रों में कुछ नए विकासात्मक कार्यों की परिकल्पना की गई है ।

इस स्कीम के अंतर्गत XIवीं योजना अवधि के दौरान (i) भारत-नेपाल सीमा पर महाकाली नदी पर प्रस्तावित पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना (पीएमपी) की विस्तृत

परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को अंतिम रूप देने (ii) नेपाल में बराह क्षेत्र पर कोसी उच्च बांध परियोजना के सर्वेक्षण एवं अन्वेषण (iii) राप्ती नदी पर नौमुरे भंडारण परियोजना (नेपाल) के विस्तृत अन्वेषण (iv) नेपाल, भूटान, चीन और बांग्लदेश के साथ साझी नदियों पर जलवैज्ञानिक प्रेक्षण (v) नेपाल के क्षेत्र में कोसी और गंडक बराजों के बाढ़ सुरक्षा कार्यों के अनुरक्षण (vi) गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना लागत और (vii) पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और जम्मू-कश्मीर राज्यों द्वारा प्रस्तावित बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ साझी/सीमावर्ती नदियों के नए नदी तट पर सुरक्षा कार्य शुरू किए गए हैं ।

इसके अतिरिक्त ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी को माजुली द्वीप की नदी कटाव से सुरक्षा सहित ब्रह्मपुत्र एवं बराक बेसिन में गंभीर खंडों में अति आवश्यक बाढ़ सुरक्षा कार्यों के साथ-साथ स्थापना लागत के लिए अनुदान सहायता दी जाती है ।

बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ पश्चिम बंगाल में महानंदा नदी पर तीन तट सुरक्षा/बाढ़ नियंत्रण कार्य पूरे कर लिए गए हैं । पश्चिम बंगाल में 10 तट सुरक्षा कार्य और त्रिपुरा में 2 तट सुरक्षा कार्य पूरे होने के विभिन्न चरणों में हैं । इसके अतिरिक्त त्रिपुरा सरकार को बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ तीन और तट सुरक्षा कार्य शुरू करने के लिए केन्द्रीय सहायता जारी की गई है ।

1.4.14 फरक्का बैराज परियोजना : फरक्का बैराज परियोजना का मुख्य उद्देश्य बैराज की सुरक्षा के लिए कटावरोधी उपायों सहित फरक्का बैराज और संबंधित संरचनाओं का प्रचालन और रखरखाव है।

अध्याय- II
परिणाम बजट 2013-14
परिव्यय और परिणाम /लक्ष्य वार्षिक योजना 2013-14 का विवरण

(करोड़ रूपये)

क्र.सं.	स्कीम का नाम/ कार्यक्रम	उद्देश्य/ परिणाम	वार्षिक योजना (2013-14)	मात्रात्मक सुपुर्दगियां/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ समय सीमा	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास (डीडब्ल्यूआरआईएस)		150.00				
	जलवैज्ञानिक टिप्पिणयां एवं निगरानी प्रणाली						
	मौजूदा एचओ स्टेशनों का उन्नयन और नए एचओ स्थलों की स्थापना करना	बर्फ पिघलने की रन ऑफ मानीटरिंग, प्रयोक्ताओं को प्रेक्षित आंकड़ों मॉनीटरी, संकलन तथा प्रसार सहित सभी प्रमुख नदियों के संबंध में हाइड्रोलॉजीकल सूचना प्रणाली, स्थलों का उन्नयन, नये स्थलों को खोलना और जल गुणवत्ता प्रयोगशाला का उन्नयन		जलविज्ञानीय वर्ष पुस्तक, सिल्ट वर्ष पुस्तक, जलविज्ञानीय सूचना प्रणाली, स्थलों का उन्नयन, नए स्थलों को खोलना और जल गुणवत्ता प्रयोगशाला उन्नयन ।	आंकड़ों को रिपोर्ट/पुस्तकों को प्रकाशित रूप में उपलब्ध कराया जाता है ।	प्रतिदिन/प्रतिदिन दस/मासिक/ वार्षिक/आवधिक	
	देश में बड़े जलाशयों के संबंध में भंडारण आंकड़ों का संग्रह	उन 120 जलाशयों का जलाशय जल स्तर संग्रह करना, जिसका साझा भंडारण टेलीमेट्री प्रणाली द्वारा सीडब्ल्यूसी द्वारा मॉनीटर करने का प्रस्ताव है ।		87 जलाशयों के संबंध में टेलीमेट्री प्रणाली का संस्थापन	87 जलाशयों में टेलीमेट्री प्रणाली का संस्थापना	87 जलाशयों में टेलीमेट्री प्रणाली की संस्थापना की जाएगी।	87 जलाशयों में 84 जलाशय शामिल है, जिनके सक्रिय भंडारण को सीडब्ल्यूसी द्वारा मॉनीटर किया जा रहा है तथा 3 नए जलाशय ।
	तटीय प्रबंधन सूचना प्रणाली का विकास (सीएमआईएस)	i) डेटा संग्रह और प्रलेखन सहित कटाव तलछट परिवहन / तलछट प्रकोष्ठ को परिभाषित करना/तलछट बजट इत्यादि के कारणों का निर्धारण ii) ज्वारीय गेज और डेटा संग्रह की संस्थापना iii) कमी वाले क्षेत्रों में तरंग, करेंट, बाथेमंट्री इत्यादि जैसे पैरामीटर का डाटा संग्रहण iv) डब्ल्यूआरआईएस में तटीय आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण, प्रक्रियान्वयन तथा एकीकरण v) सीपीडीएसी/इसकी उपसमितियों, क्षेत्रीय दौरों, प्रशिक्षण/ अध्ययन दौरों, प्रौद्योगिकी अंतरण को सुदृढ़ बनाना और तटीय कटाव निदेशालय को एक उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में सुदृढ़ बनाना, मैनुअल, दिशानिर्देश तैयारकरना, कार्यशाला, संगोष्ठी इत्याद आयोजित करना		i) 2 स्थल ii) 1 स्थल iii) 2 स्थल iv) चालू प्रक्रिया v) चालू प्रक्रिया	टाइडल, गॉज डाटा संग्रह की संस्थापना, डब्ल्यूआरआईएच में तटीय आंकड़ों का एकीकरण	लगातार कार्यकलाप	

क्र.सं.	स्कीम का नाम/ कार्यक्रम	उद्देश्य/ परिणाम	वार्षिक योजना (2013-14)	मात्रात्मक सुपुर्दगियां/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ समय सीमा	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
	सिंचाई गणना						
	लघु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तिकरण (आरएमआईएस)	संदर्भ वर्ष 2011-12 के साथ पांचवी लघु सिंचाई गणना आयोजित करना		1.) राज्यों में अगली लघु सिंचाई गणना के लिए नई प्रणाली आरंभ करने हेतु अखिल भारतीय कार्यशाला आयोजित करना	गणना के लिए तैयारी हेतु अगली लघु सिंचाई गणना के लिए अखिल भारतीय कार्यशाला आयोजित करना और केन्द्रीय स्तर पर अतिरिक्त कर्मचारियों को किराए पर लेना ।	2/28/2013	
				2.) आऊटसोर्सिंग के माध्यम से एमआई गणना आयोजित करने के लिए केन्द्रीय एजेंसी का चयन	क्षेत्रीय कार्य और पर्यवेक्षण पूरे वर्ष जारी रहेगा ।	4/30/2013	
				3.) अनुसूची को अंतिम रूप देने/दिशानिर्देशों और संबंधित साफ्टवेयर, क्षेत्रीय एजेंसी का चयन जैसे एमआई गणना कार्य के लिए अन्य तैयारी संबंधी कार्य		8/30/2013	
				4.) बेहतर पर्यवेक्षण तथा पांचवी एमआई गणना की निगरानी के लिए केन्द्रीय स्तर पर अतिरिक्त कर्मचारियों को भाड़े पर लेना		8/31/2013	
				5.) क्षेत्रीय एजेंसियों को प्रशिक्षण		3/31/2014	
	मुख्य गणना/बृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का सर्वेक्षण	कृषि योग्य कमान क्षेत्र तथा उनकी भौगोलिक सीमा, मौसम के आधार पर सिंचित क्षेत्र, सृजित सिंचाई क्षमता और प्रयुक्त (आईपीसी और आईपीयू), फसल प्रणाली, अन्य परियोजना संबंधित जानकारी को आऊटसोर्सिंग के माध्यम से एकत्र करना ।		आऊटसोर्सिंग के माध्यम से पायलट सर्वेक्षण करने के लिए प्रक्रिया आरंभ करना	आऊटसोर्सिंग के माध्यम से पायलट सर्वेक्षण किया जाएगा	मार्च, 2014 तक पायलट सर्वेक्षण पूर्ण कर लिया जाएगा ।	
	जल गुणवत्ता मूल्यांकन और निगरानी प्राधिकरण प्रणाली	डब्ल्यूक्यूएए से जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग के लिए विधियों का मानकीकरण करने तथा आंकड़े तैयार करने के लिए गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विविध एजेंसियों को निर्देश देने, नामोद्दिष्ट सर्वोत्तम उपयोग को पूर्ण करने के लिए नदी/जल निकायों की जल-गुणवत्ता की पुनर्बहाली के विचार से अपशिष्ट जल के उपयुक्त उपचार को सुनिश्चित करने; जल गुणवत्ता प्रबंधन के क्षेत्र में शोध और विकास कार्यकलापों को आरंभ करने; पुन:चक्रण को संवर्धित करने, कृषि के विकास में उपचारित सीवेज/ व्यापार अपशिष्ट के पुन: उपयोग, जल निकायों में गुणवत्ता सुधार के लिए कार्य योजना तैयार करने, नदी प्रणाली में जलचर जीवन-रूपों को बनाए रखने के लिए न्यूनतम जल आपूर्ति को बनाए रखने ; उपचार की लागत को न्यूनतम करने के लिए क्रिटिकल नदी स्ट्रेचों की जल भंडारण की क्षमता का उपयोग करने, राष्ट्रीय जल संसाधनों (सतही जल और भूजल दोनों, जियो-जैविक पहल को छोड़कर) की गुणवत्ता के स्तर की समीक्षा करने और आवश्यक कदम उठाने के लिए 'हॉट स्पॉट' को पहचानने का अधिदेश है ।		डब्ल्यूक्यूएए के अधिकांश कार्यकलाप लगातार प्रकृति के हैं और पूरे वर्ष इन्हें नियमित रूप से किया जाता है । डब्ल्यूक्यूएए द्वारा किए जाने वाले कुछ परिमाणात्मक कार्यकलाप इस प्रकार हैं: 1. आर एवं डी अध्ययन - 4 2. प्रशिक्षण कार्यक्रम-6 3. जल गुणवत्ता मुद्दों के संबंध में विभिन्न रिपोर्ट तैयार करना – 4 4. डब्ल्यूक्यूएए बैठकों का आयोजन – 2	डब्ल्यूक्यूएए के अधिकांश कार्यकलाप लगातार प्रकृति के हैं और पूरे वर्ष इन्हें नियमित रूप से किया जाता है । आर एवं डी अध्ययन - 4, प्रशिक्षण कार्यक्रम-6, जल गुणवत्ता मुद्दों के संबंध में विभिन्न रिपोर्ट तैयार करना – 4, डब्ल्यूक्यूएए बैठकों का आयोजन – 2 किया जाएगा		

क्र.सं.	स्कीम का नाम/ कार्यक्रम	उद्देश्य/ परिणाम	वार्षिक योजना (2013-14)	मात्रात्मक सुपुर्दगियां/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ समय सीमा	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
	केन्द्रीय जल आयोग में मानीटरिंग इकाई को सुदृढ़ बनाना	क्षेत्रीय दौरे करके बृहत, मध्यम परियोजनाओं का मानीटर करना और उनकी कार्यान्वयन स्थिति रिपोर्ट तैयार करना तथा केन्द्रीय जल आयोग की मानीटरिंग इकाईयों को सुदृढ़ बनाना		i) एआईबीपी के अंतर्गत बृहद और मध्यम परियोजनाओं की आनलाइन मानीटरिंग इनहाऊस क्षमता का विकास करके की जाती है । III) सभी बृहत और मध्यम परियोजनाओं का मानीटरिंग किया जाता है ।	i. परियोजना प्राधिकरणों द्वारा रिपोर्ट किए गए क्षमता सृजन का मूल्यांकन और उसे केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों द्वारा इनहाऊस क्षमता का विकास करके मूल्यांकित किया जाता है । (26-29 दिसम्बर, 2012 के दौरान केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों के प्रशिक्षण का प्रथम बैच एनआरसी, हैदराबाद में पूरा हो चुका है ।) ii. केन्द्रीय जल आयोग मानीटरिंग दलों के माध्यम से नियमित निगरानी के द्वारा परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करना तथा अतिरिक्त क्षमता का सृजन	कार्यकलाप पूरे वर्ष जारी रहेंगे ।	
	आंकड़ा बैंक और सूचना प्रणाली						
	वेब-आधारित जल संसाधन सूचना प्रणाली और नेशनल वाटर इनफारमेटिक सैंटर स्थापित करना	वाटरशेड एटलस का सृजन तथा 1:50000 नाप पर देश में वेब-आधारित जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास		डब्ल्यूआरआईएस के चौथे रूप की स्थापना की जाएगी ।	डब्ल्यूआरआईएस के चौथे रूप की स्थापना की जाएगी ।	दिसम्बर, 2013 तक संभावित	
	सीडब्ल्यूसी में पुस्तकालय सूचना ब्यूरो का उन्नयन तथा आधुनिकीकरण	सीडब्ल्यूसी के पुस्तकालय का उन्नयन तथा आधुनिकीकरण		सीडब्ल्यूसी के पुस्तकालय का उन्नयन तथा आधुनिकीकरण	सीडब्ल्यूसी के पुस्तकालय का उन्नयन तथा आधुनिकीकरण	जारी कार्यकलाप	
	सीडब्ल्यूसी में साफ्टवेयर प्रबंधन	i) ई-गवर्नेंस क्षमताओं की वृद्धि करना, ii) हार्डवेयर, साफ्टवेयर और नेटवर्क संसाधनों का उन्नयन और सुदृढ़ीकरण iii) सीडब्ल्यूसी वेबसाइट का सुधार iv) प्रशिक्षण के माध्यम से सीडब्ल्यूसी में आईटी ज्ञान आधार का निर्माण v) एसएम निदेशालय को सुदृढ़ बनाना		i) डाटा केन्द्र की स्थापना ii) इंजीनियरिंग ड्राइंगों का डिजीटीकरण iii) आपदा रिकवरी स्थल की स्थापना iv)लैपटॉप, प्रिंटर प्राप्त करना vi) एफईएम साफ्टवेयर की संस्थापना vii) कंप्यूटर और प्रिंटरों का उन्नयन viii) आईपीवी6 प्लेटफार्म के संबंध में वेबसाइट विकास ix) एलएएन सुविधा का विस्तार x) हार्डवेयर और साफ्टवेयर के लिए एएमसी xi) ई-प्रापण का कार्यान्वयन xii) सीडब्ल्यूसी की स्टाफ की सेवा पुस्तिका का डिजीटीकरण xiii) पुस्तकालय सूचना साफ्टवेयर की संस्थापना xiv)डीबीएमएस साफ्टवेयर की स्थापना xv) उपभोज्य वस्तुओं को प्राप्त करना xvi) माइक्रोसाफ्ट ऑफिस की स्थापना xvii) सक्रिय निदेशिका की स्थापना	डाटा केन्द्र की स्थापन, इंजीनियरिंग ड्राइंगों का डिजटीकरण, आपदा रिकवरी स्थल की स्थापना, एफईएम साफ्टवेयर की स्थापना जैसी आईटी सेवाएं आरंभ की जाएगी ।	तीसरी तिमाही तीसरी तिमाही तीसरी तिमाही दूसरी तिमाही पहली तिमाही दूसरी तिमाही दूसरी तिमाही चालू कार्यकलाप चालू कार्यकलाप पहली तिमाही दूसरी तिमाही तीसरी तिमाही चौथी तिमाही चालू कार्यकलाप	Budget allocated in Sept., 2012

क्र.सं.	स्कीम का नाम/ कार्यक्रम	उद्देश्य/ परिणाम	वार्षिक योजना (2013-14)	मात्रात्मक सूपुर्दगिया/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ समय सीमा	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
2	बाढ़ पूर्वानुमान	स्थानीय प्रशासन को 175 केन्द्रों पर समय पर बाढ़ पूर्वानुमान उपलब्ध कराने के लिए 20 नदी बेसिनों को शामिल करते हुए केन्द्रीय जल आयोग द्वारा देश में जल विज्ञानीय प्रेक्षण स्थलों के नेटवर्क का अनुरक्षण करना और अन्य क्षेत्रों में बाढ़ पूर्वानुमान का विस्तार करना ।	150.00	रीयल टाइम डाटा का संग्रह, इसका विश्लेषण और बाढ़ पूर्वानुमान जारी करना। लगभग 6000 पूर्वानुमान जारी किए जाते हैं ।	बाढ़ से होने वाली क्षति को कम करने के लिए आयोजना गतिविधियों में मदद करने की दृष्टि से आने वाली बाढ़ की अग्रिम चेतावनी।	कार्य को वर्ष के दौरान केंद्रीय जल आयोग द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।	उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के गंगा बेसिन राज्यों के लगभग 200000 वर्ग मीटर के लिए एसओआई द्वारा डेमो तैयार करने, संचार का आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव वार्षिक योजना में किया गया है ।
3	जलविज्ञान परियोजना	13 राज्यों और 8 केंद्रीय अभिकरणों में जल संसाधन आयोजना और प्रबंधन से संबंधित सभी कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा जल वैज्ञानिक सूचना प्रणाली के स्थायी और प्रभावी उपयोग को बढ़ाना और प्रोत्साहित करना।	70.00	परियोजना घटकों का कार्यान्वयन जैसे संस्थागत सुदृढ़ीकरण, वर्टिकल एक्सटेंशन (डीएसएस-योजना, डीएसएस-रीयल टाइम, जल विज्ञानीय डिजाइन सहायता सामग्री और 10 उद्देश्य प्रयोजन उन्नमुख अध्ययन सहित) तथा 4 बड़ी परामर्शी संस्थाओं की सहायता से हॉरीजेंटल एक्सटेंशन । 6 बड़े अध्ययन क्षेत्रों में जलभृत्त मानचित्रीकरण	• कार्यान्वयन एजेंसियों में आदान-प्रदान के लिए सुधरी हुई डाटा पहुंच क्षमता • जल संसाधन और प्रबंधन के लिए सुधरे हुए उपकरण •बाढ़ और सूखे के प्रबंधन के लिए सुधरी हुई आंकड़ा प्रणाली	मई, 2014 के अंत तक केन्द्रीय एजेंसियों जैसे पीसीएस (एमओडब्ल्यूआर), बीबीएमबी, सीडब्ल्यूसी, सीजीडब्ल्यूबी, सीडब्ल्यूपीआरएस, सीपीसीबी, आईएमडी और एनआईएच के माध्यम से नियोजित कार्यकलापों का कार्यान्वयन किया जाएगा।	
4	भूजल प्रबंधन एवं विनियमन	क. जलभृत्त की प्रकृति तथा उसकी विशेषताओं का पता लगाने के लिए जलभृत्त मानचित्रण	275.00	यथानुसार		एक वर्ष	
		i. मानचित्रों 7 डाटासिटों को प्राप्त करना		5.0 लाख वर्ग कि.मी.	जलभृत्त मानचित्रण के लिए आधार मानचित्र हेतु इनपुट प्राप्त किया जाएगा	एक वर्ष	
		ii. डाटा संकलन		6.25 लाख वर्ग कि.मी.	संकलित आंकड़ों से विषय आधारित मानचित्र बनाये जाएंगे	एक वर्ष	
		iii. डाटा अंतराल विश्लेषण		6.25 लाख वर्ग कि.मी.	जलभृत्त मानचित्रण के लिए डाटा तैयार करने की मात्रा	एक वर्ष	
		iv. डाटा निर्माण		0.54 लाख वर्ग कि.मी.	जलभृत्तवार भूजल प्रबंधन के लिए सही जलभृत्त मानचित्र	एक वर्ष	
		जलभृत्त मानचित्र के लिए भूजल जांच		800 कुएं	उपसतही जलभृत्त स्थिति और उनके हाइड्रोलिक पैरामीटर	एक वर्ष	
		जलभृत्त मानचित्रण के लिए भूभौतिकीय अध्ययन		वीईएस-2000 बोरहोल लॉगिंग-आवश्यकता आधारित	उपसतही जलभृत्त ज्यामिति का अंतरबेसन	एक वर्ष	
		जलभृत्त मानचित्रण के लिए हाइड्रो रासायनिक अध्ययन		20000 नमूने	पेय और अन्य उपयोगों के लिए जलभृत्तों की भूजल की गुणवत्ता को निर्धारित किया जाएगा ।	एक वर्ष	
		ख. हाइड्रोग्राफ नेटवर्क प्रेक्षण कुओं को मानीटर करना और सुदृढ़ करना		वर्ष में मौजूदा चार बार और अतिरिक्त 7000	भूजल क्षेत्र का निर्धारण और देश की लंबी अवधि की प्रवृत्तियों को तैयार किया जाएगा।	एक वर्ष	
		ग. पेयजल का स्रोत पता लगाने के लिए राज्य और केन्द्र सरकार को तकनीकी सहायता		अनुरोध के आधार पर आवश्यकता आधारित	संबंधित संगठन उनकी जल आपूर्ति की जरूरतों के लिए और अधिक भूजल का उपयोग करेंगे ।	एक वर्ष	

क्र.सं.	स्कीम का नाम/ कार्यक्रम	उद्देश्य/ परिणाम	वार्षिक योजना (2013-14)	मात्रात्मक सुपुर्दगियां/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ समय सीमा	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
		घ. भूजल संसाधन आकलन		गत्यात्मक भूजल संसाधन आकलन (31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार)	पेयजल की उपलब्धता के परिमाणीकरण और विकास के स्तर का आकलन किया जाएगा तथा ओई/ गंभीर क्षेत्रों के श्रेणीकरण को अद्यतन किया जाएगा ।	एक वर्ष	
		ड..रिपोर्ट, वैज्ञानिक की सूचना के प्रसार के लिए मानचित्र तैयार करना					
		राज्य की रिपोर्ट		17	राज्य के भूजल परिदृश्य के विषय में बताया जाएगा	एक वर्ष	
		भूजल वर्ष पुस्तक		23	दावाधारकों के लिए सूचना के प्रसार हेतु भूजल आंकड़ों को उपलब्ध कराया जाएगा।	एक वर्ष	
		च. भूजल प्राधिकरण द्वारा भूजल विकास का विनियमन		162 अधिसूचित क्षेत्रों में भूजल का विनियमन	भूजल के अतिदोहन का नियंत्रण किया जाएगा ।	एक वर्ष	
		छ. प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए मशीनरी और उपस्कर प्राप्त करना		कालीन और उपस्कर प्राप्त करना	सुधरे हुए और सही आंकड़े उपलब्ध होंगे	एक वर्ष	
5	जल क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम	स्कीम का उद्देश्य देश की जल संसाधन से संबंधित समस्याओं का व्यावहारिक समाधान निकालना और उपलब्ध प्रौद्योगिकी इंजीनियरी प्रणालियों, प्रक्रियाओं में सुधार करना और शोध सुविधाओं का सृजन/उन्नयन करना, जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत प्रमुख संगठनों के शोध संस्थानों की बैंचमार्किंग करना है ।	50.00	वास्तविक/गणितीय/मॉडल/डेस्क अध्ययन पूरा करना =165 तकनीकी रिपोर्ट तैयार करना = 218 शोधपत्र प्रकाशित करना =260 दिशानिर्देश/मैनुअल तैयार करना =6 कार्यशाला/सेमिनार/सिम्पोजिया/प्रशिक्षण आयोजित करना = 33 कार्मिकों का प्रशिक्षण = 240	वास्तविक/गणितीय/मॉडल/डेस्क अध्ययन पूरा करना =165 तकनीकी रिपोर्ट तैयार करना = 218 शोधपत्र प्रकाशित करना =260 दिशानिर्देश/मैनुअल तैयार करना =6 कार्यशाला/सेमिनार/सिम्पोजिया/प्रशिक्षण आयोजित करना = 33 कार्मिकों का प्रशिक्षण = 240	यह कार्य मंत्रालय के विभिन्न संगठनों द्वारा कार्यान्वित किया जाना है ।	
6	मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण		94.00				
(क)	एचआरडी/सीबी स्कीम की सूचना, शिक्षा और संचार घटक	जल के महत्व और इसके संरक्षण की आवश्यकता के बारे में लोगों के बीच जानकारी सृजित करना	40.00	i) चित्रकला प्रतियोगिता ii) जल संरक्षण पर जनजागरूकता के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभियान iii) प्रिंट मीडिया अभियान iv) कार्यशाला/संगोष्ठी /सम्मेलन v) मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना	(i) इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, बाह्य कार्यकलाप इत्यादि को शामिल करने वाली अनुमोदित मीडिया योजना का कार्यान्वयन । जिसे व्यावसायिक मीडिया एजेंसी/परामर्शदाताओं द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा (ii) जल संरक्षण वर्ष 2013 मनाना । (iii) देश के 35 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र में विद्यालयों, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन । (iv) दूरदर्शन के माध्यम से प्रचार। जल संरक्षण पर श्रव्य/दृश्य स्पॉट का प्रसारण करके आकाशवाणी और निजी टीवी और रेडियो चैनलों के माध्यम से प्रचार। (v) सीजीडब्ल्यूबी और सीडब्ल्यूसी के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में आयोजित विविध जन जागरूकता कार्यक्रम और जल प्रबंधन	चालू कार्यकलाप	

क्र.सं.	स्कीम का नाम/ कार्यक्रम	उद्देश्य/ परिणाम	वार्षिक योजना (2013-14)	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ समय सीमा	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
					(vi) जल चक्र/जल से संबंधित पहलुओं के संबंध में सक्रिय वर्किंग मॉडल और डायोरामा, पोस्टरों, बैनर, बैकलिट ट्रांसलाइटों, पैम्फलेटों का वितरण, पुस्तक, जल परिक्षण किटों, प्रमाणपत्र का वितरण, बच्चों को फ्रीबी का वितरण, पैंटोमाइन/क्वीजों इत्यादि का प्रदर्शन करके दिल्ली में आईआईटीएफ का आयोजन करना । (vii) भारत जल सप्ताह-2013 मनाना । (viii) सममेलन/कार्यशाला/जन जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन के लिए चैंबर ऑफ कॉमर्स/प्रसिद्ध संगठनों को सहायता अनुदान/वित्तीय सहायता ।		
(ख)	राष्ट्रीय जल अकादमी	सेवारत इंजीनियरों/इंडक्शन इंजीनियर्रो को जल संसाधन योजना विकास और प्रबंध अवसंरचना विकास में प्रशिक्षण	5.00	क) 32 प्रशिक्षण कार्यक्रम	क) 32 प्रशिक्षण कार्यक्रमों मार्च, 2014 तक पूरा किया जाएगा ।	(क) प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे वर्ष में होंगे और अनुमोदित कैलेंडर के अनुसार आयोजित किये जाएंगे	लक्ष्यों को प्राप्त करना रिक्त पदों को भरे जाने पर निर्भर करता है ।
(ग)	राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण संस्थान	सीजीडब्ल्यूबी तथा अन्य केन्द्रीय/राज्य सरकार के संगठनों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भूमि जल पहलुओं के संबंध में	9.00	32 प्रशिक्षण कार्यक्रम टायर-II-36 टायर-III आउटसोर्सिंग द्वारा-100	भूमि जल अन्वेषण, विकास तथा प्रबंधन तकनीकों और प्रशासनिक मामलों व प्रबंधन पहलुओं के विषय में पेशेवरों एवं उप-पेशेवरों का क्षमता निर्माण	एक वर्ष	
(घ)	क्षमता निर्माण कार्यक्रम		40.00				
	प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन	क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम, संगोष्ठियां/किसानों की कार्यशालाएं/ कार्यकर्त्ता और परीक्षित प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन		200 कार्यक्रम	उनको नवीनतम विकास से परीचित कराना है ।	प्रगति, डब्ल्यूएएलएमआईएस के प्रशिक्षण कार्य आरंभ करने पर निर्भर करेगी ।	ईएफसी स्कीम अभी अनुमोदित नहीं हुई है ।
	डब्ल्यूएएलएमएस/आईएमटीआईएस को सुदृढ़ बनाना	डब्ल्यूएएलएमएस/आईएमटीआईएस की अवसंरचना 14 की मरम्मत/नवीकरण/उन्नयन /आधुनिकीकरण		14 संस्थानों में से प्रत्येक को एकमुश्त वित्तीय सहायता किस्तों में प्रदान की जाएगी और प्रत्येक किस्त को समझौते ज्ञापन के अनुसार सुपुर्दगी योग्य निष्पादन संकेटकों से संबद्ध किया जाएगा।	अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना	राज्य सरकार उनके हिस्से का अंशदान उपलब्ध करा रही है।	
	एनईआरआईडब्ल्यूएएलएम	एनईआरआईडब्ल्यूएएलएम के संस्थाओं का संचालन और रखरखाव		एनईआरआईडब्ल्यूएएलएम, जो देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक डब्ल्यूएएलएमआई है, 1 अप्रैल, 2012 से जल संसाधन मंत्रालय से डीओएनईआर मंत्रालय को स्थानान्तरित कर दिया गया है ।	मौजूदा प्रशिक्षण संस्थानों को जारी रखा गया है ।	प्रशिक्षण और परियोजना कार्य प्रारंभ किया गया है ।	

क्र.सं.	स्कीम का नाम/ कार्यक्रम	उद्देश्य/ परिणाम	वार्षिक योजना (2013-14)	मात्रात्मक सुपुर्दगियां/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ समय सीमा	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
7	अवसंरचना विकास	भूमि और भवन (सीडब्ल्यूसी) और मंत्रालय खास-जल संसाधन परियोजनाओं के कार्य के आंकड़ा संग्रहण, योजना और जांच में लगे हुए कर्मचारियों के लिए अच्छी सम्मानीय बेहतर और स्वस्थ्य कार्य करने की परिस्थितियां को उपलब्ध कराना, विभिन्न जल संसाधन परियोजनाओं की मानीटरिंग और बाढ़ पूर्वानुमान कार्य करना ।	50.00	भूमि का अधिग्रहण और पूरे भारत में विभिन्न स्थलों पर सीडब्ल्यूसी के लिए गैर आवासीय और आवासीय भवनों का निर्माण, सेवा भवन, नई दिल्ली में सीडब्ल्यूसी मुख्यालय का आधुनिकीकरण, हैदराबाद में राष्ट्रीय जल प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना ।	निजी आवासों पर निर्भरता को कम करना जिन्हें प्राप्त करना कठिन है और इस प्रकार निजी तौर पर किराए पर लिये गए आवास से संबंधित मुकदमेबाजी में कमी आएगी ।	अधिकांश कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है ।	
		सीजीडब्ल्यूबी (आईटी) - • एनआईसी के सहयोग से सीजीडब्ल्यूबी में ई-गवर्नेंस के लिए वेब-आधारित वर्क फ्लों एप्लीकेशनों का विकास और संबंधित हार्डवेयर, साफ्टवेयर तथा सहायक सामग्री प्राप्त करना ।		सबद्ध हार्डवेयर, साफ्टवेयर तथा सहायक सामग्री के उपयोग के साथ सीजीडब्ल्यूबी के सभी कर्मचारियों के उपयोग के लिए प्रभावी वेब आधारित वर्क फ्लों एप्लीकेशनों का विकास करना ।	सीजीडब्ल्यूबी के सभी कार्यालयों में ई-गवर्नेंस कार्यकलापों के लिए वर्क फ्लों एप्लीकेशनों के डिजाइन और विकास के लिए साफ्टवेयर आवश्यकता विनिर्दिष्टियां (एसआरएस) दस्तावेज तैयार किए जाएंगे ।	2013-14 और 2014-15 के दौरान विकास और उपयोग किया जाएगा ।	
		सीजीडब्ल्यूबी (भूमि और भवन) - अपना कार्यालय भवन स्थापित करना		गुवाहाटी में सीजीडब्ल्यूबी की भूमि पर कार्यशाला और स्टोर सहित क्षेत्रीय और प्रभागीय कार्यालय । बंगलोर में डिवीजनल स्टोर तथा कार्यशाला । सीजीडब्ल्यूबी, भुवनेश्वर के कर्मचारियों के लिए स्टॉफ क्वार्टर/भोपाल में सीजीडब्ल्यूबी डिवी.- XII के लिए कार्यालय स्टोर और कार्यशाला। अंबाला में डिवीजनल कार्यालय कार्यशाला और स्टोर । जम्मू में क्षेत्रीय और डिवीजनल के लिए बाउंडरी वाल, कार्यशाला और स्टोर के लिए भवन का निर्माण । जम्मू में क्षेत्रीय और डिवीजनल के लिए बाउंडरी वाल, कार्यशाला और स्टोर के लिए भवन का निर्माण । देहरादून में भूमि का अधिग्रहण और सीजीडब्ल्यूबी, उत्तरांचल क्षेत्र देहरादून में सीजीडब्ल्यूबी, उत्तरांचल क्षेत्र में भूमि का अधिग्रहण और कार्यालय भवन का निर्माण, चैन्नई डिवीजनल कार्यालय में डिवीजनल कार्यशाला और स्टोर। जोधपुर में कार्यशाला और स्टोर। अहमदाबाद में कार्यशाला और स्टोर, धर्मशाला में कार्यशाला और स्टोर सहित क्षेत्रीय डिवीजनल कार्यालय। रांची (झारखंड) में डिवीजनल कार्यशाला के लिए भवन का निर्माण ।	निजी आवासों पर निर्भरता को कम करना जिन्हें प्राप्त करना कठिन है और इस प्रकार निजी तौर पर किराए पर लिये गए आवास से संबंधित मुकदमेबाजी में कमी आएगी ।	2-3 वर्ष (क्योंकि ये चालू स्कीम हैं और सीपीडब्ल्यूबी द्वारा निर्धारित समय के अनुसार आऊटपुट और आऊटकम को सूचित करना व्यवहार्य नहीं होगा)	

क्र.सं.	स्कीम का नाम/ कार्यक्रम	उद्देश्य/ परिणाम	वार्षिक योजना (2013-14)	मात्रात्मक सुपुर्देगिया/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ समय सीमा	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
		आईटी और ई-गवर्नेंस स्कीम मंत्रालय (खास)- एनआईसी के सहयोग से सीजीडब्ल्यूबी में ई-गवर्नेंस के लिए वेब-आधारित वर्क फ्लो एप्लीकेशनों का विकास और संबंधित हार्डवेयर, साफ्टवेयर तथा सहायक सामग्री प्राप्त करना ।		संबद्ध हार्डवेयर, साफ्टवेयर तथा सहायक सामग्री के उपयोग के साथ सीजीडब्ल्यूबी के सभी कर्मचारियों के उपयोग के लिए प्रभावी वेब आधारित वर्क फ्लो एप्लीकेशनों का विकास करना ।	ई- ऑफिस के कार्यान्वयन से मंत्रालय के कार्यकरण में काफी परिवर्तन आएंगे तथा मंत्रालय में ई-गवर्नेंस कार्यकलापों, जबावदेही और पारदर्शिता को प्रोत्साहन मिलेगा जिसे मंत्रालय के अन्य संगठनों में भी कार्यान्वित किया जाएगा ।	2013-14 और 2014-15 के दौरान विकास और उपयोग किया जाएगा ।	
8	**नदी बेसिन प्रबंधन**		200.00				
क	**नदी बेसिन प्रबंधन**	संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प की पहचान करने और सभी पणधारियों की उम्मीदों को पूरा करने की दृष्टि से आवश्यक अध्ययन एवं मूल्यांकन आदि शुरू करने हेतु सभी सह-बेसिन राज्यों को एक मंच उपलब्ध कराने के प्रमुख उद्देश्य से नदी बेसिन संगठन स्थापित करने को प्रोत्साहन देना ।	1.00	महानदी एवं गोदावरी बेसिन के संबंधित बेसिन राज्यों से नदी बेसिन संगठन स्थापित करने के लिए कार्रवाई करने को कहा जाएगा ।	नदी बेसिन संगठन स्थापित करने के लिए बेसिन राज्यों की सहमति ।	क्रियाकलाप वर्ष भर जारी रहेंगे ।	
ख	जल संसाधन विकास स्कीम का अध्ययन	चालू परियोजनाओं अर्थात रूक्नी-सोनल, मानस संकोश तीस्ता संपर्क, वांगचू सूइनताले, कालेखोल, किरथाल, उङ्गा और राष्ट्रीय परियोजनाएं जिस्पा और बरसर और बारहवीं योजना में प्रस्ताव की गई नई परियोजनाएं तेवांत, डास, सुरू, तारामाचू, कालीखोला की डीपीआर तैयार करने के लिए सर्वेक्षण और जांच करना तथा सीतामढ़ी जिले में अधवारा नदी समूह की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना ।	90.00	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए सर्वेक्षण और जांच	डीपीआर तैयार करने के लिए परियोजना जांच की जाएगी ।	वित्तीय वर्ष के दौरान सीडब्ल्यूसी स्कीम का क्रियान्वयन करेगा ।	

क्र.सं.	स्कीम का नाम/ कार्यक्रम	उद्देश्य/ परिणाम	वार्षिक योजना (2013-14)	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ समय सीमा	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
		नदी संपर्क प्रस्तावों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के संबंध में सर्वेक्षण, क्षेत्रीय जांच से संबंधित कार्यकलाप करना तथा अंतर्राज्य संपर्क प्रस्तावों की पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट/एफआर/डीपीआर तैयार करना तथा वे कार्य करना जो उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक अनुपूरक अथवा आयोजक माने जाए ।		(क) निम्नलिखित की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए सर्वेक्षण एवं जांच करना 1. बेदती- वर्धा संपर्क 2. मानस-संकोश-तीस्ता-गंगा (एम-एस-टी-जी) 3. जोगीघोपा-तीस्ता-फरक्का (एम-एस-टी-जी का विकल्प) 4. सोन बांध- एसटीजी संपर्क 5. कोसी-घाघरा संपर्क 6.कोसी-मेची संपर्क 7. नेत्रावती-हेमावती संपर्क	सर्वेक्षण और जांच तथा इंटरलिंकिंग और इंट्रालिंक परियोजनाओं के संबंध में व्यवहार्यता रिपोर्ट, पीएफआर और डीपीआर तैयार करना ।	कर्नाटक सरकार द्वारा ईआईए अध्ययनों के लिए सहमत होने के पश्चात 2013-14 के दौरान बेदती-वर्धा संपर्क (क्र.सं. 1) के एफआर तैयार करने के लिए एनडब्ल्यूडीए कार्य को फिर से आरंभ और पूर्ण करेगा । हिमालयी संपर्क की एफआर (क्र.सं. 2 से 5) जिसमें अंतर्राष्ट्रीय आयाम शामिल है, जारी नहीं की । कोसी-मेची संपर्क (क्र.सं. 6) की एफआर के लिए कार्य नेपाल राज्य में एसऔर आई करने के लिए अनुमति प्राप्त होने के आरंभ की जाएगी । नेत्रावती-हेमावती संपर्क (क्र.सं. 7) की एफआर तैयार करने के लिए कार्य कर्नाटक सरकार से सहमति प्राप्त होने के बाद आरंभ किया जाएगा जिसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।	अपने क्षेत्रों में सर्वेक्षण और जांच करने के लिए नेपाल और भूटान जैसे पड़ोसी देशों से अनुमति आवश्यक है । एनडब्ल्यूडीए जल संसाधन मंत्रालय के माध्यम से विदेश मंत्रालय के साथ इस मामले पर बात कर रहा है जिससे कि पड़ोसी देशों के साथ वार्ता शीघ्र की जा सके । इसको ध्यान में रखते हुए सभी हिमालयी संपर्कों के कार्य पूर्ण करने की तारीख निर्धारित नहीं की जा सकती है ।
				(ख) पार्वती-कालीसिंध-चंबल संपर्क और महानदी-गोदावरी-कृष्णा -पेन्नार-कावेरी-वैगई-गुंडार संपर्क प्रणाली की विस्तृकत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए संबंधित राज्यों में सहमति बनाने की प्रक्रिया चल रही है ।		पार्वती-कालीसिंध-चंबल संपर्क की डीपीआर तैयार करने के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने हेतु संबंधित राज्यों मध्य प्रदेश और राजस्थान की सहमति प्रदान करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय/एनडब्ल्यूडीए द्वारा प्रयास किए जाएंगे । वर्ष 2013-14 के दौरान संबंधित राज्यों में महानदी-गोदावरी-कृष्णा-पेन्नार-कावेरी-वैगई-गुंडार संपर्क प्रणाली के लिए सहमति प्राप्त करने हेतु प्रयास किए जाएंगे।	
				(ग) सर्वेक्षण और जांच तथा पार्वती-कालीसिंध-चंबल संपर्क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना		वर्ष के दौरान पार्वती-कालीसिंध-चंबल संपर्क की डीपीआर तैयार करने के लिए विविध कार्यकलाप/निर्माण कार्य आरंभ किए जाएंगे । बशर्ते की संबंधित राज्यों और केन्द्र सरकार में समझौता ज्ञापन पर आम सहमति हो जाए ।	

क्र.सं.	स्कीम का नाम/ कार्यक्रम	उद्देश्य/ परिणाम	वार्षिक योजना (2013-14)	मात्रात्मक सुपुर्दगियां/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ समय सीमा	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
				(घ) राज्य सरकारों द्वारा यथा प्रस्तावित अंतर-राज्य संपर्क प्रस्तावों की पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना		विभिन्न 3 राज्यों में आवश्यक सूचना प्राप्त होने के पश्चात वर्ष के दौरान विविध गतिविधियां/ अंतर-राज्य संपर्कों की पीएफआर तैयार करने का कार्य जारी रहेगा तथा वर्ष 2013-14 के दौरान 6 पीएफआर पूर्ण कर ली जाएगी ।	
				(ङ.) केन-बेतवा संपर्क, पार-तापी-नर्मदा (पीटीएन) और दमनगंगा-पिंजाल संपर्कों का डीपीआर-पश्चात स्तर का कार्य		(i) एमओईएफ – योजना आयोग और सर्वोच्च न्यायालय से आवश्यक स्वीकृति लेने और सीडब्ल्यूसी/ राज्य सरकारों/अन्य केन्द्रीय एजेंसियों के साथ बैठकें करने, राज्यों/ केन्द्रीय एजेंसियों के टिप्पिणयों पर ध्यापन देने तथा परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए और कार्य विधियों का निर्धारण करने का कार्य वर्ष 2013-14 के दौरान जारी रहेगा ।	
				(च) हिमालयी संपर्कों की डीपीआर तैयार करना		हिमालयी घटक के अंतर्गत 2 संपर्कों के डीपीआर कार्य को भी वर्ष 2013-14 के दौरान आरंभ किया जाएगा ।	
				(छ) अंतर-राज्य संपर्कों की डीपीआर तैयार करना		महाराष्ट्र के वैनगंगा (गोसीखुर्द)-नलगंगा (पूर्णा) तापी संपर्क का कार्य और तमिलनाडु के पोन्नायार-पलार संपर्क का कार्य जारी रहेगा । एनडब्ल्यूडीए द्वारा 2 नए डीपीआर की तैयारी का कार्य आरंभ किया जाएगा ।	
ग	केन्द्रीय जल आयोग का पुनर्गठन	बेसिन स्तर के मुद्दों का अधिक व्यापक एवं समग्र प्रकार से समाधान करने और जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों का समाधान करने हेतु राष्ट्रीय जल मिशन (एनडब्ल्यूएम) के अंतर्गत जल संसाधन मंत्रालय/केन्द्रीय जल आयोग को सौंपी गई जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए बेसिन स्तर पर फील्ड क्रियाकलापों में क्षैतिज विस्तार	9.00	"केन्द्रीय जल आयोग के पुनर्गठन" संबंधी स्कीम का अनुमोदन और पुनर्गठित केन्द्रीय जल आयोग के लिए पदों का सृजन । कार्यालयों/अवसंरचना को किराये पर लेने का कार्य आरंभ किया गया है।	केन्द्रीय जल आयोग के पुनर्गठन के कारण नए पदों के सृजन का अनुमोदन	क्रियाकलाप वर्ष भर जारी रहेंगे ।	

क्र.सं.	स्कीम का नाम/ कार्यक्रम	उद्देश्य/ परिणाम	वार्षिक योजना (2013-14)	मात्रात्मक सुपुर्दगियां/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ समय सीमा	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
घ	ब्रह्मपुत्र बोर्ड	मास्टर योजना, जल निकास विकास स्कीसमों के लिए डीपीआर और बहुउद्देशीय परियोजना हेतु डीपीआर का सर्वेक्षण, अन्वेषण तैयार करना । नेहारी का प्रचालन एवं रखरखाव तथा उन्नायन, एचक्यून परिसर का निर्माण और बोर्ड द्वारा सृजित परिसंपत्तियों का आरआर । (i) जल निकास विकास स्कीसमों (ii) कटावरोधी स्कीरमों एवं बाढ़ प्रबंधन स्कीरमों का निष्पाधदन (iii) उठे हुए प्ले)टफार्म का निर्माण	100.00	डीडीएस की 3 मास्टर योजनाओं, बहुउद्देशीय परियोजनाओं की 2 डीपीआर पूरी करना। बारभग डीडीएस के 61 % कार्य, अमजुर के डीडीएस के 42 % कार्य, जेंगराई का 74%, जकाईचुक का 49%, माजुली द्वीप के बाढ़ एवं कटाव के सुरक्षा के कार्यों के चरण-।। एवं ।।। का 61%, धौला हाथीघुली चरण-IV के एवल्शन के 10% कार्य । मेघालय में उमगी नदी में बालाट गांव में कटावरोधी कार्य- ब्रह्मपुत्र नदी, असम के कटाव से मनकाचार, कलाईरावरा अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के लिए कटावरोधी कार्य- 24%, असम में पुथीमारी नदी 33%, पश्चिम बंगाल में बाईकुंथापुर में तीस्ता नदी का संरक्षण कार्य- 5% । उठे हुए प्लेटफार्म के 30% कार्य पूरे करना। ब्रैह्मपुत्र नदी के चैननीकरण के व्यवहार्यता अध्ययन जारी रखना। नेहारी का प्रचालन एवं रखरखाव एवं उन्नयन, आईटी एवं जीआईएस का उन्नयन, जलवायु परिवर्तन अध्ययन शुरू किये जाएंगे ।	o 3 मास्टर प्लान, डीडीएस की 2 डीपीआर, बहुउद्देशीय परियोजनाओं की 2 डीपीआर तैयार करना o डीडीएस की वास्तविक प्रगति-बारभग-61%, अमजुर-42%, जेंगराई-74%, जकाईचुक-49%, o बाढ़ तथा कटाव प्रबंधन स्कीमों की वास्तविक प्रगति- माजुली द्वीप समूह(फेज-II एवं III) -61%, धोला हाथीघुली (फेज-IV) - 10%, बलात गांव, मेघालय - 53%, मनकाचर, कलाईरलगा, असम-24%, पुथीमारी, असम -33%, पश्चिम बंगाल में बैकुंथापुर - 5%, o वास्तविक प्रगति – उठे हुए प्लेटफार्मों का निर्माण – 30%, o ब्रह्मपुत्र नदी की नहरे बनाने का व्यवहार्यता अध्ययन o नेहारी का संचालन का रखरखाव एवं आधुनिकीकरण o ऑईटी एवं जीआईएस का उन्नयन o जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रभावों का अध्ययन	ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा कार्यान्वयन किया जाएगा ।	
9	नदी प्रबंधन गतिविधियां और सीमावर्ती नदियों और संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित कार्य	साझी/सीमावर्ती नदियों पर नदी प्रबंधन कार्यों के अतिरिक्त/ पड़ोसी देशों के साथ जल संसाधन परियोजनाओं एवं जल वैज्ञानिक प्रेक्षण और अन्वेषण । ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा बाढ़ नियंत्रण, कटावरोधी एवं समुद्र-कटावरोधी कार्य । कोसी एवं गंडक परियोजनाओं (नेपाल में) के बाढ सरक्षा कार्यों का रखरखाव	125.00	(i) बंगलादेश के साथ गंगा नदी पर संयुक्त जल वैज्ञानिक प्रेक्षण जारी रखना, एवं ii.पड़ोसी देशों से/को बाढ़ संबंधी आंकड़ों का संप्रेषण iii संयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तैयारी iv साझी/सीमा नदियों पर विकास कार्य । (v) संघ राज्य क्षेत्रों का कटावरोधी और समुद्र कटावरोधी कार्य (vi) कोसी और गंडक परियोजनाओं (नेपाल में) बाढ़ नियंत्रण कार्यों का रखरखाव	बार-बार आने वाली बाढ़ की समस्याओं को कम करना । वर्ष 2013-14 के दौरान भारत बांग्लादेश सीमा, भारत पाकिस्तान सीमा और संघ राज्य क्षेत्र में तट संरक्षण कार्य किए जाएंगे । ये कार्य पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में किए जाएंगे ।	सीडब्ल्यूसी, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग और बिहार, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वयन किया जाएगा।	

क्र.सं.	स्कीम का नाम/ कार्यक्रम	उद्देश्य/ परिणाम	वार्षिक योजना (2013-14)	मात्रात्मक सुपुर्दगियां/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ समय सीमा	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
10	फरक्का बैराज परियोजना	(i) पोषक नहर, जांगीपुर बैराज आदि सहित फरक्का बैराज परियोजना और इसके अनुषंगी संरचनाओं का रखरखाव (ii) मुख्य बैराज के किनारे नदी को नियंत्रित करने के लिए गंगा नदी और इसकी वितरिकाओं से लगे तटबंधों की सुरक्षा के लिए कटावरोधी कार्य	150.00	(i) पोषक नहर, जांगीपुर बैराज आदि सहित फरक्का बैराज परियोजना और इसके अनुषंगी संरचनाओं का रखरखाव और गेटों का अधिप्राप्ति आदि । (ii) एफबीपी के बढ़े हुए अधिकार क्षेत्र में गंगा-पद्मा नदी के साथ-साथ फरक्का बैराज के 40 कि.मी. प्रति प्रवाह से 80 कि.मी. अनुप्रवाह तक कटाव नियंत्रण कार्य शुरू किए जाएंगे	(क) नेशनल वाटर वे-1 (गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली) में अंतर्देशीय नौकावहन को बनाए रखने के लिए भागीरथी/हुगली को फीडर नहर के माध्यम से पर्याप्त मे पानी (40000 क्यू4सेक) की आपूर्ति को बनाए रखना। (ख) फरक्का में गंगा नदी में मौजूदा रेल और सड़क पुल के माध्यम से कलकता, उत्तर बंगाल और असम के बीच सीधे सड़क और रेल संपर्क को बनाए रखना । (ग) लगभग 1.5 कि.मी. की दूरी तक गंगा-पद्मा नदी के किनारे कटावरोधी कार्य के कार्यान्वयन/ रखरखाव के माध्यम से नदी कटाव पर नियंत्रण करके कंट्री साइड निवासियों, उनकी भूमि, सार्वजनिक सड़क, पुलों इत्यादि का संरक्षण । (घ) फरक्का बैराज के पुराने दरवाजे को बदलना । (ङ) फरक्का में जल प्रवाह का नियंत्रण करके कम उपयोग की अवधि के दौरान गंगा जल की भागीदारी के लिए भारत-बांग्लाणदेश संधि (1996) के कार्यान्वयन को जारी रखना।	सदस्य (डी और आर), सीडब्ल्यूसी की अध्यक्षता में एफबीपी की तकनीकी सलाहकार समिति के अनुमोदन तथा निदेश के अनुसार फरक्का बांध परियोजना सभी आवश्यक कार्य पूर्ण करेगी ।	
11	राष्ट्रीय जल मिशन का कार्यान्वयन (एनडब्ल्यूएम)-नई स्कीमें	जल का संरक्षण, मल जल में कमी लाना और समग्र जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन के माध्य म से राज्यों के बीच तथा राज्यों में इसका अधिक समान वितरण सुनिश्चित करना है ।	110.00	एनडब्ल्यूएम के निम्नलिखित पांच उद्देश्य हैं-		कार्यकलाप वित्त वर्ष 2013-14 में जारी रहेंगे ।	XIIवीं योजना में नई स्कीम
				(I) व्यापक जल डाटाबेस सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध कराना और जल संसाधन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन,			
				(II) Pजल संरक्षण, संवर्धन एवं परिरक्षण के लिए नागरिक एवं राज्य कार्रवाई को प्रोत्साहन,			
				(III) अतिदोहित क्षेत्रों सहित संवेदनशील क्षेत्रों पर जोर देना,			
				(IV) जल उपयोग दक्षता को 20% तक बढ़ाना, और			
				(V) बेसिन स्तरीय एवं एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को प्रोत्साहन देना			

क्र.सं.	स्कीम का नाम/ कार्यक्रम	उद्देश्य/ परिणाम	वार्षिक योजना (2013-14)	मात्रात्मक सुपुर्दगियां/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ समय सीमा	अभ्युक्ति/ जोखिम फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8
12	सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम	सिंचाई प्रबंधन में सुधार के लिए राज्यों को प्रोत्साहन देना	40.00	(i) सिंचाई प्रबंधन में सुधार के लिए राज्यों को प्रोत्साहन देने हेतु कार्यक्रम तैयार करना (ii) स्कीम का अनुमोदन-ईएफसी ज्ञापन (iii) स्कीम मंत्रिमंडल टिप्पणी का अनुमोदन	सिंचाई प्रबंधन में सुधार हेतु राज्यों को प्रोत्साहन देने से वर्धित जल दक्षता, सहभागी सिंचाई प्रबंधन व सिंचाई अवसंरचना को बेहतर उपयोग होगा ।	(i) जून, 2013 (ii) सितम्बर, 2013 (iii) दिसम्बर, 2013 (iv) दिसम्बर, 2013 (v) मार्च, 2014	
13	बांध पुनर्वास एवं सुधार कार्यक्रम (डीआरआईपी)	परियोजना के चरण-I के पुनर्वास संबंधी सीपीएमयू क्रियाकलाप शुरू किये जाएंगे ।	36.00	इंजीनियरिंग और प्रबंधन सलाहकार कंपनियों को भाड़े पर देना	सहभागी राज्यों में पुराने बांधों का पुनर्वास और राज्यों तथा सीडब्ल्यूसी में बांध सुरक्षा संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना	ड्रिप के लिए कार्यान्वयन अवधि 6 वर्ष की है । ड्रिप बांधों के पुनर्वास, कार्य के फेजिंग के आधार पर कार्यकलाप किए जाएंगे ।	परियोजना अब शुरू हो चुकी है और कार्यकलाप में तेजी आ रही है ।
				सीडब्ल्यूसी के बांध सुरक्षा संस्थानों को सुदृढ़ बनाना			
				सहभागी राज्यों में ड्रिप बांधों के पुनर्वास की निगरानी और पर्यवेक्षण			
		कुल	1500.00				

अध्याय-III

सुधारात्मक उपाय और नीतिगत प्रयास

3.1 सह-बेसिन राज्यों की सहमति के बाद अंतर्राज्यीय संपर्कों की डीपीआर तैयार करने के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) का अधिदेश एनडब्ल्यूडीए सोसाइटी की चौथी विशेष आम बैठक में अनुमोदित किया गया है । एनडब्ल्यूडीए ने अंत:राज्य संपर्कों की तैयारी आरंभ कर दी है ।

3.2 **बांध सुरक्षा विधेयक** : बांध सुरक्षा अधिनियम के अधिनियमन के लिए कार्रवाई शुरू की गई है जिसमें देश में बांधों की उचित निगरानी, जांच, प्रचालन एवं रखरखाव की प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी । बांध सुरक्षा विधेयक लोक सभा में 30.8.2010 को लाया गया और जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति की जांच के लिए भेजा गया है । स्थायी समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे 17.8.2011 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया । बांध सुरक्षा विधेयक को स्थायी समिति की सिफारिशों को शामिल करते हुए संशोधित किया गया है और जल संसाधन मंत्रालय मंत्रिमंडल का अनुमोदन लेना चाहता है ।

3.3 राष्ट्रीय जल मिशन

3.3.1 जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना में आठ राष्ट्रीय मिशनों के सांस्थानीकरण की परिकल्पना की गई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ "राष्ट्रीय जल मिशन" शामिल है । जल संसाधन मंत्रालय द्वारा एक परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किए गए राष्ट्रीय जल मिशन संबंधी व्यापक मिशन दस्तावेज पर केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 6 अप्रैल 2011 को अनुमोदन किया गया था । राष्ट्रीय जल मिशन का मुख्य उद्देश्य जल का संरक्षण, "जल की बर्बादी कम करना तथा एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन द्वारा राज्यों के भीतर और बाहर दोनों और इसका समान वितरण करना सुनिश्चित करना" है ।

3.3.2 जल संसाधन मंत्रालय सिंचाई, नगरपालिका और/अथवा औद्योगिक उपयोग में जल के सही उपयोग का संवर्धन, विनियमन, अनियंत्रण करने के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के खंड 3 (3) के अंतर्गत एक प्राधिकरण के रूप में नेशनल ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफेसियंसी का गठन करने का प्रस्ताव करता है । प्रस्तावित ब्यूरो पर विभिन्न क्षेत्रों नामत: सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, ऊर्जा उत्पादन और पूरे देश में उद्योग में जल उपयोग दक्षत में सुधार करने का समग्र दायित्व होगा ।

3.4 राष्ट्रीय जल नीति की समीक्षा

जल संसाधन मंत्रालय ने 1987 में राष्ट्रीय जल नीति को अपनाया था और तत्पश्चात् इसे संशोधन किया जाता था और 2002 में संशोधित राष्ट्रीय जल नीति को अपनाया था । राष्ट्रीय जल मिशन में पहचानी गई कार्यनीतियों तथा राष्ट्रीय जल बोर्ड के विचार विमर्श के अनुसार जल संसाधन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल नीति 2002 की समीक्षा शुरू की है ।

3.4.1 संसद सदस्य, अकादमियों, विशेषज्ञों एवं पेशवरों, गैर सरकारी संगठनों और कॉरपोरेट प्रतिनिधियों के साथ राष्ट्रीय जल नीति की समीक्षा संबंधित परामर्शी बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की गई थी । राष्ट्रीय जल बोर्ड ने 7 जून, 2012 को आयोजित अपनी 14वीं बैठक में संशोधित राष्ट्रीय जल नीति प्रारूप (2012) पर विचार किया । प्रारूप नीति पर संसदीय सलाहकार समिति द्वारा भी विचार किया गया । भारत की माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 28 दिसम्बर, 2012 को हुई अपनी 6ठी बैठक में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने प्रारूप राष्ट्रीय जल नीति, 2012 पर विचार किया जिसमें विचार विमर्श के अनुसार राष्ट्रीय जल नीति, 2012 को अपनाया गया ।

3.4.2 राष्ट्रीय जल फ्रेमवर्क कानून

इस फ्रेमवर्क कानून से संघ के प्रत्येक राज्य में जल नियंत्रण संबंधी आवश्यक विधान के लिए तथा स्थानीय जल स्थिति का सामना करने के लिए सरकार के निचले स्तर तक आवश्यक प्राधिकरणों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा । जल फ्रेमवर्क अधिनियम तैयार करने के लिए डॉ. वाई.के. अलघ की अध्यक्षता में 3 जुलाई, 2012 को एक समिति का गठन किया गया । एएससीआई, हैदराबाद में 25 फरवरी, 2013 को आमंत्रित विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श भी हुआ।

3.4.3 नेशनल फोरम ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड इरीगेशन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स

इस प्रकार के मंच से आशा की जाती है कि ये विचारों का आदान-प्रदान करने और बेहतर जल नियंत्रण के लिए नए और नवीन विचारों का समर्थन करने का कार्य करेगा । तदनुसार, विचारों आदान-प्रदान करने, नए और नवीन विचारों का समर्थन करने तथा देश में बेहतर जल नियंत्रण के लिए आम सहमति प्राप्त करने के लिए 14 दिसम्बर, 2012 को एक नेशनल फोरम ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड इरीगेशन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स का गठन किया गया । जल संसाधन मंत्री राजस्थान सरकार को दो वर्ष की अवधि के इस फोरम का अध्यक्ष मनोनित किया गया है ।

3.4.4 जल मौसम विज्ञानीय आंकड़ा प्रसार नीति

इस नीति का उद्देश्य भारत सरकार की विभिन्न संबंधी नीतियों, अधिनियमों और नियमों के फ्रेमवर्क के भीतर सक्रिय और आवधिक रूप से अद्यतन तरीके से पूरे देश में एक नेटवर्क के माध्यम से भारत सरकार के स्वामित्व में भागीदारी करने योग्य आंकड़ों और सूचना तक पहुंच को सुविधा प्रदान करना है जिससे कि और अधिक व्यापक रूप से सूचना तक पहुंच तथा सार्वजनिक आंकड़ों और जानकारी का उपयोग संभव हो सके । जल संसाधन मंत्रालय एक मौसम जलविज्ञानीय आंकड़ा प्रसार नीति के निर्माण करने का प्रस्ताव करता है और उक्त मसौदा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र तथा संबंधित मंत्रालयों में प्रचालित कर दिया गया है ।

3.5 बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मंत्रालय द्वारा विविध केन्द्रीय और राज्य क्षेत्र के स्कीमों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण नई पहल इस प्रकार है :-

- जलविज्ञानीय संग्रहण को सुदृढ़ बनाना
- आंकड़ा प्रबंधन के लिए जल सूचना केन्द्र की स्थापना
- उपयोग के लिए उपलब्ध भूजल की सही मात्रा का पता लगाने के पूरे देश में जलभृत्त मानचित्रण
- स्थायित्व के लिए भूजल का सहभागी प्रबंधन
- जल संबंधी नीति अनुसंधान को बढ़ाना देने के लिए एक जल संसाधन संस्थान की स्थापना करना
- सीडब्ल्यूसी का व्यापक पुनर्गठन करके बेसिन स्तर के समेकित जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना
- बृहद सिंचाई परियोजनाओं में सिंचाई की दक्षता को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनकारी परियोजना
- जल क्षेत्र में सुधारों को प्रोत्साहित करने के लिए एक सिंचाई प्रबंधन निधि की स्थापना
- एआईबीपी के साथ कमान क्षेत्र विकास का विलय करना
- विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण (ईआरएम) परियोजनाओं पर विशेष बल देना
- आधा मिलियन सिंचाई संरचनाएं प्रदान करने के लिए पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए स्थायी भूजल विकास कार्यक्रम ।

अध्याय-IV

विगत निष्पादन की समीक्षा

4.1 विगत निष्पादन की समीक्षा: पहले ही निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में वर्ष 2011-12 और 2012-13 (दिसंबर, 2012 तक) के निष्पादन संबंधी संगत सूचना क्रमश: **अनुलग्नक-I** और **अनुलग्नक-II** पर दी गई है ।

4.2 इस मंत्रालय का एक मुख्य कार्यक्रम 'त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम' और 'राष्ट्रीय परियोजना' है । इसके ब्यौरे **अनुलग्नक-III** में दिये गए हैं ।

अध्याय - V

समग्र वित्तीय समीक्षा

5.1 XIवीं योजना परिव्यय सहित जल संसाधन मंत्रालय बजट (निधि के स्कीमवार आवंटन की तुलना में व्यय की प्रवृत्ति) के ब्यौरे अनुलग्नक – IV पर दर्शाए गए हैं और वर्ष 2013-14 की वार्षिक योजना सहित XIIवीं योजना परिव्यय के ब्यौरे अनुलग्नक-V में दर्शाए गए हैं ।

वित्त वर्ष 2012-13 में व्यय का रूझान :

5.2 वर्ष 2012-13 के लिए इस मंत्रालय की वार्षिक योजना के लिए बजट प्राक्कलन 1500.00 करोड़ रूपये है जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन स्तर में कम करके 650.00 करोड़ रूपए कर दिया गया था । लेखा नियंत्रक के कार्यालय से प्राप्त व्यय संबंधी ब्यौरे के अनुसार दिसम्बर, 2012 तक 397.08 करोड़ रूपये का व्यय किया गया है जो 12-13 के बजट प्राक्कलन और संशोधित प्राक्कलन के संबंध में क्रमश: 26.47 % और 61.09 % है ।

5.3 वित्त वर्ष 12-13 के लिए जल संसाधन मंत्रालय का अनुदान 4 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है । विभिन्न क्षेत्रों के तहत दिसम्बर, 2012 तक अनुमोदित योजना परिव्यय(ब्र.प्रा./सं.प्रा. दोनों) तथा व्यय का क्षेत्रवार वितरण संक्षेप में इस प्रकार है :

(रूपये करोड़ में)

क्षेत्र	ब.प्रा. 2012-13	सं.प्रा. 2012-13	दिसम्बर, 2012 तक व्यय
वृहद एवं मध्यम सिंचाई	777.20	225.50	132.07
लघु सिंचाई	374.80	197.93	96.26
बाढ़ नियंत्रण	273.00	126.57	99.19
परिवहन क्षेत्र	75.00	100.00	66.83
स्थानान्तरण के लिए प्रविष्टि प्रतीक्षित	0.00	0.00	2.73
कुल	**1500.00**	**650.00**	**397.08**

बजट एक झलक

5.4 जल संसाधन क्षेत्र में, केन्द्रीय बजट से जल संसाधन मंत्रालय और इसके संबद्ध संगठनों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से क्रियान्वित स्कीमों, परियोजनाओं और कार्यक्रमों के संबंध में समग्र मार्गदर्शन और समन्वय की भूमिका निभाने में सहयोग मिलता है। फरक्का बराज परियोजना एक ऐसी अकेली परियोजना है जो कि मुख्यत: नौवहन परियोजना है, परन्तु यह मंत्रालय के अधीन है क्योंकि इसमें कौशल और विविध क्षेत्र शामिल होते हैं और यह मंत्रालय के क्षेत्र के भीतर अन्य हाइड्रोलिक परियोजनाओं की भांति है । जल संसाधन विकास के संबंध में मंत्रालय की भूमिका आयोजना, मार्गदर्शन, नीतिनिरूपण और सहायता की होती है ।

5.5 चूंकि 'जल' राज्य का विषय है इसलिए केन्द्र की भूमिका अनिवार्यत: कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में उत्प्रेरक स्वरूप की होती है । इसलिए केन्द्र सरकार के बजट को विभिन्न राज्य सरकारों के बजटों में प्रदान की गई निधियों द्वारा बढ़ाया जाता है ।

5.6 मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजना स्कीमें निम्नानुसार है :

केन्द्रीय क्षेत्र

1. जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास
2. जल विज्ञान परियोजना
3. मानव संसाधन विकास / क्षमता निर्माण
4. अनुसंधान और विकास कार्यक्रम
5. राष्ट्रीय जल मिशन का कार्यान्वयन
6. सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम
7. बांध पुनर्वास एवं सुधार कार्यक्रम
8. नदी बेसिन प्रबंधन
9. भूमि जल प्रबंधन और विनियमन
10. फरक्का बैराज परियोजना
11. बाढ़ पूर्वानुमान
12. नदी प्रबंधन कार्यकलाप और सीमावर्ती नदियों से संबंधित कार्य
13. अवसंरचना विकास

राज्य क्षेत्र स्कीमें

14. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम
15. जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार
16. बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम
17. कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम

5.7 पिछले 2 वर्षों में आवंटित और घटित व्यय बजट दर्शाने वाली एक तुलनात्मक तालिका-क और ख में दी गई है । विभिन्न क्षेत्रों (तालिका-क) के बीच निधि के आवंटन और जिस रूप में मंत्रालय का व्यय हुआ है (तालिका-ख) के संबंध में मंत्रालय के बजट में उल्लेख किया गया है ।

5.8 बकाया उपयोग प्रमाण पत्रों के संबंध में ब्यौरा तालिका-ग में दिया गया है ।

तालिका - क

बजट एक दृष्टि में

(क्षेत्र-वार)

(रूपये करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र/संगठन/स्कीम	वास्तविक 2011-12		ब.प्रा. 2012-13		सं.प्रा. 2012-13		ब.प्रा. 2013-14		कुल ब.प्रा. 2013-14
		योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	**सचिवालय आर्थिक सेवाएं**									
1.	जल संसाधन मंत्रालय	0.00	43.60	0.00	62.42	0.00	63.26	0.00	38.41	38.41
2.	रावी-व्यास जल अधिकरण	0.00	0.38	0.00	0.57	0.00	0.43	0.00	0.48	0.48
3.	कावेरी जल विवाद अधिकरण	0.00	1.86	0.00	2.36	0.00	1.72	0.00	2.24	2.24
4.	कृष्णा जल विवाद अधिकरण	0.00	1.67	0.00	1.75	0.00	1.85	0.00	1.95	1.95
5.	वंशधारा जल विवाद अधिकरण	0.00	1.68	0.00	4.04	0.00	3.41	0.00	4.22	4.22
6.	महादायी जल विवाद अधिकरण	0.00	0.77	0.00	4.14	0.00	2.71	0.00	3.59	3.59
	कुल: सचिवालय एवं आर्थिक सेवाएं	**0.00**	**49.96**	**0.00**	**75.28**	**0.00**	**73.38**	**0.00**	**50.89**	**50.89**
II.	**वृहद एवं मध्यम सिंचाई**									
	केन्द्रीय जल आयोग									
1.	निर्देशन एवं प्रशासन	0.00	24.69	0.00	25.03	0.00	28.47	0.00	31.41	31.41
2.	आंकड़ा संग्रह	0.00	83.40	0.00	91.77	0.00	91.34	0.00	95.02	95.02
3.	प्रशिक्षण	0.00	0.39	0.00	0.38	0.00	0.34	0.00	0.42	0.42
4.	अनुसंधान	0.00	1.87	0.00	2.14	0.00	1.83	0.00	2.01	2.01
5.	सर्वेक्षण एवं अन्वेषण	0.00	8.06	0.00	5.50	0.00	5.24	0.00	6.04	6.04
6.	परामर्शी	0.00	27.44	0.00	25.92	0.00	27.19	0.00	29.63	29,63
7.	अंतर्राष्ट्रीय निकायों का अंशदान	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.02	0.02
8.	जल पर जल संसाधन संबंधी सेमिनार एवं सम्मेलन									
9.	प्रदर्शनी एवं व्यापार मेला	0.00	0.07	0.00	0.14	0.00	0.13	0.00	0.16	0.16
10.	सीडब्ल्यूसी ऑफसेट प्रेस उपस्कर का आधुनिकीकरण	0.00	0.26	0.00	0.28	0.00	0.37	0.00	0.29	0.29

क्र. सं.	क्षेत्र/संगठन/स्कीम	वास्तविक 2011-12		ब.प्रा. 2012-13		सं.प्रा. 2012-13		ब.प्रा. 2013-14		कुल ब.प्रा. 2013-14
		योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
11.	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की मानीटरी के लिए प्रकोष्ठ	0.00	1.13	0.00	1.19	0.00	1.14	0.00	1.26	1.26
12.	जल आयोजना स्कंध	0.00	1.77	0.00	1.92	0.00	1.76	0.00	1.93	1.93
13.	चेनाब बेसिन में जल वैज्ञानिक प्रेक्षण	0.00	2.02	0.00	2.29	0.00	2.22	0.00	2.38	2.38
14.	राष्ट्रीय जल अकादमी	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल: सीडब्ल्यूसी	**3.62**	**151.10**	**0.00**	**156.58**	**0.00**	**160.05**	**0.00**	**170.57**	**170.57**
15.	केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला	0.00	8.28	0.00	8.49	0.00	10.88	0.00	12.01	12.01
16.	केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला	0.00	33.11	0.00	36.42	0.00	40.08	0.00	44.10	44.10
17.	राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान	0.00	10.17	0.00	10.05	0.00	12.00	0.00	9.65	9.65
18.	सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति	0.00	0.79	0.00	0.80	0.00	0.81	0.00	0.88	0.88
19.	बाण सागर नियंत्रण बोर्ड	0.00	0.20	0.00	0.25	0.00	0.19	0.00	0.25	0.25
20.	सतलुज यमुना संपर्क नहर परियोजना	0.00	0.00	0.00	18.04	0.00	1.63	0.00	5.79	5.79
21.	ऊपरी यमुना नदी बोर्ड	0.00	0.29	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.40	1.40
22.	अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम	34.20	0.00	100.00	0.00	35.00	0.00	50.00	0.00	50.00
23.	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	53.58	0.00	84.99	0.00	40.00	0.00	149.98	0.00	149.98
24.	जल विज्ञान परियोजना	27.65	0.00	70.00	0.00	43.72	0.00	70.00	0.00	70.00
25.	जल संसाधन विकास स्कीमों का अन्वेषण	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	सूचना, शिक्षा एवं संचार	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	नदी बेसिन संगठन/ प्राधिकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	बांध सुरक्षा अध्ययन एवं आयोजना	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	क्षेत्र/संगठन/स्कीम	वास्तविक 2011-12		ब.प्रा. 2012-13		सं.प्रा. 2012-13		ब.प्रा. 2013-14		कुल ब.प्रा. 2013-14
		योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
29.	अवसंरचना विकास	2.13	0.00	3.20	0.00	1.50	0.00	2.55	0.00	2.55
30.	मानव संसाधन विकास क्षमता निर्माण	0.00	0.00	85.00	0.00	29.90	0.00	85.00	0.00	85.00
31.	नदी बेसिन प्रबंधन	0.00	0.00	106.00	0.00	53.40	0.00	100.00	0.00	100.00
32.	राष्ट्रीय जल मिशन का कार्यान्वयन	0.00	0.00	200.00	0.00	0.25	0.00	110.00	0.00	110.00
33.	सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम	0.00	0.00	100.00	0.00	0.75	0.00	40.00	0.00	40.00
34.	बांध पुनर्वास तथा सुधार कार्यक्रम	0.00	0.00	24.00	0.00	2.30	0.00	36.00	0.00	36.00
	कुल : वृहद एवं मध्यम सिंचाई	**189.85**	**203.94**	**773.19**	**232.53**	**206.82**	**227.54**	**643.53**	**244.65**	**888.18**
III.	**लघु सिंचाई**									
1.	केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड	0.00	103.36	0.00	105.98	0.00	123.18	0.00	134.31	134.31
2.	राजीव गांधी एनजीडब्ल्यूटीआर आई	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	भूजल प्रबंधन एवं विनियमन	130.75	0.00	318.00	0.00	180.00	0.00	275.00	0.00	275.00
4.	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02
5.	अवसंरचना विकास	6.97	0.00	41.80	0.00	6.93	0.00	28.00	0.00	29.00
6.	मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण	0.00	0.00	15.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00
	कुल : लघु सिंचाई	**141.37**	**103.36**	**374.81**	**105.98**	**195.93**	**123.18**	**312.02**	**134.31**	**447.33**
IV.	**बाढ़ नियंत्रण**									
1.	केन्द्रीय जल आयोग	0.00	66.61	0.00	72.04	0.00	71.24	0.00	74.72	74.72
2.	बाढ़ पूर्वानुमान एवं चेतावनी केन्द्रों के रखरखाव के लिए भूटान सरकार को भुगतान	0.00	1.08	0.00	1.05	0.00	1.13	0.00	1.20	1.20
3.	ब्रह्मपुत्र एवं बराक बेसिन में बाढ़ पूर्वानुमान एवं जल वैज्ञानिक नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण	0.00	2.55	0.00	2.53	0.00	2.74	0.00	3.04	3.04
	कुल : केन्द्रीय जल आयोग	**0.00**	**70.24**	**0.00**	**75.62**	0.00	**75.11**	0.00	**78.96**	**78.96**

क्र. सं.	क्षेत्र/संगठन/स्कीम	वास्तविक 2011-12		ब.प्रा. 2012-13		सं.प्रा. 2012-13		ब.प्रा. 2013-14		कुल ब.प्रा. 2013-14
		योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
4.	पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्रों में आपातिक बाढ़ सुरक्षा उपाय	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00
5.	पगलादिया बांध परियोजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	बाढ़ पूर्वानुमान	33.13	0.00	48.00	0.00	30.00	0.00	150.00	0.00	150.00
7.	सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित नदी प्रबंधन गतिविधियां एवं कार्य	135.98	0.00	125.00	0.00	30.00	0.00	125.00	0.00	125.00
8.	अवसंरचना विकास	5.73	0.00	10.00	0.00	6.57	0.00	19.45	0.00	18.45
9.	नदी बेसिन प्रबंधन	0.00	0.00	94.00	0.00	80.68	0.00	100.00	0.00	100.00
	कुल: बाढ़ नियंत्रण	**174.84**	**70.24**	**277.00**	**78.62**	**147.25**	**78.11**	**394.45**	**81.96**	**475.41**
V.	अन्य परिवहन सेवाएं									
1.	फरक्का बैराज परियोजना	69.46	33.71	75.00	41.14	100.00	50.31	150.00	56.17	206.17
2.	जांगीपुर बैराज	0.00	2.17	0.00	2.37	0.00	2.26	0.00	2.56	2.56
3.	पोषक नहर	0.00	4.17	0.00	5.08	0.00	5.07	0.00	6.01	6.01
	कुल: परिवहन सेवाएं	**69.46**	**40.06**	**75.00**	**48.59**	**100.00**	**57.64**	**150.00**	**64.74**	**214.74**
	कुल: (I से V) *	**575.52**	**467.57**	**1500.00**	**541.00**	**650.00**	**559.85**	**1500.00**	**576.55**	**2076.55**
VI.	एआईबीपी एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम**	**7459.01**	**0.00**	**14242.00**	**0.00**	**7342.00**	**0.00**	**12962.00**	**0.00**	**12962.00**
	कुल जोड़	**8034.53**	**467.55**	**15742.00**	**541.00**	**7992.00**	**559.85**	**14462.00**	**576.55**	**15038.55**

*वित्त का स्रोत : * 2013-2014 के लिए जल संसाधन मंत्रालय की मांग सं. 104 (एआईबीपी को छोड़कर)*

*** मांग सं. 36 में दर्शाए गए विवरण-वित्त मंत्रालय (राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अंतरित)*

तालिका-ख

बजट एक दृष्टि में
(व्यय का प्रकार)

(रूपये करोड़ में)

क्र.सं	क्षेत्र/संगठन/स्कीम	वास्तविक 2011-12		ब.प्रा. 2012-13		सं.प्रा. 2012-13		ब.प्रा. 2013-14		कुल ब.प्रा. 2013-14
		योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
क.	प्रत्यक्ष व्यय									
1.	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	0.00	49.96	0.00	75.28	0.00	73.38	0.00	50.89	50.89
2.	केन्द्रीय जल आयोग									
	-वृहद एवं मध्यम सिंचाई	3.62	151.10	0.00	156.58	0.00	160.05	0.00	170.57	170.57
	-बाढ़ नियंत्रण	0.00	70.24	0.00	75.62	0.00	75.11	0.00	78.96	78.96
3.	केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला	0.00	8.28	0.00	8.49	0.00	10.88	0.00	12.01	12.01
4.	केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला	0.00	33.11	0.00	36.42	0.0	40.08	0.00	44.10	44.10
5.	केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड	0.00	103.36	0.00	105.98	0.00	123.18	0.00	134.31	134.31
6.	राजीव गांधी और एनजीडब्ल्यूटीआरआई	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	फरक्का बैराज परियोजना	69.46	40.06	75.00	48.59	100.00	57.64	150.00	64.74	214.74
8.	बोर्ड एवं समितियां	0.00	1.28	0.00	2.95	0.00	2.90	0.00	2.53	2.53
	कुल : प्रत्यक्ष व्यय	**76.73**	**457.39**	**75.00**	**509.91**	**100.00**	**543.22**	**150.00**	**558.11**	**708.11**
ख.	जारी की गई राशि									
(क)	स्वायत्त निकायों को अनुदान									
1.	राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान	0.00	10.17	0.00	10.05	0.00	12.00	0.00	9.65	9.65
2.	अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम	34.20	0.00	100.00	0.00	35.00	0.00	50.00	0.00	50.00
	-वृहद एवं मध्यम सिंचाई									
3.	पगलादिया बांध परियोजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उप-जोड़ (क) स्वायत्त निकायों को अनुदान	**34.20**	**10.17**	**100.00**	**10.05**	**35.00**	**12.00**	**50.00**	**9.65**	**59.65**
(ख)	बाढ़ नियंत्रण/कटावरोधी कार्यों के लिए राज्यों को सहायता									
1.	पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्रों में आपातिक बाढ़ सुरक्षा उपाय	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00
	उप-जोड़ (ख) : बाढ़ नियंत्रण/ कटावरोधी कार्यों के लिए राज्यों को सहायता	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3.00**	**0.00**	**3.00**	**0.00**	**3.00**	**3.00**

क्र.सं	क्षेत्र/संगठन/स्कीम	वास्तविक 2011-12		ब.प्रा. 2012-13		सं.प्रा. 2012-13		ब.प्रा. 2013-14		कुल ब.प्रा. 2013-14
		योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
(ग)	राज्य सिंचाई स्कीमें									
1.	सतलज यमुना संपर्क नहर	0.00	0.00	0.00	18.04	0.00	1.63	0.00	5.79	5.79
	कुल : जारी की गई कुल राशि (क) से (ग)	34.20	10.17	100.00	31.09	35.00	16.63	50.00	18.44	68.44
	कुल (क+ख)*	**110.93**	**467.56**	**175.00**	**541.00**	**135.00**	**559.85**	**200.00**	**576.55**	**776.55**
ग	अन्य योजना स्कीमें									
	वृहद एवं मध्यम सिंचाई									
1.	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	53.58	0.00	84.99	0.00	40.00	0.00	149.98	0.00	149.98
2.	जल विज्ञान परियोजना	27.65	0.00	70.00	0.00	43.72	0.00	70.00	0.00	70.00
3.	जल संसाधन विकास स्कीमों का अन्वेषण	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	सूचना, शिक्षा और संचार	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	नदी बेसिन संगठन/प्राधिकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	बांध सुरक्षा अध्ययन और आयोजना	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	अवसंरचना विकास	2.13	0.00	3.20	0.00	1.50	0.00	2.55	0.00	2.55
8.	मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण	0.00	0.00	85.00	0.00	29.90	0.00	85.00	0.00	85.00
9.	नदी बेसिन प्रबंधन	0.00	0.00	106.00	0.00	53.40	0.00	100.00	0.00	100.00
10.	राष्ट्रीय जल मिशन का कार्यान्वयन	0.00	0.00	200.00	0.00	0.25	0.00	110.00	0.00	110.00
11.	सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम	0.00	0.00	100.00	0.00	0.75	0.00	40.00	0.00	40.00
12.	बांध पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम (डीआरआईपी)	0.00	0.00	24.00	0.00	2.30	0.00	36.00	0.00	36.00
	कुल –वृहद एवं मध्यम सिंचाई	**152.03**	**0.00**	**673.19**	**0.00**	**171.82**	**0.00**	**593.53**	**0.00**	**593.53**
	लघु सिंचाई									
1.	भूजल प्रबंधन और विनियमन	130.74	0.00	318.00	0.00	180.00	0.00	275.00	0.00	275.00
2.	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02
3.	अवसंरचना विकास	6.97	0.00	41.80	0.00	6.93	0.00	28.00	0.00	28.00
4.	मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण	0.00	0.00	15.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00
	कुल – एमआई	**137.71**	**0.00**	**374.81**	**0.00**	**195.93**	**0.00**	**312.02**	**0.00**	**312.02**
	बाढ़ नियंत्रण									
1.	बाढ़ नियंत्रण	33.13	0.00	48.00	0.00	30.00	0.00	150.00	0.00	150.00
2.	नदी प्रबंधन गतिविधियां और सीमावर्ती क्षेत्र संबंधी कार्य	135.98	0.00	125.00	0.00	30.00	0.00	125.00	0.00	125.00

क्र.सं	क्षेत्र/संगठन/स्कीम	वास्तविक 2011-12		ब.प्रा. 2012-13		सं.प्रा. 2012-13		ब.प्रा. 2013-14		कुल ब.प्रा. 2013-14
		योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3.	अवसंरचना विकास	5.73	0.00	10.00	0.00	6.57	0.00	19.45	0.00	19.45
4.	नदी बेसिन प्रबंधन	0.00	0.00	94.00	0.00	80.68	0.00	100.00	0.00	100.00
	कुल –बाढ़ नियंत्रण	**174.84**	**0.00**	**277.00**	**0.00**	**147.25**	**0.00**	**394.45**	**0.00**	394.45
	कुल –(क+ख+ग)*	575.51	467.56	1500.00	541.00	650.00	559.85	1500.00	576.55	2076.55
(घ)	एआईबीपी और दूसरे जल संसाधन कार्यक्रम**	7459.01	0.00	14242.00	0.00	7342.00	0.00	12962.00	0.00	12962.00
	कुल जोड़ (क+ख+ग+घ)	8034.53	467.56	15742.00	541.00	7992.00	559.85	14462.00	576.55	15038.55

*वित्त का स्रोत : * 2013-2014 के लिए जल संसाधन मंत्रालय की मांग सं. 104 (एआईबीपी को छोड़कर)*

*** मांग सं. 36 में दर्शाए गए विवरण-वित्त मंत्रालय (राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अंतरित)*

तालिका – ग

31.3.2011 तक जारी किए गए अनुदान/ऋण के संबंध में बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र

01.10.2012 तक स्थिति

(रुपये करोड़ में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मार्च, 11 तक जारी अनुदानों के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्रों की सं.	शामिल राशि (रूपये करोड़ में)	प्राप्त उपयोग प्रमाण पत्रों की संख्या	प्राप्त उपयोग प्रमाण पत्रों में शामिल राशि	01.10.2012 को बकाया उपयोग प्रमाण पत्रों की सं.	बकाया उपयोग प्रमाण पत्रों में शामिल राशि (रूपये करोड़ में)
1	2	3	4	5	6	7
संस्थान और स्वायत्त निकाय	196	22.17	9	0.48	187	21.69
*राज्य सरकारें	11	20.29	5	5.18	7	15.12

*विभिन्न राज्य सरकारों को जारी अनुदान/ऋणों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण-पत्रों का ब्यौरा

एसएमडी का नाम	मार्च, 11 तक जारी अनुदानों के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्रों की सं.	शामिल राशि (रूपये करोड़ में)	प्राप्त उपयोग प्रमाण पत्रों की संख्या	प्राप्त उपयोग प्रमाण पत्रों में शामिल राशि	01.10.2012 को बकाया उपयोग प्रमाण पत्रों की सं.	बकाया उपयोग प्रमाण पत्रों में शामिल राशि (रूपये करोड़ में)
1	2	3	4	5	6	7
लघु सिंचाई	3	0.28	0	0	3	0.28
कमान क्षेत्र विकास	8	20.01	5	5.18	4	14.84
कुल	11	20.29	5	5.18	7	15.12

अध्याय - VI

सांविधिक/स्वायत्त संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य निष्पादन की समीक्षा

सांविधिक निकाय

6.1 ब्रह्मपुत्र बोर्ड

6.1.1 गठन : ब्रह्मपुत्र बोर्ड का गठन संसद के अधिनियम (ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम नामक 1980 का अधिनियम 46) द्वारा 1980 में की गई थी जिसका उद्देश्य ब्रह्मपुत्र एवं बराक घाटी में बाढ़ तथा तट कटाव नियंत्रण एवं जल निकास में सुधार और तत्संबंधी मामलों अर्थात् क्षेत्र में जल संसाधन के विकास के लिए आयोजना और एकीकृत उपाय करना था। इस बोर्ड ने 11 जनवरी, 1982 से कार्य करना प्रारंभ किया जिसका मुख्यालय गुवाहाटी, असम में है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड के कार्यक्षेत्र में अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा राज्य और पश्चिम बंगाल (उत्तरी क्षेत्र) शामिल हैं ।

6.1.2 बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महाप्रबंधक और वित्तीय सलाहकार के रूप में पदेन सदस्य तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के सात राज्यों, पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी), भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों अर्थात जल संसाधन वित्त, कृषि, विद्युत, सतही परिवहन मंत्रालय तथा भारत सरकार के संगठनों नामत: केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), केंद्रीय विद्युत बोर्ड प्राधिकरण (सीईए), भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) और भारतीय भू विज्ञानीय सर्वेक्षण विभाग (जीएसआई) का प्रतिनिधित्व करने वाले 17 अंशकालिक सदस्य शामिल है। कुछ सदस्य - सलाहकार (पूर्वोत्तर), योजना आयोग, भारत सरकार, मुख्य अभियन्ता (ब्रह्मपुत्र एवं बराक बेसिन संगठन), केन्द्रीय जल आयोग, सचिव, जलमार्ग विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, सचिव, सिंचाई विभाग, सिक्किम सरकार और सचिव, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (डीओएनईआर), भारत सरकार, ब्रह्मपुत्र बोर्ड की बैठकों में विशेष आमंत्री के रूप में भाग लेते हैं।

6.1.3 प्रमुख कार्य

(क) सिंचाई, जल विद्युत, नौवहन एवं अन्य लाभदायी उद्देश्यों से ब्रह्मपुत्र घाटी के जल संसाधन के विकास एवं उपयोग सहित ब्रह्मपुत्र एवं बराक घाटी में 'सर्वेक्षण एवं अन्वेषण' शुरू करना और ब्रह्मपुत्र एवं बराक घाटी में बाढ़ नियंत्रण, तटकटाव एवं जल निकास सुधार के लिए मास्टर योजनाएं तैयार करना और तत्संबंधी क्रियाकलाप,

(ख) बांधों और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मास्टर योजनाओं में अभिज्ञात अन्य परियोजनाओं के चरणबद्ध निर्माण / कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार (सरकारों) के साथ परामर्श से कार्यक्रम तैयार करना,

(ग) विस्तृत परियोजना रिपोर्टें एवं अनुमान तैयार करना और बांधों एवं अन्य परियोजनाओं के संबंध में राज्यों के बीच लागत में भागीदारी,

(घ) ऐसे बांधों एवं अन्य परियोजनाओं के निर्माण, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए मानकों एवं विनिर्देशों को अन्तिम रूप देना और

(ड.) भारत सरकार के अनुमोदन पर मास्टर योजनाओं में अभिज्ञात बहुउद्देशीय एवं अन्य जल संसाधन परियोजनाओं का निर्माण, प्रचालन एवं अनुरक्षण ।

6.1.4 ब्रह्मपुत्र बोर्ड के कार्यकलाप

(क) ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने वर्ष 2003-04 में माजुली द्वीप पर कटावरोधी कार्य शुरू किए थे । प्रारंभ में 'तत्काल उपायों' के अन्तर्गत 5.92 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से क्रियाकलाप शुरू किए गए थे और वर्ष 2004-05 में कार्य पूरा किया गया था । इन कार्यों के बाद चरण -I के तहत सुरक्षा कार्य किए गए (56.07 करोड़ रुपये की संशोधित लागत पर) । चरण -I के अन्तर्गत परिकल्पित कार्य अप्रैल, 2011 में पूरे किए गए थे । चरण - I के तहत कुल व्यय 53.40 करोड़ रुपये था । चरण -II एवं III के अन्तर्गत 115.99 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कार्य जारी हैं और अबतक 59.87 करोड़ रुपये के व्यय से 51.54 प्रतिशत वास्तविक प्रगति हुई है । इसी बीच चरण II एवं III के अन्तर्गत कार्य शुरू करने से पहले 4.62 करोड़ रुपये की लागत से 'आपातिक कार्यों' के रूप में कुछ अत्यावश्यक संरक्षण उपाय शुरू किए गए थे ।

(ख) लोहित और दिबांग नदियों के मूल चैनलों के पुनरुद्धार का कार्य ब्रह्मपुत्र बोर्ड को सौंपा गया था । इन कार्यों को चरणबद्ध रूप से किए जाने की योजना थी । पुनरुद्धार कार्य वर्ष 2003-04 में शुरू किए गए थे । चरण I, चरण II और चरण III के अन्तर्गत कार्य पूरे कर लिए गए थे । चरण IV के अन्तर्गत 54.43 करोड़ रुपये की लागत के कार्य जारी हैं और 29.88 करोड़ रुपये के व्यय से लगभग 50 प्रतिशत वास्तविक प्रगति हुई है ।

(ग) हरांग जल निकास विकास स्कीम (अनुमानित लागत - 30.49 करोड़ रुपये) मार्च 2011 में पूरी कर ली गई है । पूर्वी बारपेटा जल निकास विकास स्कीम (अनुमानित लागत - 2.9562 करोड़ रुपये) जून 2011 में पूरी कर ली गई है और 04.08.2012 को असम राज्य सरकार को सौंप दी गई है । अन्य 5 (पांच) जल निकास विकास स्कीमें - बारभग(अनुमानित लागत - 14.80 करोड़ रुपये), अमजुर (अनुमानित लागत - 14.15 करोड़ रुपये), जेंगराई (अनुमानित लागत -1.49 करोड़ रुपये) और जकाईचुक (अनुमानित लागत - 2.96 करोड़ रुपये) जारी हैं । इन स्कीमों के अन्तर्गत प्राप्त की गई वास्तविक उपलब्धि क्रमश: 46 प्रतिशत, 33 प्रतिशत, 27 प्रतिशत और 45.01 प्रतिशत है ।

3 (तीन) उपबेसिन मास्टर योजनाएं - वैखीरवी, उमत्रयू और गनौल तैयार करने का कार्य ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा वर्ष 2012-13 के दौरान शुरू किया गया है । अबतक लगभग 40 प्रतिशत आंकड़े एकत्रित कर लिए गए हैं ।

(घ) 5 बहुउद्देशीय परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने के लिए फील्ड अन्वेषण जारी हैं । कुल्सी और नोआ - दिहांग की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने में लगभग 20 प्रतिशत प्रगति हुई है ।

(ड.) जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार के बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कीमों के 'मूल्यांकन एवं निगरानी' का कार्य भी ब्रह्मपुत्र बोर्ड को सौंपा गया है । इन स्कीमों के संबंधमें ब्रह्मपुत्र बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर राज्यों को वित्तीय सहायता दी गई थी और ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा पर्याप्त संख्या में स्कीमों का मूल्यांकन और इन्हें स्वीकृति भी दी गई है ।

6.2 रावी और व्यास जल अधिकरण :

6.2.1 रावी और व्यास जल अधिकरण जो कि पंजाब समझौता ज्ञापन के अनुसार अप्रैल 1986 में स्थापित किया गया था, उसने जनवरी 1987 में अपने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। यह रिपोर्ट मई 1987 में संबंधित राज्य सरकारों को भेज दी गई। केंद्रीय सरकार द्वारा संदर्भ तथा रिपोर्ट के कतिपय बिन्दुओं के संबंध में स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए प्रजाब, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों से प्राप्त हुए संदर्भों से युक्त एक और संदर्भ अगस्त 1987 में अधिकरण को भेजा गया। यह अधिकरण 09.03.89 से लेकर 17.11.96 तक तथा 04.01.99 से लेकर 09.06.2003 तक काम नहीं कर सका था क्योंकि इन अवधियों के दौरान सदस्य का पद खाली पड़ा रहा। 10.06.2003 को पद के भरे जाने के बाद अधिकरण सुनवाई करता रहा है लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने पंजाब समझौता समापन अधिनियम 2004 पर राष्ट्रपति संदर्भ के निलंबित होने के कारण सुनवाई स्थगित करनी पड़ी। अध्यक्ष की मृत्यु और सदस्य द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के कारण अधिकरण की कार्य प्रणाली पुन:प्रभावित हुई है।

6.3 कावेरी जल विवाद अधिकरण :

6.3.1 अंतर्राज्यीय नदी कावेरी और उसकी नदी घाटी के संबंध में जल विवाद पर अधिनिर्णय देने के लिए 2 जून, 1990 को भारत सरकार द्वारा कावेरी जल विवाद अधिकरण (सीडब्ल्यूडीटी) का गठन किया गया था जिसमें माननीय अध्यक्ष और दो सदस्य शामिल थे । अधिकरण ने अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 5(2) के तहत अपनी रिपोर्ट और निर्णय 05.2.2007 को प्रस्तुत किया। संबंधित राज्यों ने इस अधिनियम की धारा 5(3) के अंतर्गत स्पष्टीकरण और मार्गदर्शन की मांग की है।

- पक्षकार राज्यों और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र तथा केंद्र सरकार की ओर से अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 5(3) के अंतर्गत दायर की गई याचिका पर अधिकरण द्वारा 10.72007 को विचार किया गया। माननीय अधिकरण ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पक्षकार राज्यों ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष 5 फरवरी, 2007 के अधिकरण के निर्णय के विरूद्ध विशेष अनुमति याचिका दायर की है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति मंजूर की है तथा यह माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है। माननीय अधिकरण ने यह आदेश दिया कि अधिकरण द्वारा आगे की कार्रवाई तभी की जाएगी जब विशेष अनुमति याचिका पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय उपलब्ध हो जाता है।

- अधिकरण ने तदनुसार 10 जुलाई, 2007 को पक्षकार राज्यों की याचिकाओं पर विचार किया । इस संबंध में अधिकरण ने अन्य बातों के साथ - साथ यह पाया कि :
  "ऐसा प्रतीत होता है कि कर्णाटक राज्य, तमिलनाडु राज्य और केरल राज्य ने इस अधिकरण के दिनांक 5 फरवरी, 2007 के उपर्युक्त निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी । उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति प्रदान कर दी । अपीलें लम्बित हैं । हमारे अनुसार इस परिदृश्य में कथित अधिनियम की धारा 5(3) के अन्तर्गत इन आवेदनों पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलों का निस्तारण किए जाने के बाद आदेशों हेतु विचार किया जाना चाहिए" ।

तमिलनाडु राज्य के विरुद्ध कर्णाटक राज्य की 2007 की सिविल अपील संख्या 2453 और केरल राज्य एवं तमिलनाडु राज्य की क्रमश: 2007 की सिविल अपील संख्या 2454 और 2007 की सिविल अपील संख्या 2456, 18 अक्तूबर, 2011 को भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रारंभिक सुनवाई हेतु रखी गईं और माननीय न्यायालय ने उल्लेख किया कि पक्षकारों की ओर से पैरवी कर रहे काबिल वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह दस्तावेज प्रस्तुत किया कि इन अपीलों के लिए 6 नियमित सुनवाई दिनों से अधिक समय लगने की सम्भावना है । प्रस्तुत किए गए इस दस्तावेज को दृष्टिगत रखते हुए भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेशों के शर्ताधीन अपीलों को अन्तिम निस्तारण हेतु फरवरी, 2012 के माह में उपयुक्त पीठ के समक्ष रखा जाए । तत्पश्चात् माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अबतक मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है ।

इस प्रकार धारा 5(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत उपलब्ध समय को 02.11.2013 तक बढ़ा दिया गया है और यह आशा की जाती है कि इस दिनांक तक माननीय उच्चतम न्यायालय इसके समक्ष लम्बित अपीलों का निस्तारण कर देगा और तत्पश्चात् इस अधिकरण के समक्ष दायर की गई याचिकाएं आदेशों हेतु प्रस्तुत की जाएंगी और अन्त में तदनुसार निस्तारित कर दी जाएंगी ।

6.4 कृष्णा जल विवाद अधिकरण :

6.4.1 अंतर्राज्यीय नदी कृष्णा एवं इसकी नदी घाटियों के जल के बंटवारे से संबंधित विवादों के अधिनिर्णय के लिए 2 अप्रैल, 2004 को कृष्णा जल विवाद अधिकरण (केडब्ल्यूडीटी) का गठन किया गया था। रिट याचिका संख्या 408 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि अधिकरण के गठन की प्रभावी तारीख 01.02.2006 होगी । परिणामस्वरूप, अधिकरण का कार्यकाल आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार 31.12.2010 तक बढ़ा

दिया गया था । अधिनियम की धारा 5(2) के अन्तर्गत अधिकरण की रिपोर्ट और निर्णय 30 दिसंबर, 2010 को जल संसाधन मंत्रालय को अग्रेषित कर दिया गया था ।

6.4.2 इस संबंध में कार्यवाही जारी है । एक-दूसरे को लिखित उत्तर एवं रिजोईंडर भेजे जाने के बाद पक्षकार राज्यों की ओर से दलीलें रख दी गई हैं । कर्णाटक राज्य उत्तर में अपने विचार भेजता रहा था जिसके बाद महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्य के उत्तर आने थे और तत्पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा उनका पक्ष रखा जाना था । परंतु माननीय श्री जस्टिस एस. पी. श्रीवास्तव के बीमार हो जाने और 09 अगस्त, 2012 को उनके असामयिक निधन होने के कारण जुलाई और अगस्त 2012 के महीनों में निर्धारित सुनवाइयां नहीं हो सकीं । माननीय श्री जस्टिस बी. पी. दास ने 21.01.2013 को सदस्य का कार्यभार ग्रहण कर लिया है । पक्षकार राज्यों द्वारा उनके विचार प्रस्तुत किए जाने और केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर में दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने की प्रक्रिया में कुछ समय लगेगा ।

6.5 वंसधारा जल विवाद अधिकरण

6.5.1 माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या 443/2006 में दिए गए निर्देशों के अनुसरण में वंसधारा जल विवाद अधिकरण (वीडब्ल्यूडीटी) का गठन भारत सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय नदी वंसधारा और संबंधित नदी घाटी के संदर्भ में जल विवाद का न्यायनिर्णयन करने के लिये 24 फरवरी, 2010 को किया गया था । तत्कालीन माननीय अध्यक्ष और सदस्यों ने उसी तारीख को कार्यभार ग्रहण किया था । तत्पश्चात् केन्द्र सरकार ने 30.03.2011 को दूसरा अध्यक्ष नामांकित किया । नए अध्यक्ष ने भारत के उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त होने के बाद 17.09.2011 को कार्यभार ग्रहण किया ।

6.5.2 अधिकरण के पूर्व अध्यक्ष ने केन्द्रीय जल आयोग, सेवा भवन, सेक्टर - 1, आर. के. पुरम, नई दिल्ली स्थित कार्यालय में 09 सितम्बर, 2010 और 23 नवम्बर, 2010 को दो प्रारंभिक बैठकें की थी । इसी बीच एक सदस्य माननीय श्री जस्टिस निर्मल सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और केन्द्र सरकार ने उनके स्थान पर 08.05.2012 को माननीय श्री जस्टिस गुलाम मोहम्मद, पूर्व न्यायाधीश, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को नियुक्त किया । माननीय उच्चतम न्यायालय के 20.09.2011 के निर्देशों के अनुसार अधिकरण ने जल संसाधन मंत्रालय से अनुमोदन लेने के बाद माननीय अध्यक्ष के लिए एक निजी रिहायशी भवन किराए पर लिया । अनुरोध किए जाने के बाद भी अबतक माननीय अध्यक्ष और सदस्यों को कोई सरकारी रिहायशी भवन उपलब्ध नहीं कराया गया है । तत्पश्चात् अधिकरण ने 03 अक्तूबर, 2012 और 04 दिसम्बर, 2012 को नये भवन में दो बैठकें आयोजित कीं । दोनों राज्यों के अधिवक्ताओं को उनके द्वारा दायर किए गए केसों के वक्तव्य के संबंध में उत्तर एवं रिजोईंडर, यदि कोई हो, दायर करने के निर्देश दिए गए हैं । मामले की सुनवाई के लिए अगली दिनांक 22 और 23 जनवरी, 2013 निर्धारित की गई है ।

6.6 महादायी जल विवाद अधिकरण

6.6.1 महादायी जल विवाद अधिकरण (एमडब्ल्यूडीटी) का गठन भारत सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय नदी महादायी और संबंधित नदी घाटी के संदर्भ में जल विवाद का न्यायनिर्णयन करने के लिये 16 नवंबर, 2010 को किया गया था ।

स्वायत्त निकाय (सोसाइटियां) :-

6.7 राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

6.7.1 जल संसाधन मंत्रालय (एमओडब्ल्यूआर) और केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने 1980 में जल संसाधन विकास के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की जिसमें देश में जल की अधिकता वाले क्षेत्रों से जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल के अंतर बेसिन अंतरण की योजना है जिसमें दो घटक अर्थात हिमालयी नदी विकास घटक और प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक शामिल हैं। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) जो कि सिंचाई मंत्रालय (अब जल संसाधन मंत्रालय) के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसाइटी है, की स्थापना जल संसाधन विकास हेतु राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के प्रायद्वीपीय घटक के संबंध में व्यापक अध्ययन, सर्वेक्षण और अन्वेषण के लिए 1982 में की गई थी। एनडब्ल्यूडीए के कार्य दिनांक 26.08.1981 की राजपत्र अधिसूचना संख्या1(7)/80-पीपी के पैरा-4 के तहत प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात सरकार ने जल संसाधन विकास हेतु राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के हिमालयी घटक को शामिल करने के लिए 11 मार्च, 1994 के संकल्प संख्या 22/27/92-बीएम, दिनांक 26.08.1981 के संकल्प संख्या 1(7)/80-पीपी के पैरा 3 व 5 में उल्लिखित सोसाइटी व शासी निकाय के गठन के लिए 13 फरवरी, 2003 और 12 मार्च, 2004 के संकल्प संख्या 2/9/2002-बीएम द्वारा संशोधन किया तथा राज्यों की सहमति के बाद जल संसाधन विकास हेतु राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) के अंतर्गत नदी संपर्क प्रस्तावों की डीपीआर तैयार करने के कार्य को शामिल करने के लिए दिनांक 30.11.2006 की अधिसूचना संख्या 2/18/2005-बीएम द्वारा एनडब्ल्यूडीए के कार्यों में संशोधन किया।

6.7.2 यह निर्णय लिया गया है कि एनडबल्यूडीए अंत: राज्यीय संपर्कों की डीपीआर भी तैयार कर सकता है तथा बढ़ाए गए कार्यों की अधिसूचना "भारत के राजपत्र में दिनांक 11 जून, 2011" को प्रकाशित की जा चुकी है।

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा उपर्युक्त कार्यों को करने के लिए उनके कार्यों में निम्न संशोधन किए गए हैं :-

क) प्रायद्वीपीय नदी विकास और हिमालयी नदी विकास घटकों के प्रस्ताव की व्यवहार्यता स्थापित करने के लिए संभावित जलाशय स्थलों के विस्तृत सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य

करना और संपर्कों को आपस में जोड़ना जो तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय (अब जल संसाधन मंत्रालय) और केंद्रीय जल आयोग द्वारा तैयार की गई जल संसाधन विकास संबंधी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के हिस्सा हैं।

ख) विभिन्न प्रायद्वीपीय नदी प्रणालियों और हिमालयी नदी प्रणालियों और जिन्हें भविष्य में बेसिन राज्यों की वास्तविक आवश्यकताएं पूरी करने के पश्चात अन्य बेसिनों/राज्यों को हस्तांतरित किया जा सकता हो, में जल की मात्रा के बारे में विस्तृत अध्ययन करना।

ग) प्रायद्वीपीय नदी विकास और हिमालयी नदी विकास से संबंधित स्कीमों के विभिन्न घटकों की व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करना।

घ) संबंधित राज्यों की सहमति के पश्चात जल संसाधन विकास संबंधी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत नदी संपर्क प्रस्तावों की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करना।

ड.) राज्यों द्वारा प्रस्ताव किए जा सकने वाले अंत: राज्य संपर्कों की व्यवहार्यतापूर्व/व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करना। व्यवहार्यता-पूर्व रिपोर्टें/डीपीआर प्रारंभ करने से पहले इन प्रस्तावों के लिए संबंधित सह बेसिन राज्यों की सहमति प्राप्त की जा सकती है।

च) ऐसी सभी अन्य कार्रवाइयां करना जो उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह सोसाइटी आवश्यक, प्रासंगिक, अनुपूरक अथवा अनुकूल समझती है।

6.7.3 माननीय जल संसाधन मंत्री राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण सोसाइटी के अध्यक्ष हैं जो कि एन. डब्ल्यू डी ए. का शीर्षस्थ निकाय है । अभिकरण के कार्यक्रम और प्रगति की समीक्षा करने के लिए सोसाइटी की वार्षिक आम बैठक वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। सचिव (जल संसाधन) की अध्यक्षता में एनडब्ल्यूडीए का शासी निकाय प्रत्येक छ: महीने में कार्यक्रम और कार्यों की प्रगति की समीक्षा करता है। अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में अभिकरण की तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) अभिकरण द्वारा तैयार किए गए विभिन्न तकनीकी प्रस्तावों की जांच करती है। सभी संबंधित राज्यों का इन समितियों में प्रतिनिधित्व है।

6.7.4 विभिन्न अध्ययनों के आधार पर एनडब्ल्यूडीए ने व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर) तैयार करने के लिए 30 संपर्कों (प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 16 और हिमालयी घटक के अंतर्गत 14) की पहचान की है। इनमें से प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 14 संपर्कों एवं हिमालयी घटक के अंतर्गत 2 संपर्कों (भारतीय भाग) की व्यवहार्यता-पूर्व रिपोर्ट (पीएफआरएस) पूरी हो चुकी हैं । इसके अतिरिक्त हिमालयी घटक के अंतर्गत अन्य 7 संपर्कों के संबंध में सर्वेक्षण एवं अन्वेषण (भारतीय भाग) पूरे कर लिए गए है । मार्च, 2012 तक राज्यों द्वारा प्रस्तावित 21 अंत:राज्यीय संपर्कों की भी व्यवहार्यता पूर्व रिपोर्टें (पीएफआरएस) पूरी कर ली गई हैं ।

6.7.5 एनडब्ल्यूडीए द्वारा 2012-13 के दौरान (दिसंबर 2012 तक) आईएलआर कार्यक्रम पर 33.79 करोड़ रूपये का व्यय किया गया था। वर्ष के दौरान एनडब्ल्यूडीए द्वारा विभिन्न अध्ययन जारी रखे गए। इसके अतिरिक्त, केन-बेतवा संपर्क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पूरी की गई है। दिनांक 03.02.2010 को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के प्रधान सचिवों के साथ हुई सचिव स्तरीय बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार डीपीआर दो चरणों में तैयार की जाएगी।

चरण-I की डीपीआर तैयार करके मई, 2010 में संबंधित राज्यों को भेज दी गई है तथा चरण-II की डीपीआर शुरू कर दी गई है तथा दो और संपर्क अर्थात, पार-तापी-नर्मदा एवं दमनगंगा-पिंजाल वर्ष 2008-09 में प्रारंभ किए गए तथा इनका कार्य 2010-11 व 2011-12 के दौरान प्रगति पर था। बिहार के 2 अंत: राज्यीय संपर्कों की डीपीआर तैयार करने का कार्य 2012-13 में प्रगति पर था और अभी चल रहा है। 2 और विस्तृत परियोजना रिपोर्टों, एक महाराष्ट्र की और एक तमिलनाडु की, का कार्य भी शुरू किया गया है ।

6.7.6 वर्ष 2013-14 के दौरान एनडब्ल्यूडीए के लिए 63.20 करोड़ रूपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। एनडब्ल्यूडीए यह आईएलआर कार्यक्रम के लिए आवश्यक सर्वेक्षण एवं जांच कार्य एवं दो संपर्कों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी का कार्य जारी रखेगा। इसके अतिरिक्त, हिमालयी घटक (भारतीय भाग) में चार संपर्कों का सर्वेक्षण एवं जांच कार्य पूर्ण करने की योजना है। विभिन्न राज्यों द्वारा प्रस्तावित 6 अंत:राज्यीय संपर्कों की व्यवहार्यता पूर्व रिपोर्टें भी पूरी की जाएंगी और 2 अंत: राज्यीय संपर्कों की डीपीआर की तैयारी जारी रहेगी। दो नए अंत:राज्य सम्पर्कों को तैयार करने का कार्य भी शुरू किया गया है । केन-बेतवा, पार-तापी-नर्मदा और दमनगंगा-पिंजाल सम्पर्क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के बाद का कार्य वर्ष 2013-14 के दौरान किया जाना होगा ।

6.8 राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (एनआईएच) :

6.8.1 राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, जल संसाधन मंत्रालय के तहत भारत सरकार की एक संस्था है जिसकी स्थापना 1978 में रूड़की में हुई थी। यह संस्थान जल विज्ञान और जल संसाधन विकास के क्षेत्र में मूल, अनुप्रयुक्त और नीतिगत अनुसंधान संबंधी कार्य कर रहा है।

6.8.2 उद्देश्य

- जल विज्ञान के सभी क्षेत्रों में व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक कार्य करना, उसकी सहायता करना, बढ़ावा देना और समन्वय करना।
- जल विज्ञान के क्षेत्र में अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहायता और सहयोग करना।
- सोसाइटी के लक्ष्यों के अनुसरण में एक अनुसंधान और संदर्भ पुस्तकालय स्थापित करना और बनाए रखना तथा उसे पुस्तकों, समीक्षाओं, पत्रिकाओं तथा संगत प्रकाशनों से सुसज्जित करना ; तथा
- ऐसे सभी क्रियाकलाप करना जो कि सोसायटी उन लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए जिनके लिए संस्थान की स्थापना की गई है जरूरी, प्रासंगिक, पूरक अथवा अनुकूल समझे।

6.8.3 संगठन - जल संसाधन मंत्री एनआईएच सोसाइटी के अध्यक्ष हैं और जल संसाधन राज्य मंत्री उपाध्यक्ष हैं। राज्यों में सिंचाई/जल संसाधन के प्रभारी मंत्री भारत सरकार के मंत्रालयों के

सचिव, और जल विज्ञान तथा जल संसाधन संबंधी श्रेष्ठ विशेषज्ञ सोसाइटी के सदस्य हैं। सचिव (जल संसाधन) शासी निकाय के अध्यक्ष हैं। तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) द्वारा संस्थान के अनुसंधान तथा अन्य तकनीकी कार्यकलापों की निगरानी तथा मार्गदर्शन किया जाता है। संस्थान के निदेशक सोसाइटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं।

यह संस्थान जल विज्ञान के विशेषीकृत क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी, का अंतरण मानव संसाधन विकास और सांस्थानिक विकास के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कार्य करता है और संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर प्रयोक्ता-अनुकूल, मांग के अनुरूप अनुसंधान करता है। राष्ट्रीय जल विज्ञान, राष्ट्रीय जल मिशन के प्रभावी-कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय के नोडल केंद्र के तौर पर कार्य करता है।

6.8.4 अध्ययन एवं अनुसंधान

संस्थान में अध्ययन और अनुसंधान, पांच वैज्ञानिक विषयों के तहत मुख्यालयों, दो बाढ़ प्रबंधन अध्ययन केंद्र और चार क्षेत्रीय केंद्रों में किए जाते हैं। संस्थान में एक अनुसंधान समन्वय एवं प्रबंधन इकाई है जो विभिन्न अनुसंधान और शिक्षण संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करती है। संस्थान में जल विज्ञान में परमाणु अनुप्रयोग, जल गुणवत्ता, मृदा जल, दूर संवेदी एवं जीआईएस अनुप्रयोग, जल विज्ञानीय उपकरण और भूमि जल मॉडलिंग के क्षेत्र में आधुनिकतम प्रयोगशाला सुविधाएं हैं।

6.8.5 तकनीकी प्रकाशन एवं प्रौद्योगिकी अंतरण

संस्थान के अनुसंधान का परिणाम, रिपोर्टों, वैज्ञानिक पर्चों, मार्ग निर्देशों, नियमावली आदि के तौर पर प्रकाशित होते हैं। लक्षित प्रयोक्ताओं को विकसित प्रौद्योगिकी और तकनीकों के अंतरण के लिए संस्थान, कार्यशालाएं, प्रशिक्षण कोर्स, सेमिनार, संगोष्ठी, सम्मेलन और गहन विचार विमर्श सत्र आयोजित करता है।

वर्ष 2011-12 के दौरान निष्पादन एवं वर्ष 2012-13 के लिए लक्ष्य इस प्रकार हैं :-

क्रम सं.	मद का विवरण	वर्ष 2011-12 के लिए वास्तविक लक्ष्य	वर्ष 2011-12 (दिसंबर, 2010 तक) के दौरान उपलब्धियां	वर्ष 2012-13 के लिए लक्ष्य।
1.	भौतिक/गणितीय माडल/डेस्क अध्ययन/प्रयोगशाला अध्ययनों की पूर्णता	55	50	55
2.	तकनीकी रिपोर्टों को तैयार करना/पूर्ण हो चुके अध्ययन	50	48	24
3.	शोध पत्रों का प्रकाशन	160	130	160
4	मार्गदर्शिकाओं/मैनुअलों को	2	1	0

	तैयार करना			
5.	कार्यशालाओं/सेमिनारों/सम्मेलनों का आयोजन	15	13	14
6.	कार्मिकों का प्रशिक्षण	25	21	27
7.	तकनीक हस्तांतरण कार्यकलाप	10	9	10

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

6.9 जल तथा विद्युत परामर्शी सेवाएं (भारत) लिमिटेड :

प्रस्तावना :

6.9.1 जल तथा विद्युत परामर्शी सेवाएं (भारत) लिमिटेड केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के संरक्षण में "मिनी रत्न" श्रेणी-1 का सार्वजनिक उपक्रम है। कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 26 जून 1969 को निगमित वाप्कोस, जल संसाधन, विद्युत तथा अवसंरचना क्षेत्र के प्रत्येक पहलू में भारत तथा विदेशों में परामर्शी सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। वाप्कोस की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, जल संसाधन, विद्युत एवं अवसंरचना विकास परियोजनाओं में परामर्शी सेवाओं के लिए आईएसओ 9001:2000 के गुणवत्ता आश्वासन आवश्यकताओं के अनुसार है।

6.9.2. मिशन

वाप्कोस का मिशन "स्थायी लाभ प्रद वृद्धि, उत्कृष्ट निष्पादन, आधुनिकतम तकनीकी विशेषज्ञों का उपयोग, नवीनता, क्षमता निर्माण और सोसाइटी की अपेक्षाओं को पूरा करना है ।"

उद्देश्य

- जल संसाधनों की इष्टतम आयोजना तथा विकास को सुनिश्चित करने तथा इसमें उपयोग की क्षमता में अत्यधिक वृद्धि करने के उद्देश्य से सर्वोच्च गुणवत्ता वाली वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा प्रबंधकीय सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रस्तुत करने हेतु एक प्रमुख अभिकरण की भूमिका निभाना ।
- गुणवत्ता, विश्वसनीयता तथा परिशुद्धता का निर्माण करने हेतु आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा प्रणालियों को अपनाना जिसके द्वारा उपभोक्ता की अत्यधिक संतुष्टि को सुनिश्चित करना ।
- घरेलू तथा विदेशी व्यापार के विकास की गति को बनाए रखना तथा जानकारी को अन्य विकासशील देशों में अंतरित करना ।
- जल संसाधनों, विद्युत तथा अवसंरचना विकास के लागत-प्रभावी तथा एकीकृत विकास हेतु पर्यावरणीय अध्ययनों तथा परियोजना प्रबंधन सेवाओं को शामिल करते हुए सर्वेक्षणों, अन्वेषणों, डिजाइनों, लागत अनुमानों, परियोजना आयोजना में अंतर्राज्यीय मानकों में विशेषज्ञता प्राप्त करना एवं इन्हें बनाए रखना ।

- अन्य राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों के साथ विचार-विमर्श के माध्यम से सक्रिय रूप से अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना ।
- नई चुनौतियों के क्षेत्र में विविधता तथा संबंधित क्षेत्रों में आवश्यकता के माध्यम से परामर्शी क्षेत्र में उत्कर्षता बनाए रखना ।
- सुधारीकृत उत्पादकता एवं इष्टतमीकरण के माध्यम से अपने प्रचालन के परिणामस्वरूप उद्यम के उचित लाभ को सुनिश्चित करना ।
- अभिनव डिजाइन विकल्पों में नवीनतम प्रौद्योगिकी द्वारा क्षमता प्राप्ति के लिए सक्रिय भूमिका निभाना ।
- परामर्शी सेवाएं उपलबध कराने में विशेषज्ञता मानकों के अनुसार उच्चतम स्तर स्थापित करना ।
- उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ योग्यता को आकर्षित करना तथा दृढ़ संकल्प एवं निष्ठ कार्यबल को प्रोत्साहित करना ।
- कारोबार विकास एवं प्रभावी कारोबार प्रबंधन को बढ़ाना ।
- ग्राहक संतुष्टि की पूर्ण रूप से प्राप्ति ।
- वाप्कोस के ब्रैंड नाम को प्रचारित करना ।

विशेषज्ञता के क्षेत्र

6.9.3. कंपनी की विशेषज्ञता के मुख्य क्षेत्रों में सिंचाई एवं जल निकासी, बाढ़ नियंत्रण और भूमि पुनरूद्धार, नदी प्रबंधन बांधों जलाशय इंजीनियरिंग और बैराज एकीकृत कृषि विकास वाटर शेड प्रबंधन, जल विद्युत और ताप विद्युत का उत्पादन, विद्युत पारेषण और वितरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, भूजल अन्वेषण, लघु सिंचाई, जल आपूर्ति और स्वच्छता, ग्रामीण और शहरी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और पर्यावरणीय लेखा परीक्षा सहित पर्यावरणीय इंजीनियरिंग, पत्तन और बंदरगाह तथा अन्तर-देशीय जलमार्ग, वर्षा जल संचयन, सर्वेक्षण एवं अन्वेषण मानव संसाधन प्रबंधन, प्रणाली अध्ययन और सूचना तकनीक शामिल है । वाप्कोस ने साफ्टवेयर विकास, शहरी विकास योजना, वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, तकनीकी शिक्षा, गुणवत्ता नियंत्रण और निर्माण देख-रेख, सड़क एवं पुल जैसे कुछ नए क्षेत्रों में कार्य शुरू किया है ।

परामर्शी सेवाओं की सीमा

6.9.4. वाप्कोस द्वारा प्रदत्त सेवाओं के तहत व्यापक कार्यकलाप अर्थात व्यवहार्यता-पूर्व अध्ययन, व्यवहार्यता अध्ययन, अनुरूपण अध्ययन, नैदानिक अध्ययन, सामाजिक-आर्थिक अध्ययन, मास्टर योजनाएं और क्षेत्रीय विकास योजनाएं, क्षेत्र अन्वेषण, अभिकल्पों सहित विस्तृत अभियांत्रिकी, विस्तृत विनिर्देश, निविदा प्रक्रिया, अनुबंध और निर्माण प्रबंधन, प्रारंभ और जांच, प्रचालन एवं अनुरक्षण, गुणवत्ता आश्वासन व प्रबंधन, सॉफ्टवेयर विकास और मानव संसाधन विकास शामिल हैं ।

अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ पंजीकरण एवं विदेश में प्रचालन :

6.9.5. वाप्कोस, भारत के अतिरिक्त वित्तपोषित परियोजनाओं में सहभागिता के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण अभिकरणों जैसे विश्व बैंक / अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, अफ्रीकन विकास बैंक, एशियायी विकास बैंक, खाद्य एवं कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व स्वास्थ्य संगठन, पश्चिम अफ्रीका विकास बैंक, भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहभागिता (आईटीईसी) कार्यक्रम, विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन (जेवीआईसी) संयुक्त राष्ट्र परियोजना सेवा कार्यालय (यूएनओपीएस) के साथ पंजीकृत है ।

वाप्कोस ने भारत के अतिरिक्त 50 विदेशी देशों में सौंपे गए परामर्शी कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और परामर्शी सेवाएं दे रहा है तथा इस समय अफगानिस्तान, बंग्लादेश, भूटान, कम्बोडिया, केन्द्रीय अफ्रीकी गणराज्य, चैड, डीआर कांगो, इथोपिया, कीनिया, लाओस, माली, मोजाम्बिक, म्यांमार, नेपाल, नाइजीरिया, रवांडा, सेनेगल, सियरा लिओन, तंजानिया, युगांडा, यमन और जिम्बाब्वे में परामर्शी सेवाएं उपलब्ध करा रहा है ।

लाभांश

6.9.6 वर्ष 2011-12 के लिए कम्पनी की बेहतरीन प्रगति को ध्यान में रखते हुए सितम्बर, 2012 में 1050 लाख रुपये के लाभांश का भुगतान किया गया था जो कि कम्पनी के इतिहास में सर्वाधिक है और 300 लाख रुपये की प्रदत्त पूंजी का 350 प्रतिशत है ।

बोनस शेयर

6.9.7 कम्पनी ने अगस्त, 2012 में कम्पनी के सदस्यों को प्रत्येक तीन इक्वीटी शेयरों के लिए पांच बोनस शेयर के अनुपात में पांच करोड़ रुपये के बोनस शेयर जारी किए ।

6.10. राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेडः

6.10.1. राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड (एनपीसीसी लि.) का संस्थापन कंपनी अधिनियम 1956 के तहत वर्ष 1957 में एक निर्माण कंपनी के रूप में मुख्य रूप से नदी घाटी परियोजनाओं, बांधों, बैराजों, बेयर, जलाशयों, तटबंधों, नहरों, सिंचाई एवं संबंधित अवसंरचनात्मक कार्यों के निर्माण के उद्देश्य से किया गया था । वर्तमान में कंपनी का कोरपोरेट कार्यालय फरीदाबाद में तथा पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में इसके 14 क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, सिल्चर, शिलांग, रायपुर, मुंबई, जम्मू तथा कश्मीर, बंगलोर, पटना, रांची, लखनऊ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली और देहरादून में स्थित हैं । वर्तमान में इसकी 95 प्रचालन इकाइयां हैं। इस समय कंपनी की कुल जनशक्ति 1740 है ।

6.10.2. कंपनी का निष्पादन अपनी स्थापना के पहले दस वर्षों के दौरान अच्छा रहा तथा इसने निरन्तर 1966-67 तक (वर्ष 1962-63 को छोड़कर) प्रदत्त पूंजी पर लाभांश दिया । हलांकि 1985-86 से 2008-09 तक (वर्ष 2005-06 को छोड़कर) कंपनी की वित्तीय स्थिति में तीव्र गिरावट आई ।

6.10.3. सरकार ने दिसम्बर, 2008 में भारत सरकार की मूलधन राशि 219.43 करोड़ रुपये को परिवर्तित करने के लिए एक पुनरुज्जीवन पैकेज अनुमोदित किया है जिसके तहत और इक्विटी पूजी में तबदील होने की तारीख को देय और अर्जित संचयी ब्याज में संशोधन और आगे मूल्य से 10% तक लिखा जाना शामिल है । सरकार का निर्णय कार्यान्वित किया जा चुका है। कम्पनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 700 करोड़ रुपये है और इसकी प्रदत्त पूंजी 94.53 करोड़ रुपये है । इसमें से 14 राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र 1.05 करोड़ रुपये राशि के शेयर धारक हैं तथा शेष राशि केन्द्र सरकार के पास रहती है ।

6.10.4 कंपनी द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं में (i) त्रिपुरा, मिजोरम, असम और मेघालय में बीबी फेसिंग एवं लाइटनिंग कार्य, सड़क कार्य (ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में असम राइफल कार्य (iii) लद्दाख (जम्मू एवं कश्मीर) में इंडो-तिब्बत सीमा सड़क (iv) बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश आदि में पीएमजीएसवाई कार्य शामिल हैं । मौजूदा व्यापार प्रचालन पैटर्न को नवीन विविधताओं सहित वर्ष 2013-14 के दौरान भी जारी रखने की आशा है

6.10.5 पुनरुज्जीवन पैकेज के कार्यान्वयन के बाद, कम्पनी ने 2009-10 से लाभ प्राप्त करना शुरू कर दिया है । कम्पनी ने टैक्स का भुगतान करने के बाद वर्ष 2009-10 के लिए 30.97 करोड़ रुपये, 2010-11 में 32.09 करोड़ रुपये और वर्ष 2011-12 में 42.18 करोड़ रुपये का निवल लाभ कमाया है ।

जल संसाधन मंत्रालय
2011-12 के दौरान निष्पादन

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया / समय सीमा	दिनांक 31.3.2013 को कॉलम (5) से संबंधित उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	(क) 1:50000 के पैमाने पर वाटरशेड एटलस तैयार करना और देश की वेब समर्थित जल संसाधन सूचना प्रणाली विकसित करना । (ख) जल गुणवत्ता आकलन प्राधिकरण को सहयोग देना और जल गुणवत्ता आकलन के लिए अध्ययन/कार्यक्रम कार्यान्वित करना । (ग) प्रभावी जल प्रबंधन एवं इष्टतम उपयोग, विशेष तौर पर जली की कमी वाले मौसम में, के लिए नदी में बर्फ के पिघलने से आने वाले जल के आंकलन हेतु यमुना और चिनाव बेसिन के लिए हिमगलन अपवाह मॉडल विकसित करना । (घ) जल गुणवत्ता आंकड़े एकत्रित करना और इनका प्रकाशन । (ड.) जल संसाधन के व्यापक आकलन और उनकी विशेषताओं के विश्लेषण हेतु जल वैज्ञानिक प्रेक्षण केन्द्रों के नेटवर्क से आंकड़े एकत्रित करना । (च) एआईबीपी और सीएडी परियोजनाओं सहित देश भर में चयनित चालू वृहद, मध्यम एवं ईआरएम सिंचाई परियोजनाओं की निगरानी (छ) चौथी लघु सिंचाई गणना ।	59.00	(क) जल संसाधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूआरआईएस) वेबसाइट में 30 जीआईएस परतों की सहायता से और विस्तार /अद्यतन किया जाएगा। (ख) 878 जल वैज्ञानिक प्रेक्षण स्थलों के लिए आंकड़ों का प्रेक्षण और अन्य जल संबंधी आंकड़े एकत्रित किया जाना जारी रहेगा । (ग) हिमप्रेक्षण स्थलों, जी एण्ड डी स्थलों से दीर्घावधि आंकड़े एकत्रित करना और हिमगलन अपवाह मॉडल विकसित करना । (घ) निगरानी उद्देश्य से परियोजनाओं के दौरों की संख्या (ड.) चौथी लघु सिंचाई गणना के लिए फील्ड आंकड़ों को एकत्रित करना और इसका प्रक्रियान्वयन पूरा कर लिया जाएगा ।	पूरे वर्ष तक गतिविधियां जारी रखना	(1) 933 स्थलों के आकड़ों का पर्यवेक्षण को जारी रखना । (2) आधुनिक उपस्कर से जल विज्ञानी नेटवर्क सुसज्जित किए गए । (3) उपलब्ध रिपोर्टों किताबों को प्रकाशित फोर्म में आकड़ों का संग्रहण, समेकन, भण्डारण, प्रसार करना, विश्लेषण एवं प्रकाशन करना ।	

2.	जल क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम	इस स्कीम में जल संसाधन के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास और प्रशिक्षण से संबंधित विभिन्न कार्यकलाप शामिल हैं । ये क्रियाकलाप जल विज्ञान, द्रवीय, मृदा एवं सामग्री विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी अनुसंधान संस्थानों अर्थात् एनआईएच, सीडब्ल्यू एण्ड पीआरएस, और सीएसएमआरएस और सीडब्ल्यूसी द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे हैं। कार्यक्रम के परिणामस्वरूप सिंचाई प्रणाली की दक्षता में सुधार, जल संसाधन परियोजना में खतरे/जोखिम में कमी, परियोजना के लिए आर्थिक डिजाइन और नई/उन्नत तकनीक का विकास करना होगा ।	46.19	स्कीम के कार्यान्वयन से क्षमता निर्माण और अतिरिक्त सुविधाओं के सृजन में सहायता मिलेगी । अनुसंधान के परिणाम सामान्यत: आयोजना एवं डिजाइन के लिए उन्नत तकनीकों की सिफारिशों वाली तकनीकी रिपोर्टें ओर शोध पत्रों के रूप में होते हैं । मात्रात्मक सुपुर्दगियां हैं : अनुसंधान रिपोर्टें = 231 शोध पत्र = 279 प्रशिक्षण कार्यशाला = 30	मंत्रालय के विभिन्न संगठनों द्वारा कार्य को कार्यान्वित किया जाना है	अनुसंधान/तकनीकी रिपोर्टें–255 शोध पत्र – 266 प्रशिक्षण और कार्यशाला – 53	
3.	राष्ट्रीय जल अकादमी	जल संसाधन आयोजना, विकास और प्रबंधन में सेवारत अभियंताओं/इंडक्शन अभियंताओं के लिए प्रशिक्षण	3.00	(क) 37 प्रशिक्षण कार्यक्रम (ख) तरण ताल का निर्माण		(क) दिसम्बर, 2011 तक 28 प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे किए गए (ख) दिसम्बर, 2011 तक 65 प्रतिशत कार्य पूरा किया गया ।	
4.	बांध सुरक्षा अध्ययन तथा आयोजना	(क) बांध सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन (ख) सिंधु और कृष्णा बेसिनों और गंगा तथा ब्रह्मपुत्र बेसिनों के लिए समानीकृत पीएमपी एटलसों को तैयार करना और डीजीटाइजेशन करना । (ग) इन्सट्रुमेन्टेशन प्रदर्शन केन्द्र की स्थापना करना । (घ) बांध सुरक्षाके लिए प्रशिक्षण और इस संबंध में विशेष उद्देश्य पैकेज का विकास ।	3.00	(क) इन्सट्रुमेन्टेशन प्रदर्शन केन्द्र के लिए मॉडल/फिक्सचरों की अधिप्राप्ति (ख) समानीकृत पीएमपी एटलसों को तैयार करना और डिजिटाइजेशन । गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन के लिए परामर्श करना और पीएमपी एटलसों का अद्यतन ।		(क) के.ज.आ मुख्यालय में उपस्कर प्रदर्शन केन्द्र की स्थापना के लिए 2011-12 के दौरान सीएसएमआरएस द्वारा 533209/- रू. की राशि के उपस्कर के लिए प्राप्त की गई । (ख) गंगा नदी बेसिन हेतु एटलसों को तथा विद्यमान एटलसों का उन्नयन या	

						गोदावरी एवं अन्य पूर्व की ओर बहने वाली नदियों हेतु नई पीएमपी एटलसों की अंतरिम रिपोर्ट का मसौदा आरएमएसआई प्रा. लि. द्वारा सीडब्ल्यूसी को प्रस्तुत कर दिया गया है और इसे स्वीकार कर लिया गया है । मार्च, 2012 में सलाहकार को 213893 लाख रू की राशि जारी की गई । (ग) पर्यावरणीय एवं सामाजिक आकलन (ईएसए) अध्ययन पूरे हो चुके हैं । मुल्ला पेरियार बांध पर अधिकार प्राप्त समिति ने सर्वोच्च न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तु कर दी है । (घ) तीन प्रशिक्षण पूरे किए जा चुके हैं	
5.	जल विज्ञान परियोजना	13 राज्यों और 8 केंद्रीय अभिकरणों में जली संसाधन की आयोजना और प्रबंधन से संबंधित सभी प्रयोक्ता अभिकरणों द्वारा जल वैज्ञानिक सूचना प्रणाली के सतत एवं प्रभावी उपयोग को आगे बढ़ाना और प्रोत्साहित करना ।	80.00	जल विज्ञानीय परियोजना में स्थित 4 मुख्य परामर्शियों की सहायता सहित परियोजना घटकों अर्थात् सांस्थानिक सुदृढ़ीकरण, जल वैज्ञानिक डिजाइन संबंधी सहायता के साथ ऊर्ध्वाधर विस्तार, डीएसएस-आयोजना (डीएसएस-पी), डीएसएस- वास्तविक समय और नए राज्यों में पीडीएस सहित 41 उद्देश्य प्रेरित अध्ययन और क्षैतिज विस्तार का कार्यान्वयन ।	नियोजित कार्यकलापों को केन्द्रीय अभिकरणों जैसे- पीसीएस (जल संसाधन मंत्रालय), बीबीएमबी, सीडब्ल्यूसी, सीजीडब्ल्यूबी,	(क) आकड़ों का जांच तथा वैधीकरण नियमित आधार पर किया जा रहा है । (ख) 9 एचपी-I राज्यों में से 6 राज्यों में निर्णय सहायता प्रणाली-योजना परामर्श के तहत कस्टमाईज्ड जेनरिक मॉडल तैयार किए गए । डीएचआई, डेनमार्क में 11 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया । (ग) डीएससी-बीबीएमबी द्वारा वास्तविक टाइम कार्यान्वित किया जा रहा है ।	

					सीडब्ल्यूपी आरएस, सीपीसीबी, आईएमडी और एनआईएच के माध्यम से जून, 2012 तक कार्यान्वित किया जाना है	(घ) जलविज्ञान डिजाइन सहायता (एचडीए) तैयार करने की प्रारम्भिक रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया गया और एचडीए मॉडल के माड्यूल तैयार करने का कार्य प्रगति पर है । (ड.) 10 उद्देश्य परक अध्ययन कार्यान्वयन के विभिन्न स्तर पर थे । (च) जलभृत मैपिंग के तहत विभिन्न उपलब्धियों के लिए दस्तावेज तैयार करने का कार्य प्रगति पर है ।	
6.	जल संसाधन विकास स्कीमों की जांच	जल संसाधन विकास के लिए पहचानी गई परियोजनाओं के संबंध में छानबीन करना ।	54.00	पहचानी गई परियोजना के लिए परियोजना रिपोर्ट की छानबीन एवं तैयारी जारी रखना	परियोजना रिपोर्ट की छानबीन/तैयारी का कार्य एक से अधिक वर्षों में पूरा किया जाता है तथा आने वाले वर्षों में आगे चला जाता है ।	(1) उझ कालेज, खोला, सुंतले, मानस तीस्ता-सम्पर्क नहर, नुरंग चू एचईपी सोनई और रूकनी सिंचाई परियोजनाओं का सर्वेक्षण एवं जांच जारी रही । (2) जल विज्ञानीय और भूकंप विज्ञानीय प्रेक्षण/भूटान में 4 केन्द्रों पर प्रेक्षण जारी रहा ।	
7	पगलादिया बांध परियोजना	बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई एवं सम्बद्ध विद्युत उत्पादन	0.01	जिरात सर्वेक्षण पूरा किया जाना ।	कार्यकलापों को ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा	शून्य	असम सरकार द्वारा

					कार्यान्वित किया जाना है।		जिरात सर्वेक्षण कार्य को पूरा न करने के कारण कार्य रुक गया है । केवल सामान्य आर एवं एम कार्य जारी रहा। परियोजना की गतिरोध स्थिति दूर करने के प्रयास जारी हैं ।
8.	नदी बेसिन संगठन / प्राधिकरण	इस स्कीम का उद्देश्य, जल संसाधन के इष्टतम उपयोग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प की पहचान करने और सभी दावाधारकों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने की दृष्टि से आवश्यक अध्ययन और मूल्यांकन आदि प्रारंभ करने के वास्ते सभी सह-बेसिन राज्यों को एक मंच प्रदान करने के प्रमुख उद्देश्य सहित, नदी बेसिन् संगठन को बढ़ावा देना है ।	4.00	नदी बेसिन संगठनों के सृजन से पूर्व राज्य सरकारों से परामर्श किया गया है । परामर्श की प्रक्रिया इस वर्ष के दौरान शुरू की गई थी । इस संबंध में एक सांकेतिक प्रावधान किया गया है ।		मंत्रालय ने संबंधित राज्यों को महानदी एवं गोदावरी नदियों के लिए आरबीओ के गठन हेतु प्रस्ताव भेजे हैं । राज्य सरकार की सहमति नहीं हुई है । मामले को संबंधित राज्यों के साथ उठाया जा रहा है ।	
9.	अवसंरचना विकास योजना	1. जल संसाधन मंत्रालय और इसके संबद्ध/अधीनस्थ संगठनों के लिए भूमि का प्रबंध और कार्यालय एवं आवासीय भवनों का	28.40	(i) भूमि का अधिग्रहण (ii) कार्यालय / आवासीय भवनों का निर्माण ।	चूंकि भूमि एवं भवनों का	भुवेनश्वर में रिहायशी भवनों तथा गलासोर में कार्यालय इमारत के लिए भूमि	भूमि का अधिग्रहण और भवनों

		निर्माण और 2. जल संसाधन मंत्रालय सीडब्ल्यूसी और सीजीडब्ल्यूबी में आईटी योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक अवसंरचना का प्रावधान ।		(iii) फील्ड कार्यालयों में डाटाबेस की नेटवर्किंग के अतिरिक्त नवीनतम आईटी हाडवेयर एवं सॉफ्टवेयर का अधिग्रहण उन्नयन और रखरखाव और साथ ही मुख्यालयों में ई-गवर्नेंस और आईटी सुविधाओं में कर्मियों को प्रशिक्षण की सुविधा ।	अधिग्रहण लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न अभिकरण शामिल हैं, लक्षित कार्यों में से कुछ कार्य अगले वर्ष में चले गए हैं ।	अधिग्रहित कर ली गई है । जम्मू, हैदराबाद, आसनसोल में कार्यालय इमारतों का निर्माण हो चुका है तथा गुवाहाटी, बुर्ला में आवासीय इमारतों का कार्य और सीडब्ल्यूसी, मुख्यालय, सेवा भवन का आधुनिकीकरण चल रहा है । गुवाहाटी में मंडलीय कार्यशाला एंव स्टोर का निर्माण कार्य, बेगलूर में मंडलीय कार्यशाला और स्टोर के लिए सीजीडब्ल्यूबी की भूमि पर चार दीवारी का निर्माण और जम्मू में चार दीवारी का निर्माण पूरा हो चुका है । निर्माण पूरा होने के बाद इन कार्यालयों को किराए की इमारत से हटा लिया गया है । इससे किराए पर होने वाला भारी खर्च बचा है । भोपाल में मंडलीय कार्यलशाला और स्टोर की इमारत का 50 प्रतिशत निर्माण पूरा हो गया है । दलदल सियोन, रायपुर में भूमि पर चार दीवारी का 54 प्रतिशत निर्माण पूरा हो गया है । तथापि, विवाद के कारण, शेष कार्य पूरा नही हो सका । जोधपुर विकास प्राधिकरण से भूमि का वास्तविक कब्जा ले लिया गया है । 19 व्यक्तिगत कम्प्यूटर, 27	का निर्माण लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न केंद्र एवं राज्य सरकार के प्राधिकरण शामिल हैं, जिसके कारण कार्य आगे जाने की आशंका है।

						प्रिंटर 11 स्केनर,42 यूपीएस, 2 यूपीएस ऑफलाईन, 5 डिजीटल बहुकार्य और 3 लेपटॉप की खरीद/बहुकार्यकारीमशीनो/कॉपियर का परिचालन प्रभार, विभिन्न मशीन कम्प्यूटरों प्रिंटरोंस्केनरों, लेपटॉप की मरम्मत और अनुरक्षण तथा कम्प्यूटर में काम आने वाली वस्तुओं अर्थात काट्रिज, टोनर, फोटोकापी कागज रिमों आदि की खरीद ।	
10.	बाढ़ पूर्वानुमान	स्थानीय प्रशासन को 175 केंद्रों पर समय से बाढ़पूर्वानुमान देने के लिए 20 नदी बेसिनों सहित सीडब्ल्यूसी द्वारा पूरे देश में जल वैज्ञानिकप्रेक्षण स्थानों के नेटवर्क का रखरखाव ।	36.00	वास्तविक आंकड़े एकत्रित करना, इनका विश्लेषण और बाढ़ पूर्वानुमान जारी करना लगभग 6000 पूर्वानुमान प्रति वर्ष जारी किये जाते हैं।	केन्द्रीय जल आयोग द्वारा वर्ष भर कार्यान्वित की गई ।	इस अवधि के दौरान कुल 5662 बाढ़ पूर्वानुमान जारी किए गए ।	
11.	फरक्का बैराज परियोजना	(i) फरक्का बैराज परियोजना और इसकी फीडर नहर, जांगीपुर बैराज आदि सहित इसकी संबद्ध संरचनाओं का रखरखाव (ii) गंगा नदी को मुख्य बैराज के साथ ले जाने के लिए गंगा नदी और इसकी वितरिकाओं के साथ तटों की सुरक्षा के लिए कटाव रोधी कार्य ।	70.40	(i) फरक्का बैराज परियोजना और इसकी फीडर नहर, जांगीपुर बैराज आदि सहित इसकी संबद्ध संरचनाओं का रखरखाव (ii) गंगा, पद्मा नदी के साथ साथ भूमि, फसलों, फलोद्यानों, सार्वजनिक भवनों, आदि को बचाने के लिए फरक्का बैराज के 40 कि.मी. प्रतिप्रवाह से 80 कि.मी. अनुप्रवाह तक एफबीपी के बढ़ाए गए अधिकार क्षेत्र में कटाव नियंत्रण ।	फरक्का बैराज परियोजना द्वारा कार्यान्वित। क्रियाकलाप वर्षभर जारी ।	(i) फरक्का बैराज, इसकी संबद्ध संरचनाओं का रखरखाव एवं गंगा-पद्मा नदी एवं इसकी वितरिकाओं के साथ साथ कटाव रोधी कार्य आवश्यकता के अनुसार जारी रखे गए । (ii) 2300 मी. की लंबाई में 35.00 करोड़ रुपये की राशि के कटाव रोधी कार्य पूरे किए गए ।	

12.	नदी प्रबंधन कार्य और सीमा क्षेत्र संबंधी कार्य	साझा/सीमावर्ती नदियों पर नदी प्रबंधन कार्यों के अतिरिक्त पड़ोसी देशों के साथ जल संसाधन परियोजनाओं के जल वैज्ञानिक प्रेक्षण और अन्वेषण । ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा बाढ़ नियंत्रण, कटाव रोधी एवं जल निकास विकास कार्य । कोसी एवं गंडक परियोजनाओं (नेपाल में) बाढ़ सुरक्षा कार्यों का रखरखाव ।	188.00	(i) बंगलादेश के साथ गंगा नदी पर संयुक्त जल वैज्ञानिक प्रेक्षण जारी रखना (ii) संयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना। (iii) नेपाल में कोसी बराज के बाएं एफ्लक्स बंध की दरार को बंद करना (iv) माजुली द्वीप के कटाव रोधी एवं बाढ़ सुरक्षा कार्य (v) पड़ोसी देशोंसे/को बाढ़ संबंधित आंकड़े संप्रेषित करना। (vi) साझा / सीमावर्ती नदियों पर विकास कार्य ।	केन्द्रीय जल आयोग, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, ब्रह्मपुत्र बोर्ड ओर बिहार, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल एवं जम्मू व कश्मीर की राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया गया ।	(i) 1996 की संधि के अनुसार बंगलादेश के साथ गंगा नदी संबंधित संयुक्त जल वैज्ञानिक प्रेक्षण जारी । (ii) पंचेश्वर एवं सप्तकोसी परियोजनाओं (नेपाल में) का सर्वेक्षण एवं अन्वेषण जारी । (iii) कोसी पर दरारभरने का कार्य पूरा हो गया है । (iv) माजुली द्वीप के कटाव रोधी एवं बाढ़ सुरक्षा कार्य जारी रहे । (v) बांग्लादेश को बाढ़ संबंधी आंकड़ो का प्रेषण । (vi) बांग्लादेश के साथ साझी सीमा पर त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल में नदी प्रबंधन कार्य जारी रहे ।	
13.	बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम	देश के संकटग्रस्त क्षेत्रों में नदी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, कटावरोधी, जल निकासी विकास, बाढ़ से बचाव संबंधी कार्य करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को वितीय सहायता देना ।	1199.00	(i) तटबंधों की ऊंचाई बढ़ाकर, सुदृढ़ एवं उनमें विस्तार कर संकटग्रस्त क्षेत्रों में नदी प्रबंधन कार्य । (ii) गंगा तथा ब्रह्मपुत्र बेसिन राज्यों के संबंध में बाढ़ प्रबंधन तथा कटाव नियंत्रण पर कार्य-बल 2004 द्वारा सुझाए गए कटावरोधी कार्य, जलनिकासी सुधार कार्य इत्यादि । (iii) तटीय राज्यों में तटीय कटाव संबंधी कार्य	विस्तृत परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर राज्य सरकारों को केंन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है । प्रस्तावों	(i) केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए 14 राज्यों द्वारा प्रस्तुत 906.72 लाख रुपये के कुल 61 प्रस्ताव शामिल किए गए । इसके अतिरिक्त, 15.12.2011 को हुई अधिकारप्राप्त समिति की 8 वीं बैठक के दौरान 5 राज्यों से 133.99 करोड़ रुपये के 12 नए प्रस्तावों पर विचार किया गया । (ii) 30 नवम्बर, 2011 तक	

				(iv) चुनिंदा क्षेत्रों में नदी खंडों का अवसादन/तल-कर्षण	की जांच एवं उनका अनुमोदन करने के लिए संचिव (व्यय) की अध्यक्षता में दिनांक 26.2.2008 को एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई ।	राज्य सरकारों द्वारा कुल 231 स्कीमों को पूरा किया गया ।	
14	भूमि जल प्रबंधन एवं विनियमन	i). भूजल प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए भूजल प्रबंधन अध्ययन ii) वैज्ञानिक उपकरणों जैसे दूर सवेदन और जीआईएस का उपयोग करते हुए भूजल अन्वेषण, भूजल संभावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए ड्रिलिंग सहायता से भू-भौतिकीय सर्वेक्षण iii) भूजल निगरानी केन्द्रों से भू-जल स्तर की निगरानी iv) स्रोत का पता लगाने के लिए केन्द्र/राज्य सरकार के विभाग को अल्पकालिक जल आपूर्ति अन्वेषण सौंपना v) भूजल अन्वेषण एवं कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के लिए स्थान का चयन करने और जलभृतों का पता लगाने के लिए भू-भौतिकीय अध्ययन vi) भूजल गुणवता के आकलन के लिए रासायनिक अध्ययन vii) आयोनाकारों और प्रशासकों द्वारा उपयोग हेतु रिपोर्ट, मानचित्र तैयार करना	120.00	• भूजल प्रबंधन अध्ययन-1.50 लाख वर्ग कि.मी. . • भूजल अन्वेषण – 800 कुएँ • आऊटसोर्सिंग के माध्यम से भूजल अन्वेषण - 796 • भूजल अन्वेषण कुंओ की निगरानी-15640 • अल्पकालिक जल आपूर्ति अन्वेषण-अनुरोध के अनुसार भू-भौतिकिय सर्वेक्षण (क) सतही वीईएस=2000 और प्रोफाईलिंग लाईन कि.मी.=आवश्यकता आधारित (ख) उपसतही बोरहोल लोगिंग=आवश्यकता आधारित	एक वर्ष एक वर्ष एक वर्ष में 4 बार एक वर्ष एक वर्ष	1.70 लाख वर्ग कि.मी. (मानसून पूर्व) मानसून के पश्चात 1.69 लाख वर्ग कि.मी. को शामिल किया गया । 20200 जल नमूनों का विश्लेषण 453 कुएं आऊटसोर्सिंग द्वारा पूरे किए गए । 169 अप्रैल, अगस्त तथा नवम्बर, 2011 के 15640 माप पूरे किए गए । 129 जिला रिपोर्टपूरी हुई एवं शेष्ज्ञ प्रगति पर है 23 भूमि जल वर्ष पुस्तिकाएं प्रस्तुत और जारी की गई	

		viii) केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा भूजल विकास का विनियमन ix) कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण सहित कृत्रिम पुनर्भरण अध्ययन जिनका प्रतिवलन राज्य सरकार एवं अन्य अभिकरणों द्वारा किया जाना है ।		• जल नमूनों का विश्लेषण – 20000 • जिला रिपोर्ट तैयार करना -40 • भूजल वार्षिक पुस्तिकाएं -23 • राज्य रिपोर्ट -11 • राज्य एटलस-3 • भूजल अन्वेषण रिपोर्ट-17 • राज्य भू-भौतिकीय- रिपोर्ट -14 • राज्य रासयनिक रिपोर्ट -18 सीजीडब्ल्यूए द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में भू-जल विकास का विनियमन अतिदोहित/ संकटग्रस्त/शहरी क्षेत्रों को शामिल करते हुए निर्धारित क्षेत्रों में कृत्रिम पुनर्भरण अध्ययन हेतु प्रदर्शनात्मक परियोजना ।	एक वर्ष एक वर्ष एक वर्ष दो वर्ष दो वर्ष एक वर्ष एक वर्ष जारी 2-3 वर्ष	16 भूमिजल वर्ष पुस्तिकाएं पूरी हो गई हैं तथा शेष का कार्य प्रगति पर है । सीजीडब्ल्यूए द्वारा अधिसूचित 82 क्षेत्रों में भूमि जल निकास का विनियमन, 629 अवसंरचनाएं पूरी हो चुकी हैं तथा शेष प्रगति पर हैं । पुनर्भरण सुविधाओं के सिविल निर्माणकार्यों के पूरा होने पर, इन स्थलोंमें सफलता के उदाहरणों द्वारा और राज्यों द्वारा भविष्य में इसी तर्ज पर अनुसरण करने के लिए कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचलन की दक्षता के प्रदर्शन हेतु प्रभाव आकलन अध्ययन प्रारंभ किए जाएंगे ।	
15.	राजीव गांधी राष्ट्रीय भूमि जल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान	सीजीडब्ल्यूबी और अन्य केन्द्र/राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को भूजल पहलुओं के संबंध में प्रशिक्षण	3.00	39 प्रशिक्षण कार्यक्रम	एक वर्ष	35 प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे किए जा चुके हैं । 619 प्रशिक्षु प्रशिक्षित किए गए हैं	
16.	सूचना, शिक्षा और संचार	(i) देश के त्वरित, समान, आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सभी दावाधारकों की सक्रिय भागीदारी से इस मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए इष्टतम सतत विकास, गुणवत्ता बनाए रखने ओर देश के	25.00	जल संसाधन के सतत विकास एवं उपयोग के लिए लोगों में जागरूकता सृजन हेतु शिक्षा देना ।	क्रियाकलाप जारी है ।	वित्तीय वर्ष 2011-12 के संशोधित 18 करोड़ रूपए के बजटीय आवंन में से 14.10 करोड़ रूपए खर्च हुए । 1 चित्रकला प्रतियोगिता:- • 29 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों	

		जल संसाधन के प्रभावी उपयोग के लिए जागरुकता लाना (ii) आपसी सहयोग और प्रबंधन में समग्र आयोजना एवं सहभागी दृष्टिकोण अपनाने की अविलंब आवश्यकता के लिए जागरुकता जगाना । (iii) जल संरक्षण की आवश्यकता के संबंध में लोगों में जागरुकता फैलाना । (iv) जल विज्ञान एवं तकनीकी और जल संसाधन के सतत विकास से संबंधित मुद्दों के संबंध में ज्ञान को सिखाना, प्रलेखन और फैलाने पर ध्यान देते हुए राष्ट्रीय जल नीति के सिद्धांतों को प्रोत्साहित करना । (v) जल की वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वर्षाजल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के उपायों को अपनाने की आवश्यकता के संबंध में जागरुकता फैलाना । (vi) अवसंरचना विशेष तौर पर अभियान तंत्र एवं सहायक ढांचे के संबंध में जागरुकता फैलाना ।				में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा स्कूल, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर त्रिस्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई थी । • 29 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में स्कूल स्तरीय प्रतियोगिता में 23,475 स्कूलों से कुल 16,05,346 छात्रों ने भाग लिया था । • राज्य/संघ शासित क्षेत्र में प्राप्त 50 सबसे अच्छी प्रतिष्टियों के बीच राज्य/संघ शासित क्षेत्र की राजधानियों में 14 नवम्बर, 2011 को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की गई थी । • प्रत्येक राज्य / संघ राज्य क्षेत्र से राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय विजेताओं को 21 जनवरी, 2011 को आयोजित राज्य स्तरीय, चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया । " राष्ट्र स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को नकद 1 लाख रूपए का प्रथम पुरस्कार, 50,000-50,000 के चार, द्वितीय पुरस्कार और 25000-25000 रूपए के आठ तृतीय पुरस्कार तथा 5000-5000 रू- के 74 सांत्वना	

						पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिए गए। 2. जल संरक्षण पर जन-जागरुकता हेतु इलेक्ट्रोनिक मीडिया अभियान • जल संरक्षण पर वीटियों स्पॉटों के प्रसारण के लिए 60 दिनों के लिए 20.6.2011 से राष्ट्रीय तथा दिल्ली दूरदर्शन के समाचार चैनलों तथा 13 क्षेत्रीय चैनलों तथा दूरदर्शन का दिल्ली एलपीटी पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभियान आरंभ किया गया तथा 1.10.2011 से 8.12.2011 तक 69 दिनों की अवधि हेतु नि:शुल्क बोनस प्रसारण समय । • जल संरक्षण पर आडियो स्पॉटों के प्रसारण हेतु 43 दिनों के लिए 20.6.2011 से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभियान के राष्ट्रीय समाचार, प्राथमिक चैनल / एलआरएल (188 स्टेशन) विविध भारती राष्ट्रीय (37 स्टेशन), 22 एफएम चैनलों और क्षेत्रीय समाचार के 31 स्टेशनों पर शुरू गया ।	

						• 11.11.2011 से 24.11.2011 तक 14 दिन की अवधि के लिए देश भर के सिनेमाघरों में डिजिटल अभियान आरंभ किया गया • वर्तमान में 130 दिनों के लिए जल संरक्षण पर 30 सेकेंड के वीडियो स्पॉट तथा 15.12.2011 से 22.4.2012 तक 16 सप्ताह के लिए सप्ताह में एक बार 22 मिनट तथा 8 सेकेंड की एफपीएआरपी पर एक डाक्यूमेंटरी का लोक सभा दूरदर्शन पर प्रसारण किया जा रहा है । **3. प्रिंट मीडिया अभियान :-** • "भूमिजल संवर्धन पुरस्कार" तथा "राष्ट्रीय जल पुरस्कार, 2010" कि लिए नामांकन प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय दैनिक एवं प्रांतीय समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया गया । • दिनांक 19.11.2011 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर राज्यों की राजधानियों से एक विज्ञापन जारी किया गया था ।	

						4. कार्यशाला / सेमिनार / सम्मेलन :- • दिल्ली में 18 से 20 नवम्बर, 2011 तक "नदी जल" पर "गैर-हिंसक विकल्प" विषय पर सम्मेलन आयोजित करने हेतु सहायता अनुदान। • नई दिल्ली में ललित होटल में 22-23 नवम्बर, 2011 तक सीआईआई, नई दिल्ली को उनके वार्षिक फ्लैगशिप ईवेंट - 17वां प्रौद्योगिकी शिखर एवं प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म हेतु सहायता-अनुदान । 5. **मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना :-** जल संरक्षण तथा प्रबंधन पर लोगों में जागरुकता फैलाने के लिए • जनता में जल संरक्षण और प्रबंधन के विषय में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से पेवेलियन खड़े कर, जल संरक्षण पर मॉडलों के माध्यम से 14 से 27 नवम्बर, 2011 तक नई दिल्ली में आईआईटीएफ - 2011 में मंत्रालय तथा इसके संगठनों ने भाग लिया । 12-14 अक्तूबर, 2011 में	

						हैदराबाद में "जलवायु परिवर्तन" पर हुई एक अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचिका सभा में भाग लिया। भुवनेश्वर में 3-7 जनवरी, 2012 तक आयोजित 99वीं भारतीय विज्ञानकांग्रेस में भाग लिया **6. आदिवासी उप-योजना के अंतर्गत** * आदिवासी क्षेत्रों में आईईसी हेतु आदिवासी उप-योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए मंत्रालय की ओर से सीडब्ल्यूसी तथा सीजी डब्ल्यूबी द्वारा जन जागरुकता संबंधी कार्यकलाप किए गए ।	
17.	जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण तथा पुन:स्थापना	(i) जल निकायों की क्षमता की पुन: प्राप्ति तथा उसमें वृद्धि करना । (ii) उनकी सिंचाई क्षमता की पुन:प्राप्ति तथा विस्तार करना । (iii) कृषि / उद्यान कृषि उत्पादकता में सुधार (iv) पर्यटन, सांस्कृतिक कार्य-कलाप, पेयजल की उपलब्धता में वृद्धि	घरेलू सहयोग के लिए 684.00 करोड़	(i) कार्यान्वयन हेतु निर्धारित संबंधित जिला परियोजनाओं की प्रगति की मॉनीटरिंग करना (ii) योजना को जब और जैसे पूरा किया जाए उसके निष्पादन का आकलन करना । (iii) राज्य सरकारों से प्राप्त डीपीआर के आधार पर राज्य सरकारों को निधियां जारी करना । (iv) जहां योजना कार्यान्वयनाधीन है वहां कार्यक्रम का सहवर्ती आकलन ।	इन स्कीमों को जारी रखा जा रहा है ।	2011-12 में 9 राज्यों (ओडिशा-7033 करोड़, कर्नाटक-77.51, मध्य प्रदेश(बुदेलखंड(2.62 करोड़, मेघालय-0.64, महाराष्ट्र- 80.53 करोड़, गुजरात- 10.61 करोड़, छत्तीसगढ-34.68 करोड़, राजस्थान- 7.07 करोड़,हरियाणा 7.04 करोड) को कुल 291.03 करोड़ रूपए का अनुदान दिया गया है ।	बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मेघालय, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान तथा हरियाणा को आगे की धनराशि जारी किए जाने की संभावना है ।

अनुलग्नक-II

जल संसाधन मंत्रालय

2012-13 के दौरान निष्पादन (दिसम्बर **2012** तक)

(करोड़ रू. में)

क्र. सं.	कार्यक्रम/स्कीम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2012-13	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2012 तक कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	हिमगलन अपवाह निगरानी सहित सभी प्रमुख नदियों के संबंध में जल मौसम विज्ञानीय और जल गुणवत्ता आंकड़ा संग्रह करना, संकलन और उपयोगकर्ताओं के लिए प्रक्षित आंकड़ों का प्रसार। जल विज्ञानीय सूचना प्रणाली, कार्य स्थलों का उन्नयन, नये कार्य स्थलों को खोलना और जल गुणवत्ता प्रयोगशाला का उन्नयन	85.00	जल विज्ञानीय जल वर्ष पुस्तिका, जल गुणवत्ता वर्ष पुस्तिका, सीक्ट इंयर बुक का प्रकाशन जल विज्ञानीय सूचना प्रणाली, कार्य स्थलों का उन्नयन, नये कार्य स्थलों को खोलना और जल गुणवत्ता प्रयोगशाला का उन्नयन	दैनिक/दस विसीय/ मासिक/ वार्षिक/ आवधिक	सभी केन्द्रों से आंकड़ा संग्रह किया गया था	
		120 जलाशयों की जलाशय जल स्तर की संग्रह करना जिनकों सिक्रय भंडारण को टेलिमिट्री प्रणाली द्वारा		व्यवाहर्यता अध्ययन और बोली दस्तावेजों को तैयार करने आदि जैसी स्कीमों से संबंधित प्रारंभिक कार्य	ईएफसी के अनुमोदन के पश्चात कार्य शुरू किया जायेगा	शून्य चूंकि उप-स्कीम अनुमोदित नहीं है	

क्र. सं.	कार्यक्रम/स्कीम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2012-13	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2012 तक कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
		सीडब्ल्यूसी द्वारा निगरानी किया जाना प्रस्तावित है					
		सीपीडीएससी/इसकी उपसमितियों का सुदृढ़ीकर, कार्य स्थल दौरा, प्रशिक्षण/शिक्षामूलक यात्राएं, तकनीकी हस्तातंरण,दक्षता केन्द्र के रूप में समुद्रतट कटाव निदेशालय का सुदृढ़ीकरण, मैनुअल, दिशानिर्देशों को तैयार करना, कार्यशाला, सेमिनार आदि		एक नई कार्यकलाप होने के कारण कार्यस्थलों की पहचान हेतु प्रारम्भिक कार्यों को पूरा करना प्रस्तावित है। सीपीडीएससी और इसकी उपसमितियों की बैठकों का आयोजन करना।	ईएफसी के अनुमोदन के पश्चात कार्य शुरू किया जाएगा।	सीईएसएस कैडर केरल से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में राज्य में सीएमआईएस के कार्यान्वयन हेतु केरल में सीडब्ल्यूसी के क्षेत्रीय कार्यालय में सीईएसएस, केरल और सिंचाई विभाग के साथ चर्चा की गई थी।	
		वर्ष 2011-12 के संदर्भ वर्ष सहित 5वीं एमआई गणना करना		1) एक राज्य में अगले एमआई गणना को करने के लिए नई कार्यप्रणाली का प्ररीक्षण 2) कार्य जारी	अक्तूबर-12	राजस्थान राज्य में अध्ययन पूरी कर लनी गई है और रिपोर्ट दिनांक 31.12.2012 को एनआईएसजी द्वारा प्रस्तुत कर दी जाएगी	
		कृष्य कमान क्षेत्र (सीसीए) और उनकी भौगोलिक विस्तार के आधार पर आउट		आउट सोर्सिंग के माध्यम से परियोजना प्राधिकरणों से सूचना संग्रह करने हेतु अनुसूची तैयार करना	अनुसूची का मसौदा तैयार कर लिया गया है	राज्य सिंचाई विभागों की संबंधित अधिकारियों से अनुसूची को अंतिम रूप देने हेतु विचार मांगे जा रहे हैं	

क्र. सं.	कार्यक्रम/स्कीम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2012-13	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2012 तक कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
		सोर्सिंग के माध्यम से सूचना संग्रह करना, सृजित सिंचाई क्षमता और उपयोग (आईपीसी एवं आईपीयू), फसल पैटर्न, अन्य परियोजना संबंधी सूचना					
		डब्ल्यूक्यूएए जल गुणवत्ता निगरानी और आंकड़ा तैयार करने की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पद्धतियों को मानीककृत करने हेतु विभिन्न उपकरणों को निर्देश , उपायों को शुरू करने हेतु ताकि निर्धारित सबसे बेहतर उपयोगों को पूरा करने हेतु नदी/जल निकायों की जल गुणवत्ता को पुनर्स्थापित करने कोर ध्यान में रखते हुए अपशिष्ट जल का उचित उपचार		डब्ल्यूक्यूएए की अधिकतर गतिविधियां निरंतर प्रकृति की हैं और वर्ष भर चलाए रखना होता है। वर्ष 2012-13 के दौरान शुरू किए गए डब्ल्यूक्यूएए की कुछ मापनीय गतिविधियां निम्नलिखित हैं: 1. जन जागरूकता कार्यक्रम के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री/बुकलेट वर्किंग मॉडल/ प्रदर्शन 2.'स्टडी ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेस एंड टाक्सिक मेटलस् प्रोफाइल इन मेजर रिवरर्स आफ इंडिया- सीजन वाइज' संबंधी रिपोर्ट को तैयार करना	अधिकतर गतिविधियों को वर्ष भर जारी रखा जाना होगा। कालम (5) में दिये गये मापनीय गतिविधियों हेतु प्रक्रियाएं हैं: क्र.सं. 1: आईईसी प्रभाग, जल संसाधन मंत्रालय को कार्य दिया गया है क्र.सं. 2:केन्द्रीय जल आयोग को कार्य सौंपा गया है क्र.सं. 3: केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड को कार्य सौंपा गया है क्र.सं. 4: सीपीसीबी को	कालम 5 में दिए गए मापनीय गतिविधियों संबंधी उपलब्धियां निम्नानुसार हैं: क्र.सं. 1: कार्य प्रगति पर है क्र.सं. 2: कार्य प्रगति पर है क्र.सं. 3: छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात के औद्योगिक क्लस्टरों संबंधी रिपोर्टें प्राप्त हो चुकी हैं और जांचाधीन हैं क्र.सं. 4: कार्य प्रगति पर है	

क्र. सं.	कार्यक्रम/स्कीम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2012-13	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2012 तक कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
		सुनिश्चित किया जा सके। जल गुणवत्ता प्रबंधन के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को शुरू करने, कृषि के विकास में सिंचाई के लिए जल-मल /व्यावसायिक अपशिष्ट के उपचार किए गए जल का पुनर्चक्रण, पुन: प्रयोग हेतु अधिदेश देती है		3.'गंभीर रूप से प्रदूषित औद्योगिक क्लस्टरों में भूमि जल संदूषण संबंधी अध्ययन', संबंधी रिपोर्ट 4. 'गहन कृष्य गतिविधियों (खाद, किटनाशक दवा, पीओपी) के कारण भूमि जल का संदूषण संबंधी अध्ययन' रिपोर्ट	कार्य सौंपा गया है		
		जल निकायों में गुणवत्ता सुधार हेतु कार्य योजना तैयार करना, नदी प्रणाली में जलीय जीवन के स्थायीत्व के लिए न्यूनतम जल बहाव को बनाए रखना, अपशिष्ट उपचार की लागत को कम करने के लिए गंभीर नदी क्षेत्रों में अपने में आत्मसात करने की क्षमता का उपयोग		5. भारत में भूजनिक संदूषकों - सेलेनियम, रेडियो कारकों जैसे यूरेनियम, रेडोन और थोरियम संबंधी स्थिति रिपोर्ट 6. राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र में भूमि जल गुणवत्ता आधार अध्ययन 7. मृदा जलभृत उपचार के माध्यम से उपचार किए गए अपशिष्ट जल द्वारा भूमि जल का कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी डेस्क	क्र.सं. 5: केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड को कार्य सौंपा गया क्र.सं. 6: डब्ल्यूक्यू सेल, जल संसाधन मंत्रालय में कार्य प्रगति पर है क्र.सं. 7: एनईईआरआई, नागपुर को कार्य सौंपा गया क्र.सं. 8: 3 प्रशिक्षण कार्यक्रम- सीडब्ल्यूसी, एनआईएच और आउट सोर्स वाली अधिकरण को एक-एक कार्यक्रम सौंपा	क्र.सं. 5: कार्य प्रगति पर है क्र.सं. 6: ईओआई बढ़ा दी गई क्र.सं. 7: मसौदा अंतिम रिपोर्ट प्राप्त किया गया है और जांचाधीन है क्र.सं. 8: ईए-जल द्वारा 'अपशिष्ट जल का पुर्नचक्रण एवं पुन:प्रयोग संबंधी इन हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम' संबंधी एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। 'हेंडस ऑन एडवांस इस्ट्रूमेंटस आफ वाटर कवालिटी टेस्टिंग' संबंधी एक अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन एनआईएच द्वारा किया गया था क्र.सं. 9: 30.5.2012 को डब्ल्यूक्यूएए	

क्र. सं.	कार्यक्रम/स्कीम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2012-13	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2012 तक कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
		करन, राष्ट्रीय जल संसाधन (जैवजनित पहलुओं के कारणों को छोड़कर, सतही और भूमि जल दोनों) कि गुणवत्ता की स्थिति की पुनर्समीक्षा और 'जल गुणवत्ता में सुधार हेतु आवश्यक कार्यों को शुरू करने के लिए हाटस्पॉटों' को अभिज्ञात करना, ऐसे समितियों को सौंपे गए कार्यों के समन्वय हेतु राज्यीय स्तर जल गुणवत्ता समीक्षा समिति का गठन/स्थापना		अध्ययन 8.जल गुणवत्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन (3) 9. डब्ल्यूक्यूएए की बैठकों का आयोजन और उसमें लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई शुरू करना. 10. आर एवं डी प्रस्ताव- राष्ट्रीय , राजधान क्षेत्र दिल्ली में मानसून बाद आधार भूमि जल गुणवत्ता 11.जीआईएस प्लेटफार्म पर मेरठ जिले की मौजूदा जल निकायों के जल गुणवत्ता का अध्ययन	गया क्र.सं. 9: वर्ष में डब्ल्यूक्यूएए की दो बैठकें क्र.सं. 10: एनईईआरआई, नागपुर को कार्य सौंपा गया क्र.सं. 11: जनहित फाउंडेशन, मेरठ को कार्य सौंपा गया	की एक बैठक आयोजित की गई थी और निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई शुरू की गई। क्र.सं. 10: आईएफडी, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा सहमति हेतु राष्ट्रीय राज्य क्षेत्र, दिल्ली में आधार भूमि जल गुणवत्ता संबंधी आर एवं डी अध्ययन को वित मंत्रालय को भेजा गया है। क्र.सं. 11: मसौदा अंतिम रिपोर्ट की जांच कर ली गई थी और संशोधन किए जा रहे हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त डब्ल्यूक्यूएए ने अप्रैल, 2012 में इंडिया वाटर वीक में भाग लिया था। 8 मई, 2012 को पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा 'पेयजल गुणवत्ता एवं जल प्रबंधन' का आयोजन किया गया था। माननीय मंत्री (जल संसाधन) ने 5 से 8 नवम्बर, 2012' को यूएनईपी-जीईएमएस/जल कार्यक्रम के साथ सहयोग से भारत जल फाउंडेशन द्वारा आयोजित 'वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग इन एशिया एंड पेसीफीक: चेलिंजेज एण्ड अपरचूनिट' संबंधी एक कार्यशाला की शुरूआत की थी। डब्ल्यूक्यूएए ने कार्यशाला में भाग लिया और 'डब्ल्यूक्यूएए की भूमिका और इसकी उपलब्धी' संबंधी एक पेपर	

क्र. सं.	कार्यक्रम/स्कीम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2012-13	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2012 तक कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
						प्रस्तुत किया।	
		कार्यस्थल दौरों को करने के द्वारा वृहत, मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की निगरानी करना और उसके कार्यान्वयन स्थिति रिपोर्ट को तैयार करना तथा सीडब्ल्यूसी की निगरानी ईकाई को सुदृढ़ करना		I) दूर संवेदी के माध्यम से एआईबीपी द्वारा वित पोषित 50 अतिरिक्त परियोजनाओं की क्षमता सृजन का आकलन ii) वृहत एवं मध्यम परियोजनाओं की निगरानी	गतिविधियां पूरे वर्ष जारी रहेंगी	i) एनआरएससी, हैदराबाद कार्टोसेट सेटलाइट आंकड़ा का उपयोग करते हुए दूर संवेदी के माध्यम से एआईबीपी द्वारा वित पोषित 50 अतिरिक्त परियोजनाओं की सृजित सिंचाई क्षमता का आकलन का कार्य कर रही है ii) एनआरएस, हैदराबाद द्वारा अब तक 44 रिपोर्टें प्रस्तुत की गई हैं . iii) इन हाउस क्षमताओं का विकास करने के द्वारा एआईबीपी के तहत तुरंत वृहत एवं मध्यम परियोजनाओं की ऑनलाईन निगरानी की जाएगी (दिनांक 26 से 29 दिसम्बर, 2012 तक एनआरएस, हैदराबाद में सीडब्ल्यूसी के अधिकारियों के पहले बैच का प्रशिक्षण निर्धारित है iv) सभी वृहत एवं मध्यम परियोजनाओं की निगरानी की जाती है.	
		वाटर शेट एटलस का सृजन और 1:50000 स्केल पर वेबसक्षम देश की जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास		डब्ल्यूआरआईएस के तीसरे संस्करण को शुरू किया जाएगा	दिनांक 4.12.2012 को इंडिया डबल्यूआरआईएस का तीसरा संस्करण शुरू किया गया।	माननीय जल संसाधन मंत्री द्वारा नई दिल्ली में 7 दिसम्बर, 2012 को इंडिया डबल्यूआरआईएस की वेबसाइट का पहला संस्करण शुरू किया गया था। वेबसाइट का यूआरएल www.india-wris.nrsc.gov.in हैं जिस पर विस्तृत ब्यौरा देखा जा सकता है। विश्व जल दिवस अर्थात 22 मार्च, 2012 को	

क्र. सं.	कार्यक्रम/स्कीम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2012-13	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2012 तक कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
						अध्यक्ष सीडब्ल्यूसी द्वारा इंडिया डबल्यूआरआईएस के दूसरे संस्करण को शुरू किया गया था। इसके अतिरिक्त इंडिया डबल्यूआरआईएस के तीसरे संस्करण को 4.12.2012 को शुरू किया गया।	
		सीडब्ल्यूसी के पुस्तकालय का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण		सीडब्ल्यूसी के पुस्तकालय का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण	गतिविधियां जारी	i) विद्युतिक सेवा और बागवानी का एएमसी ii) पेस्ट कंट्रोल और विद्युत बिलों की अदायगी	
		i) ई गवर्नेंस क्षमताओं को बढ़ाना ii) हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क संसाधनों का उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण iii) सीडब्ल्यूसी के वेबसाइट का सुधार iv) प्रशिक्षण के माध्यम से सीडब्ल्यूसी में सूचना तकनीकी ज्ञान आधार का निर्माण v) एसएम निदेशालय का सुदृढ़ीकरण		i) 247 कम्प्यूटरों और 180 यूपीएस का उन्नयन ii) आर्क जीआईएस साफ्ट वेयर को इंस्टाल करना iii) ऑटोकेड सॉफ्टवेयर को इंस्टाल करना iv) एनटीवायर्स सॉफ्टवेयर को इंस्टाल करना v) एपीएआर सॉफ्टवेयर के अतिरिक्त मॉड्यूल को इंस्टाल करना vi) अभियांत्रिकी ड्राइंग का डिजीटीकरण vii) एक्टीव डायरेक्टरी को इंस्टाल करना viii) IPv4 से IPv6 को	2012-13 में पूर्ण	i) निविदा खोल दिया गया ii) सरवर में सॉफ्टवेयर इंस्टाल कर दिया गया iii) प्रक्रियाधीन कोटेशन प्राप्त iv) सरवर में सॉफ्टवेयर इंस्टाल कर दिया गया v) आदेश दे दिया गया है, कार्य प्रगति में है vi)ईओआई बुलाई गई है, निविदा प्रक्रियाधीन vii) प्रक्रियाधीन viii) स्विचें बदली गई हैं	सितम्बर,2012 में बजट आवंटित किया गया

क्र. सं.	कार्यक्रम/स्कीम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2012-13	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2012 तक कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
				इंस्टाल करना			
2	जल क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम	इस स्कीम में जल संसाधन के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास और प्रशिक्षण से संबंधित विभिन्न कार्यकलाप शामिल हैं। ये क्रियाकलाप जल विज्ञान, द्रवीय, मृदा एवं सामग्री विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी अनुसंधान संस्थानों अर्थात् एनआईएच, सीडब्ल्यू एण्ड पीआरएस, और सीएसएमआरएस और सीडब्ल्यूसी द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे हैं। कार्यक्रम के परिणामस्वरूप सिंचाई प्रणाली की दक्षता में सुधार, जल संसाधन परियोजना में खतरे/जोखिम में कमी, परियोजना के लिए आर्थिक डिजाइन और	100.00	स्कीम के कार्यान्वयन से क्षमता निर्माण और अतिरिक्त सुविधाओं के सृजन में सहायता मिलेगी । अनुसंधान के परिणाम सामान्यत: आयोजना एवं डिजाइन के लिए उन्नत तकनीकों की सिफारिशों वाली तकनीकी रिपोर्टें ओर शोध पत्रों के रूप में होते हैं । मात्रात्मक सुपुर्दगियां हैं : अनुसंधान रिपोर्टें = 231 शोध पत्र = 279 प्रशिक्षण कार्यशाला = 30	मंत्रालय के विभिन्न संगठनों द्वारा कार्य को कार्यान्वित किया जाना है	अनुसंधान/तकनीकी रिपोर्टें-150 शोध पत्र - 186 प्रशिक्षण और कार्यशाला - 23	

क्र. सं.	कार्यक्रम/स्कीम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2012-13	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2012 तक कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
		नई/उन्नत तकनीक का विकास करना होगा ।					
3.	जल विज्ञान परियोजना	13 राज्यों और 8 केंद्रीय अभिकरणों में जली संसाधन की आयोजना और प्रबंधन से संबंधित सभी प्रयोक्ता अभिकरणों द्वाराजल वैज्ञानिक सूचना प्रणाली के सतत एवं प्रभावी उपयोग को आगे बढ़ाना और प्रोत्साहित करना ।	70.00	जल विज्ञानीय परियोजना में स्थित 4 मुख्य परामर्शियों की सहायता सहित परियोजना घटकों अर्थात् सांस्थानिक सुदृढ़ीकरण, जल वैज्ञानिक डिजाइन संबंधी सहायता के साथ ऊर्ध्वाधर विस्तार, डीएसएस-आयोजना (डीएसएस-पी), डीएसएस-वास्तविक समय और नए राज्यों में पीडीएस सहित 41 उद्देश्य प्रेरित अध्ययन और क्षैतिज विस्तार का कार्यान्वयन ।	नियोजित कार्यकलापों को केन्द्रीय अभिकरणों जैसे-पीसीएस (जल संसाधन मंत्रालय), बीबीएमबी, सीडब्ल्यूसी, सीजीडब्ल्यूबी, सीडब्ल्यूपीआरएस, सीपीसीबी, आईएमडी और एनआईएच के माध्यम से जून, 2012 तक कार्यान्वित किया जाना है	(क) आकड़ा प्रेक्षण और वैधीकरण नियमित आधार पर किए जा रहे हैं। (ख) शेष 3 राज्यों (9 राज्यों में से) में निर्णयानुसार,सहायक प्रणाली योजना कंसलटेंसी, जैनरीक मॉडलों का अनुकूलन किया जा रहा है। (ग) बीबीएमबी की डीएसएस- रियल टाइम हेतु आरटी-डीएएस- का संस्थापन प्रगति पर है। (घ) जल विज्ञानीय डिजाईन ऐड (एचडीए) मॉडल के मॉड्यूल का विकास किया जा रहा है। (ड.) उद्देशयजनित 10 अध्ययन पूर्ण होने की विभिन्न् अवस्थाओं में हैं और उनमें से कुछ तो पूर्ण होने के निकट हैं। परिणामों का विवेचन और रिपोर्टों को अंतिम रूप दिए जाने का कार्य प्रगति पर है। (च) जलभृत मापन के तहत विभिन्न अधिप्राप्तियां प्रगति पर हैं।	

क्र. सं.	कार्यक्रम/स्कीम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2012-13	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2012 तक कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	नदी बेसिन प्रबंधन		200.00				
क	जल संसाधन विकास स्कीमों की जांच	जल संसाधन विकास के लिए पहचानी गई परियोजनाओं के संबंध में छानबीन करना ।	100.00	पहचानी गई योजनाओं के लिए परियोजना रिपोर्ट की छानबीन एवं तैयारी करना	परियोजना रिपोर्ट की छानबीन/तैयारी का कार्य एक से अधिक वर्षों में पूरा किया जाता है तथा आने वाले वर्षों में आगे चला जाता है ।	क) सोनबांध- गंगा सम्पर्क की दक्षिण वितरीकाओं की जल सर्वेक्षण की जांच संबंधी कार्य एवं एफआर की जांच और तैयारी करने का कार्य प्रगति पर है। शेष तीन सम्पर्कों, जो कि अंतर्राष्ट्रीय आयामों से संबंधित है, के लिए कार्य स्थल सर्वेक्षण एवं जांच प्रगति पर है। नेपाल में स्थित एक सम्पर्क कोसी-मेची का कार्य शुरू नहीं किया जा सका है। एनडब्ल्यूडीए ने जोगीघोपा-तिस्ता-गंगा समपर्क का वन मुक्त सर्वेक्षण की पीएफआर भी तैयार की है। मानस-संनकोश-तीस्ता- गंगा सम्पर्क के विभिन्न वैकल्पिक अध्ययन किए गए थे। सीरसी के एनजीओ जिसे प्रस्तावित ईआईए हेतु टीओआर एवं बेदती- वर्धा सम्पर्क की आर्थिक प्रणाली अध्ययन उनके टिप्पणियों हेतु भेजी गई थी, ने सूचित किया है कि वे इस सम्पर्क के लिए ईआईए अध्ययन करने के पक्ष में नहीं हैं और एनडब्ल्यूए द्वारा किसी भी सर्वेक्षण का विरोध करती है और यह भी चाहता है कि उनके द्वारा यथा	हिमालय घटक के तहत विभिन्न परियोजनाओं के लिए उनके क्षेत्र में सर्वेक्षण एवं जांच कार्य करने हेतु पड़ोसी देशों की अनुमति और प्रायद्वीपीय घटक के तहत विभिन्न अंतर्राज्यीय और अंत:राज्यीय सम्पर्क परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करने हेतु संबंधित राज्यों की सहमति आवश्यक है। एनडब्ल्यूडीए द्वारा लगातार प्रयास किए जा

क्र. सं.	कार्यक्रम/स्कीम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2012-13	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2012 तक कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
						प्रस्तावित सिरसी जिले के लिए एकीकृत पर्यावरण अध्ययन को कर्नाटक राज्य द्वारा शुरू किए जाना है जिसके लिए उन्होंने 16 बिन्दुओं वाली टीओआर प्रस्तुत किया है। इस संबंध में उनकी प्रतिक्रिया के लिए एनडब्ल्यूडीए कर्नाटक सरकार के साथ लगातार सम्पर्क कर रही है। एक अन्य सम्पर्क नामत: नेत्रवती-हेमावती के लिए कर्नाटक सरकार से सहमति प्राप्त नहीं हुई है जिसके लिए एनडब्ल्यूडीए द्वारा शुरूआती सहमति के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। 6 अन्त:राज्यीय सम्पर्कों की पीएफआर भी पुरी कर ली गई है और अन्य शेष सम्पर्क प्रस्तावों की पीएफआर की तैयारी प्रगति पर है। महाराष्ट्र एवं गुजरात सरकारों ने पार-तापी-नर्मदा और दमन गंगा-पिंजाल सम्पर्कों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु अपनी सहमति सूचित कर दी है और इस संबंध में माननीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति में गुजरात, महाराष्ट्र के मुख्य मंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। इन सम्पर्कों की डीपीआर तैयार करने हेतु सर्वेक्षण एवं जांच प्रगति पर है। मार्च, 2013	रहे हैं।

क्र. सं.	कार्यक्रम/स्कीम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2012-13	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2012 तक कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
						तक डीपीआर पूरा कर लिया जाना नियोजित है। तथापि, कुछ सार्वजनिक बाधाएं हैं जो कार्य की प्रगति को प्रभावित करती हैं। पार्वती-कालीसिंध -चम्बल सम्पर्क की डीपीआर तैयार करने हेतु त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए संबंधित राज्यों मध्य प्रदेश एवं राजस्थान राज्यों को समझाने के लिए जल संसाधन मंत्रालय/एनडब्ल्यूडीए द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे। राजस्थान सरकार की इच्छानुसार एनडब्ल्यूडीए ने सम्पर्कों की जल विज्ञानीय अध्ययनों को अपडेट किया है। सीडब्ल्यूसी द्वारा मूल्यांकन के पश्चात जल संसाधन मंत्रालय की तकनीकी सलाहकार समिति ने पोलावरम परियोजना जो कि गोदावरी (पोलावरम)-कृष्णा (विजयवाड़ा) सम्पर्क की मुख्य घटक है, को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दी थी। राज्य सरकार अपनी स्वयं की योजनानुसार परियोजना को कार्यान्वित कर रही है। परियोजना के पहले चरण की डीपीआर 30.4.2010 को पूरी कर ली गई थी और मई, 2010 में राज्य	

क्र. सं.	कार्यक्रम/स्कीम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2012-13	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2012 तक कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
						सरकारों को भेज दी गई थी। इसके अतिरिक्त 4.8.2010 को आयोजित बैठक में सचिव (जल संसाधन) ने केन-बेतवा सम्पर्क परियोजना की प्रगति की समीक्षा की थी, इसके दौरान यह निर्णय लिया गया कि अब इन परियोजनाओं की व्यवहार्यता की पुष्टि करने के पश्चात प्राथमिकता के आधार पर एनडब्ल्यूडीए द्वारा उपरी बेतवा उपबेसिन में वृहत/मध्यम परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण एवं जांच कार्य शुरू किया जाएगा। उपरी बेतवा क्षेत्र में चरण-II प्रस्तावों के लिए सर्वेक्षण और जांच कार्य और अध्ययन प्रगति पर है। वर्ष 2012-13 के दौरान ' अन्त: राज्यीय सम्पर्क की पीएफआर पूरी कर ली जाएगी। दिनांक 11.6.2011 को अन्त:राज्यीय समपर्क की डीपीआर तैयार करने हेतु एनडब्ल्यूडीए के अधिदेश को मजबूती देने हेतु गजट अधिसूचना तैयार की गई थी। एनडब्ल्यूडीए द्वारा बूढ़ी गंडक-नोन-बाया- गंगा सम्पर्क की डीपीआर तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। एनडब्ल्यूडीए ने इन सम्पर्कों की पीपीआर तैयार कर ली है। मार्च, 2013	

क्र. सं.	कार्यक्रम/स्कीम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2012-13	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2012 तक कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
						तक डीपीआर पूरी कर ली जाएगी। महाराष्ट्र की एक सम्पर्क और तमिलनाडु की एक सम्पर्क का कार्य भी डीपीआर हेतु शुरू किया गया है।	
ख	नदी बेसिन संगठन / प्राधिकरण	इस स्कीम का उद्देश्य, जल संसाधन के इष्टतम उपयोग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प की पहचान करने और सभी दावाधारकों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने की दृष्टि से आवश्यक अध्ययन और मूल्यांकन आदि प्रारंभ करने के वास्ते सभी सह-बेसिन राज्यों को एक मंच प्रदान करने के प्रमुख उद्देश्य सहित, नदी बेसिन संगठन को बढ़ावा देना है ।	0.00	नदी बेसिनसंगठनों के सृजन से पूर्व राज्य सरकारों से परामर्श किया गया है । परामर्श की प्रक्रिया इस वर्ष के दौरान शुरू की गई थी । इस संबंध में एक सांकेतिक प्रावधान किया गया है ।		मंत्रालय ने संबंधित राज्यों को महानदी एवं गोदावरी नदियों के लिए आरबीओ के गठन हेतु प्रस्ताव भेजे हैं । राज्य सरकार का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । मामले को संबंधित राज्यों के साथ उठाया जा रहा है ।	
ग	सीडब्ल्यूसी का पुनर्गठन	अधिक व्यापक और एकीकृत रूप में बेसिन स्तरीय मामलों का समाधान करने और	10.00	'सीडब्ल्यूसी का पुनर्गठन' की स्कीम का अनुमोदन और पुनर्गठित सीडब्ल्यूसी के लिए पदों का सृजन	पुनर्गठन प्रस्ताव के अनुमोदन के पश्चात गतिविधियां शुरू करना	नई घटक। कोई व्यय नहीं किया गया चूंकि अनुमोदन लंबित है।	जल संसाधन मंत्रालय को मसौदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया

क्र. सं.	कार्यक्रम/स्कीम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2012-13	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2012 तक कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
		पर्यावरण परिवर्तन से संबंधित समस्याओं का समाधान करने हेतु राष्ट्रीय जल मिशन (एनडब्ल्यूएम) के तहत जल संसाधन मंत्रालय/सीडब्ल्यूसी को सौंपी गई जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए बेसिन स्तर पर फील्ड गतिविधियों का क्षेतिज विस्तार					गया।
घ	ब्रह्मपुत्र बोर्ड	मास्टर योजना का सर्वेक्षण, जांच एवं तैयार करना, जल निकास स्कीमों के लिए डीपीआर और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए डीपीआर, जल निकास विकास स्कीमों का निष्पादन, कटावरोधी स्कीमों और बाढ़ प्रबंधन स्कीमें, एनईएएचआरआई का	90.00	3 मास्टर योजना, डीडीएस की दो डीपीआर, एमपीपी अर्थात कुलसी, नोवा-दीहिंग और सीमसांग की 3 डीपीआर को पूरा करना, बरभाग डीडीएस के 40% कार्य, अमजूर डीडीएस के 18%, जेंगराई का 42%, जकाईचुक का 2%, बाढ़ एवं कटाव से माजुली द्वीप की सुरक्षा के चरण-II एवं III कार्यों का 43%, धोला हाथीघुली चरण-IV के	गतिविधियों को पूरे वर्ष भर जारी रखना।		

क्र. सं.	कार्यक्रम/स्कीम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2012-13	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2012 तक कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
		प्रचालन, रख-रखाव एवं उन्नयन, मुख्यालय परिसर का निर्माण एवं बोर्ड द्वारा सृजित सम्पत्ति का आर एवं एम, उपर उठाए गए प्लेटफार्मों का निर्माण, आईटी एवं जीआईएस का उन्नयन, पर्यावरण परिवर्तन अध्ययन आदि।		जलौढ़ का 26% कार्य, उपर उठाए गए प्लेटफार्मों का 30% कार्य को पूरा करना। ब्रह्मपुत्र नदी के चैनलीकरण की व्यवहार्यता अध्ययन को जारी रखना, एनईएचआरआई का प्रचालन एवं रख-रखाव एवं उन्नयन, आईटी एवं जीआईएस का उन्नयन; पर्यावरण परिवर्तन अध्ययन को शुरू किया जाएगा, असम में मानकच्छार मसलपुर क्षेत्र के कलेयर अलगा की सुरक्षा हेतु कटावरोधी कार्यों का 20%			
5.	अवसंरचना विकास योजना	1. जल संसाधन मंत्रालय और इसके संबद्ध/अधीनस्थ संगठनों के लिए भूमि का प्रबंध और कार्यालय एवं आवासीय भवनों का निर्माण और 2. जल संसाधन	55.00	(i) भूमि का अधिग्रहण (ii) कार्यालय / आवासीय भवनों का निर्माण । (iii) फील्ड कार्यालयों में डाटाबेस की नेटवर्किंग के अतिरिक्त नवीनतम आईटी हाडवेयर एवं सॉफ्टवेयर का अधिग्रहण उन्नयन और रखरखाव और साथ ही	चूंकि भूमि एवं भवनों का अधिग्रहण लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न अभिकरण शामिल हैं, लक्षित कार्यों में से कुछ कार्य अगले वर्ष में चले गए हैं ।	भुवनेश्वर में कर्मचारी आवासों की चारदीवारी का निर्माण पूरा हो गया है। गुवहाटी में क्षेत्रीय एवं डिवीजनल कार्यालय भवन का निर्माण, अहमदाबाद में क्षेत्रीय एवं डिवीजनल कार्यालय भवन का निर्माण, बंगलौर में डिवीजनल वर्कशाप और स्टोर बिल्डिंग का निर्माण और भोपाल में डिवीजनल वर्कशाप और	भूमि का अधिग्रहण और भवनों का निर्माण लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न केंद्रएवं राज्य

क्र. सं.	कार्यक्रम/स्कीम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2012-13	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2012 तक कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
		मंत्रालय सीडब्ल्यूसी और सीजीडब्ल्यूबी में आईटी योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक अवसंरचना का प्रावधान ।		मुख्यालयों में ई-गवर्नेंस और आईटी सुविधाओं में व्यक्तियों को प्रशिक्षण की सुविधा ।		स्टोर बिल्डिंग का निर्माण कार्य प्रगति पर है और 2013 से 2015 तक पूरा किए जाने की संभावना है। 33 कम्प्यूटरों, 12 प्रिंटरों, 7 स्केनरों, 5 लेपटाप, 9 डिजीटल कॉपिअर और 3 मल्टीफंक्शनल मशीनों की अधिप्राप्ति। मल्टीफंक्शनल मशीनों/ कॉपिअरों की रनिंग चार्जिज, विभिन्न मशीन, कम्प्यूटरों, प्रिंटरों, स्केनरों, लेपटाप आदि की मरम्मत एवं रखरखाव, कार्टिज, टोनरों, फोटो कापी पेपर, रीम आदि।	सरकार के प्राधिकरण शामिल हैं, जिसके कारण कार्य आगे जाने की आशंका है।
6.	बाढ़ पूर्वानुमान	स्थानीय प्रशासन को 175 केंद्रों पर समय से बाढ़पूर्वानुमान देने के लिए 20 नदी बेसिनों सहित सीडब्ल्यूसी द्वारा पूरे देश में जल वैज्ञानिकप्रेक्षण स्थानों के नेटवर्क का रखरखाव और बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क का विस्तार।	48.00	वास्तविक आंकड़े एकत्रित करना, इनका विश्लेषण और बाढ़ पूर्वानुमान जारी करना (लगभग 6000 पूर्वानुमान प्रति वर्ष जारी किये जाते हैं)	केन्द्रीय जल आयोग द्वारा वर्ष भर कार्यान्वित की गई।	इस अवधि के दौरान कुल 5031 बाढ़ पूर्वानुमान जारी किए गए ।	स्कीम के गैर अनुमोदन के कारण बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क के विस्तार की नई गतिविधियां शुरू नहीं की जा सकी।
7.	फरक्का बैराज परियोजना	(i) फरक्का बैराज परियोजना और इसकी	75.00	फरक्का बैराज परियोजना और इसकी फीडर नहर,	फरक्का बैराज परियोजना द्वारा कार्यान्वित।	(i) फरक्का बैराज, इसकी संबद्ध संरचनाओं का रखरखाव एवं गंगा-पद्मा	शून्य

क्र. सं.	कार्यक्रम/स्कीम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2012-13	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2012 तक कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
		फीडर नहर, जांगीपुर बैराज आदि सहित इसकी संबद्ध संरचनाओं का रखरखाव (ii) गंगा नदी को मुख्य बैराज के साथ ले जाने के लिए गंगा नदी और इसकी वितरिकाओं के साथ तटों की सुरक्षा के लिए कटाव रोधी कार्य।		जांगीपुर बैराज आदि सहित इसकी संबद्ध संरचनाओं का रखरखाव, जो कि निरंतर कार्यकलाप, गेटों की अधिप्राप्ति आदि है। गंगा, पद्मा नदी के साथ-साथ भूमि, फसलों, फलोद्यानों, सार्वजनिक भवनों, आदि को बचाने के लिए फरक्का बैराज के 40 कि.मी. प्रतिप्रवाह से 80 कि.मी. अनुप्रवाह तक एफबीपी के बढ़ाए गए अधिकर क्षेत्र में कटाव नियंत्रण ।	क्रियाकलाप वर्षभर जारी ।	नदी एवं इसकी वितरिकाओं के साथ साथ कटाव रोधी कार्य आवश्यकता के अनुसार जारी रखे गए । (ii) 4500 मी. की लंबाई में 74.00 करोड़ रुपये की राशि के कटाव रोधी कार्य पूरे किए गए ।	
8.	नदी प्रबंधन कार्य और सीमा क्षेत्र संबंधी कार्य	साझा/सीमावर्ती नदियों पर नदी प्रबंधन कार्यों के अतिरिक्त पड़ोसी देशों के साथ जल संसाधन परियोजनाओं के जल वैज्ञानिक प्रेक्षण ओर अन्वेषण । ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा बाढ़ नियंत्रण, कटाव रोधी एवं जल निकास विकास कार्य । कोसी	125.00	(i) बंगलादेश के साथ गंगा नदी पर संयुक्त जल वैज्ञानिक प्रेक्षण जारी रखना (ii) संयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना। (v) पड़ोसी देशोंसे/को बाढ़ संबंधित आंकड़े संप्रेषित करना। (vi) साझा / सीमावर्ती	केन्द्रीय जल आयोग, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, और बिहार, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, जम्मू व कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किया गया ।	i) 1996 की संधि के अनुसार बंगलादेश के साथ गंगा नदी संबंधित संयुक्त जल वैज्ञानिक प्रेक्षण जारी । (ii) पंचेश्वर और सप्तकोसी परियोजनाओं * (नेपाल में) की सर्वेक्षण एवं जांच जारी। (iii) बंगलादेश को बाढ़ से संबंधित आंकड़ा हस्तांतरित। (iv) बंगलादेश के साथ साझा सीमाओं पर त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में नदी	शून्य

क्र. सं.	कार्यक्रम/स्कीम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2012-13	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2012 तक कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
		एवं गंडक परियोजनाओं (नेपाल में) बाढ़ सुरक्षा कार्यों का रखरखाव ।		नदियों पर विकास कार्य ।		प्रबंधन कार्य जारी।	
10.	भूमि जल प्रबंधन एवं विनियमन	**(क) जलभृत प्रबंधन एवं मपापन:** (i)विभिन्न जल भूविज्ञानीय वातावरणों के तहत भूजल संसाधन की आयोजना, निगरानी, विकास और प्रबंधन के लिए कार्य नीति विकसित करना (ii)भूजल विकास, संवर्धन और प्रबंधन के लिए क्षेत्र विशेष तकनीक/तकनीकों का विकास और प्रचालन (iii) विनियमन और नियंत्रण तथा भूजल संसाधन का विकास और प्रबंधन (iv) भूजल के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय	318.00	जल भूविज्ञानीय सर्वेक्षण, जांच, आंकड़ा संग्रहण और विश्लेषण (150 टॉप सीट)	एक वर्ष	संग्रहित टोपोमेप्स की हार्ड कापी -264032 वर्ग कि.मी. भूविज्ञान मानचित्र की हार्ड कापी - 66160 वर्ग कि.मी. मृदा मानचित्र-124774 वर्ग कि.मी. और भू -आकृति विज्ञानीय मानचित्र-115475 वर्ग कि.मी. पर्यवेक्षण कुंओं की प्लोटिंग-166000 वर्ग कि.मी. वर्षापात आंकड़ा संग्रह-193000 वर्ग कि.मी., जल स्तर की टाइम सीरिज आंकड़ा विश्लेषण-77700 वर्ग कि.मी., अनवेषण कुओं का लीथोलॉग्स-172000 वर्ग कि.मी., जलभृत पैरामीटर-134950 वर्ग कि.मी., जलभृत-वार जल गुणवता आंकड़ा-62545 वर्ग कि.मी., भू भौतिकी संबंधी सूचना-149600 वर्ग कि.मी., निगरानी कुओं की आरएल-120700 वर्ग कि.मी.,	

क्र. सं.	कार्यक्रम/स्कीम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2012-13	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2012 तक कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
		भूमि जल बोर्ड की तकनीकी क्षमताओं और संरचनात्मक आधार को शामिल करते हुए अनुसंधान और विकास अध्ययन करना (v)) जल भूविज्ञानीय अनुसंधान और भूमिजल प्रबंधन में ज्ञान और शिक्षा का हस्तांतरण सूचना प्रसार, शिक्षा, जागरूकता, प्रशिक्षण के माध्यम से भूमि जल विकास और प्रबंधन के सभी पहलुओं में क्षमता निर्माण को भी बढ़ाना (vi)स्थायी भूमि जल विकास और प्रबंधन के लिए संबंधित केन्द्रीय/राज्य सरकारी संगठनों के साथ समन्वय बढ़ाना है।				निगरानी में आंकड़ा अंतराल-71800 वर्ग कि.मी. अन्वेषण में आंकड़ा अंतराल -62800 वर्ग कि.मी. जलभृत पैरा मीटरों में आंकड़ा अंतराल -57600 वर्ग कि.मी. भू-भौतिकी सर्वेक्षण में आंकड़ा अंतराल -63000 वर्ग कि.मी. जल गुणवत्ता आंकड़ा तैयार करना-56700 वर्ग कि.मी. 24700 वर्ग कि.मी. में अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग 59500 वर्ग कि.मी. में कुल अन्वेषण कुओं 15500 वर्ग कि.मी. में वर्टीकल इलैक्ट्रिकल साउंडिंग 7900 वर्ग कि.मी. में जलभृत पैरामीटर निर्धारण 394 कुएं वीईएस -1062 बोर होल लॉगिंग-40 14173 नमूने	

क्र. सं.	कार्यक्रम/स्कीम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2012-13	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2012 तक कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
		(ख) वैज्ञानिक उपकरणों जैसे दूर सवेदन और जीआईएस का उपयोग करते हुए भूजल अन्वेषण, भूजल संभावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए ड्रिलिंग सहायता से भू-भौतिकीय सर्वेक्षण		भूजल अन्वेषण - 800 कुऐं (ईडब्ल्यू-530 ,ओ डब्ल्यू- 270) वाप्कोस के माध्यम से पीजो मी. का निर्माण/अन्वेषण	एक वर्ष	समझौता संशोधित। प्रारम्भिक कार्य शुरू की गई। वाप्कोस को 31.69 करोड़ रू. की 40% अग्रिम अदायगी।	
		(ग) भूजल निगरानी केन्द्रों से भू-जल स्तर की निगरानी		भूजल अन्वेषण कुंओ की निगरानी-15640	एक वर्ष	पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और झारखण्ड में 102 कुएं निर्मित	
		(घ) स्रोत का पता लगाने के लिए केन्द्र/राज्य सरकार के विभाग को अल्पकालिक जल आपूर्ति अन्वेषण सौंपना		अल्पकालिक जल आपूर्ति अन्वेषण-आवश्यकता के आधार पर (~200)	एक वर्ष	अप्रैल-मई/अगस्त /नवम्बर के महीनों के लिए निगरानी पूर्ण। निगरानी हेतु 2055 अतिरिक्त कुएं स्थापित।	
		(ड.) भूजल अन्वेषण एवं कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के लिए स्थान का चयन करने		भू-भौतिकिय सर्वेक्षण : वीईएस– 2000 वेल लागिंग- एनबी	एक वर्ष	89 जांच	

क्र. सं.	कार्यक्रम/स्कीम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2012-13	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2012 तक कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
		और जलभृतों का पता लगाने के लिए भू-भौतिकीय अध्ययन					
		(च) भूजल गुणवता के आकलन के लिए रासायनिक अध्ययन		जल नमूनों की रसायनिक जांच-20000 नमूने	एक वर्ष	वर्ष 2012-13 के दौरान 234 कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण किया गया और स्कीम के तहत कुल निर्मित संरचनाएं 1002 है।	
		(छ) आयोजनाकारों और प्रशासकों द्वारा उपयोग हेतु रिपोर्ट, मानचित्र तैयार करना		जिला ब्रोचर-120, भूजल वर्ष पुस्तिका-23, राज्य रिपोर्ट- 5	एक वर्ष	कार्य प्रगति पर है। अंतिम रूप दिया जा रहा है।	
		(ज) केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा भूजल विकास का विनियमन		अधिसूचित क्षेत्रों में भूमि जल विकास का विनियमन	जारी	30-जारी, 18-प्रस्तुत, 1-जारी, 5-जारी 16-प्रस्तुत,	
		(झ) भूमिजल का कृत्रिम पुनर्भरण के लिए प्रदर्शनात्मक परियोजना, जिनका प्रतिस्थापन राज्य सरकार एवं अन्य अभिकरणों द्वारा किया जाना है ।		प्रदर्शनात्मक कृत्रिम पुनर्भरण के आगे ले जाए गए कार्य	2-3 वर्ष	वर्ष में सीजीडब्ल्यूए द्वारा 80 नए क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया है। अब 162 कुल अधिसूचित क्षेत्र हैं। खरीद 8 रिग, यूवी वीआईएस स्पैक्ट्रोफोटोमीटर, मैप इनफो सॉफ्टवेयर, डिजीटल फॉरमेट में वर्गीकृत फॉरेस्ट कवर मैप की 393 शीट। एनआरएसई एलआईएसएस III आंकड़ा	

क्र. सं.	कार्यक्रम/स्कीम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2012-13	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2012 तक कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
						- 188 दृश्य। अधिप्राप्ति प्रक्रियाधीन है। डीजीएसएंडडी के माध्यम से 13 रिग। वैज्ञानिक साजो-समान	
11.	मानव संसाधन विकास / क्षमता निर्माण		100.00				
क	राजीव गांधी राष्ट्रीय भूमि जल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान	सीजीडब्ल्यूबी और अन्य केन्द्र/राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को भूजल पहलुओं के संबंध में प्रशिक्षण	15.00	32 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम टायर- II – 36 टायर-III आउट सोर्सिंग के माध्यम से - 100	एक वर्ष	टायर I: 25 प्रशिक्षण पूर्ण. 454 व्यक्ति प्रशिक्षित टायरII : 9 प्रशिक्षण पूर्ण. 240 व्यक्ति प्रशिक्षित टायरIII : 8 प्रशिक्षण पूर्ण. 1373 व्यक्ति प्रशिक्षित	

क्र. सं.	कार्यक्रम/स्कीम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2012-13	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2012 तक कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
ख	सूचना, शिक्षा और संचार	(i) देश के त्वरित, समान, आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सभी दावाधारकों की सक्रिय भागीदारी से इस मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए इष्टतम सतत विकास, गुणवत्ता बनाए रखने ओर देश के जल संसाधन के प्रभावी उपयोग के लिए जागरुकता लाना (ii) आपसी सहयोग और प्रबंधन में समग्र आयोजना एवं सहभागी दृष्टिकोण अपनाने की अविलंब आवश्यकता के लिए जागरुकता सृजन।	25.00	जल संसाधन के सतत विकास एवं उपयोग के लिए लोगों में जानकारी सृजन हेतु शिक्षा देना।	कार्यकलाप जारी	वित्तीय वर्ष 2012-13, दिसम्बर 2012 तक 25 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन में से 8.54 करोड़ रुपये की धनराशि हेतु स्वीकृतियां जारी की गई । निम्नलिखित कार्यकलाप शुरू किए गए हैं:- 1. चित्रकला प्रतियोगिता:- • 35 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा स्कूल, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर त्रिस्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई थी । • 35 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में स्कूल स्तरीय प्रतियोगिता में 41,421 स्कूलों से कुल 21,41,077 छात्रों ने भाग लिया था । • राज्य/संघ शासित क्षेत्र में प्राप्त 50 सबसे अच्छी प्रतिष्टियों के बीच राज्य/संघ शासित क्षेत्र की राजधानियों में 21 नवम्बर, 2012 को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की गई थी । • प्रत्येक राज्य / संघ राज्य क्षेत्र से राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय विजेताओं को 21 जनवरी, 2013 को आयोजित राज्य स्तरीय, चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया ।	

क्र. सं.	कार्यक्रम/स्कीम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2012-13	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2012 तक कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
		(iii) जल संरक्षण की आवश्यकता के संबंध में लोगों में जागरुकता फैलाना । (iv) जल विज्ञान एवं तकनीकी और जल संसाधन के सतत विकास से संबंधित मुद्दों के संबंध में ज्ञान को सिखाना, प्रलेखन और फैलाने पर ध्यान देते हुए राष्ट्रीय जल नीति के सिद्धांतों को प्रोत्साहित करना । (v) जल की वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वर्षाजल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के उपायों को अपनाने की आवश्यकता के संबंध में जागरुकता फैलाना।				2. **जल संरक्षण पर जन-जागरुकता हेतु इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभियान** • 29 जून से 11 जुलाई तक 13 दिनों की अवधि के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क (डीडी-1) तथा 12 क्षेत्रीय चैनलों पर वीडियो स्पॉटों के प्रसारण हेतु प्रसार भारती, दूरदर्शन,नई दिल्ली पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभियान आरंभ किया गया । • जल संरक्षण पर आडियो स्पॉटों के प्रसारण हेतु 45 दिनों के लिए 29.6.2012 से 12.8.2012 तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभियान को आकाशवाणी के राष्ट्रीय समाचार, विविध भारती राष्ट्रीय (37 स्टेशन), 22 एफएम चैनलों और 31 क्षेत्रीय समाचार केन्द्रों पर शुरू किया गया है । • 55 शहरों में 72 स्टेशनों के द्वारा 29.6.2012 से 19.8.2012 तक 52 दिन की अवधि के लिए आडियो स्पॉटों के प्रसारण हेतु निजी एफएम चैनलों पर डीएवीपी के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभियान शुरू किया गया है। • वर्तमान में 285 दिनों के लिए 29.6.2012 से जल संरक्षण पर 30 सेकेंड के वीडियो स्पॉट का लोक सभा दूरदर्शन पर प्रसारण किया जा रहा है । 3. **प्रिंट मीडिया अभियान :-** • भारतीय रेल के रेल बंधु पत्रिका में दो पृष्ठ का रूपक प्रकाशित किया गया था। • दिनांक 19.11.2012 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर एक विज्ञापन जारी किया गया था । 4. जल संरक्षण दिवस • जल संसाधनों के गिरते स्तर के संबंध में जन जागरूकता तैयार करने हेतु विभिन्न पणधारियों के बीच मंत्रालय और इसके संगठनों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से दिनांक 19.11.2012 को स्व.श्रीमती इन्दिरा गांधी के जन्म दिवस को जल संरक्षण दिवस के रूप में मनाया गया और इस बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृति संसाधन के स्थायीत्व के लिए मंत्रालय का दृष्टिकोण जल के लिए एक सक्रिय योगदान के रूप में दर्शाता है।	

क्र. सं.	कार्यक्रम/स्कीम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2012-13	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2012 तक कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
		(vi) अवसंरचना विशेष तौर पर अभियान तंत्र एवं सहायक ढांचे के संबंध में जागरुकता फैलाना।				**5 कार्यशाला / सेमिनार / सम्मेलन :-** • मंत्रालय ने 10 से 14 अप्रैल 2012 तक "भारत जल सप्ताह -2012" का आयोजन किया। • वटकारा, केरल में 'भूमि जल संसाधन के स्थायी प्रबंधन/ भूमि जल में गिरावट' संबंधी जागरूकता कार्यशाला के माध्यम से विज्ञापन एवं प्रचार। **6. मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना :-** • जल संरक्षण तथा प्रबंधन पर लोगों में जागरुकता फैलाने के लिए जल संरक्षण संबंधी पेवेलियन खड़े कर, मॉडलों के माध्यम से 14 से 27 नवम्बर, 2012 तक नई दिल्ली में आईआईटीएफ - 2012 में मंत्रालय तथा इसके संगठनों ने भाग लिया । • सीडब्ल्यूसी को 15 से 18 जनवरी, 2013 तक मुम्बई में 'वाटर एक्स वर्ल्ड एक्सपो, 2013' में भाग लेने के लिए निर्देश दिया गया है। • सीडब्ल्यूसी को 3-7 जनवरी, 2013 तक कोलकाता में 100 वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के दौरान प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए निदेश दिया गया है। **7. XIवीं के दौरान आईईसी स्कीम का मूल्यांकन** • XIवीं के दौरान आईईसी स्कीम का स्वतंत्र मूल्यांकन शुरू किया जा रहा है। **8. मीडिया परामर्शक को जोड़ना** * मंत्रालय आईईसी कार्यकलापों को तैयार करने और कार्यान्वयन करने हेतु वाप्कोस के माध्यम से एक पेशेवर अभिकरण को जोड़ रहा है।	

क्र. सं.	कार्यक्रम/स्कीम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2012-13	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2012 तक कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
ग	राष्ट्रीय जल अकादमी	(i) इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम को शामिल करते हुए जल क्षेत्र के सभी पणधारियों के लिए डब्ल्यूआरडीएंडएम की सभी पहलुओं में प्रशिक्षण। (ii) अवसंरचना विकास।	5.00	क) 37 प्रशिक्षण कार्यक्रम ख) XIवीं योजना के आगे ले जाये गए कार्य जैसे स्वीमिंग पुल का निर्माण ग) नई निर्मित गेस्ट हाउस और एनेक्सी भवन की साज-सज्जा	(क) प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे वर्ष भर किए जायेंगे और अनुमोदित प्रशिक्षण कलैन्डर के अनुसार आयोजित किए जाऐंगे। (ख) मार्च, 2013 तक पूरा किया जाना (ग) मार्च, 2013 तक पूरा किया जाना	**23 कार्यक्रम पूरे कर लिए गए हैं (20 लघु अवधि +3 दीर्घावधि) एनडब्ल्यूए का रख-रखाव सीपीडब्ल्यूडी/ संविदा की व्यवस्था से किया जा रहा है और पर्याप्त रख-रखाव कार्य नियमित आधार पर किए जाते हैं। अत: मात्रात्मक लक्ष्य संभव नहीं हो सकता।** स्वीमिंग पुल का निर्माण पूरा हो गया है और सीपीडब्ल्यूडी से एनडब्ल्यूए को सौंपा जा चुका है और प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है।	
ग	क्षमता निर्माण कार्यक्रम	i) डब्ल्यूईएलएमआई/ एमटीआई को सुदृढ़ करना . Ii) राष्ट्रीय स्तरीय प्रशिक्षण/ किसानों का दौरा iii) प्रदर्शन iv) राष्ट्रीय जल मिशन	55.00	14 डब्ल्यूईएलएमआई का सुदृढ़ी करण, जल संरक्षण, परिरक्षण एवं संवर्धन संबंधी 200 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, 600 प्रदर्शन और कार्यक्रम।	1/2 वर्ष में राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले कार्यकलाप। राज्यों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम प्रस्तावित हैं।	यह एक नया घटक है और इस कार्यकलाप के तहत प्रस्तावित कार्यकलापों को ईएफसी ज्ञापन के अनुमोदन के पश्चात किया जाएगा।	

क्र. सं.	कार्यक्रम/स्कीम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2012-13	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2012 तक कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
12.	राष्ट्रीय जल मिशन का कार्यान्वयन	राष्ट्रीय जल मिशन का उद्देश्य 'एकीकृत जल संसाधन विकास और प्रबंधन के माध्यम से जल का संरक्षण, अपव्यय को कम करना और राज्य के बाहर और राज्य के भीतर इसकी अधिक समान वितरण सुनिश्चित करना' है।	200.00	सांस्थानिक तंत्र: - सलाहकार बोर्डों/समूहों/समितियों की बैठकों का आयोजन (i) लक्ष्य 1 -सार्वजनिक क्षेत्र में व्यापक जल डाटा बेस तैयार करना और जल संसाधन संबंधी पर्यावरण परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करना :- नदी बेसिन स्तर पर पर्यावरण परिवर्तन को कम करना (ii) लक्ष्य 2 -जल संरक्षण, संवर्धन और परिरक्षण के लिए नागरिक और राज्य कार्रवाई को बढ़ावा देना:- पिछड़े ब्लॉकों में सभी पंचायत सदस्यों और उनके कार्यकर्ताओं को संवेदनशील बनाना - ढांचा कार्रवाई योजना को तैयार करना। (iii) लक्ष्य 3-अतिदोहित क्षेत्रों सहित संवेदनशील क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करना: - (i) जलभृत मापन के माध्यम से भूमि जल संसाधनों का व्यापक आकलन .(ii) सभी अतिदोहित क्षेत्रों को भूमि जल का पुनर्भरण में शामिल करना। (iv) लक्ष्य 4- 20% तक जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना :- (i) 20% तक जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना (ii) सृजित सिंचाई क्षमता उपयोग किए गए सिंचाई क्षमता के बीच लगभग 15% के अंतराल को आधे तक कम करना। (v) लक्ष्य 5-बेसिन स्तरीय और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना :- (i) राष्ट्रीय जल नीति (2013) को अंतिम रूप दिया जाना (ii) एकीकृत जल संसाधन, विकास और प्रबंधन के लिए नदी बेसिन मास्टर योजना को तैयार करना	मंत्रिमंडलीय टिप्पण और ईएफसी ज्ञापन को तैयार करना और अनुमोदन हेतु प्रक्रिया को वर्ष 2012-13 के दौरान शुरू किया जाएगा।		

क्र. सं.	कार्यक्रम/स्कीम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2012-13	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/समय सीमा	31.12.2012 तक कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
13.	सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम	एमएमआई का प्रदर्शन और राज्यों अथवा स्थानीय निकायों जैसे पंचायतों अथवा जल उपयोगकर्ता संघों के संबंध में परिणाम केन्द्रीय सहायता से जुड़े हुए हैं।	100.00	(क) आईएसएफ संग्रह अनुपात में सुधार; (ख) उपयोग की गई सिंचाई क्षमता के संबंध में और अधिक सही आंकड़ा तैयार करना; (ग) पीआईएम को शक्तिशाली फिलिप देना; (घ) सीएडी को गति देना; (ड.) आईएससी स्तर के युक्तिकरण को बढ़ावा देना; (च) मात्रात्मक जल आपूर्ति और मूल्य निर्धारण को बढ़ावा देना; (छ) सिंचाई अभिकरणों और ईडब्ल्यूए के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना; (ज) आईपीसी एवं आईपीयू के बीच अंतराल को कम करने में सहायता देना।	मंत्रिमंडलीय टिप्पण और ईएफसी ज्ञापन को तैयार करना और अनुमोदन हेतु प्रक्रिया को वर्ष 2012-13 के दौरान शुरू किया जाएगा।		
14.	बांध पुनर्स्थापन और सुधार कार्यक्रम (डीआरआईपी)	सीपीएमयू के लिए अभियांत्रिकी और प्रबंधन परामर्शकों को नियुक्त किया जाएगा। चरण-I परियोजना के पुनर्स्थापन से संबंधित सीपीएमयू कार्यकलापों को शुरू किया जाएगा।	24.00	सीपीएमयू परामर्शक की नियुक्ति	जून, 2012		

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और राष्ट्रीय परियोजना

राज्यों को कुछ अधूरी वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं, जो कि पूरा होने के अंतिम चरणों में थीं, को पूरा करने के लिए ऋण सहायता देने और देश में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम को 1996-97 के दौरान शुरू किया गया था । पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू एवं कश्मीर, पर्वतीय राज्यों हिमाचल प्रदेश और ओडिशा के कोरापुट, बोलंगीर और कालाहांडी जिलों की सतही लघु सिंचाई स्कीमों को भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1999-2000 से केन्द्रीय ऋण सहायता (सीएलए) उपलब्ध कराई गई है । अन्य केन्द्रीय क्षेत्र स्कीमों की तरह, अप्रैल, 2004 से इस कार्यक्रम में अनुदान घटक को शुरू किया गया है । दिसम्बर, 2006 से प्रभावी वर्तमान एआईबीपी मानदंडों के अनुसार गैर-विशेष श्रेणी राज्यों में वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत का 25% तक अनुदान और विशेष श्रेणी राज्यों (ओडिशा के अविभाज्य कोरापुट, बोलंगीर और कालाहांडी जिलों सहित) में वृहद/मध्यम/लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत का 90% तक अनुदान चयनित परियोजनाओं को उपलब्ध कराया जाता है । सूखा प्रवण/जनजाति क्षेत्रों में आने वाले गैर-विशेष श्रेणी राज्यों की लघु सिंचाई स्कीमों को विशेष श्रेणी राज्यों की स्कीमों के समान माना जाता है और इन्हें परियोजना लागत का 90% तक अनुदान जारी किया जाता है । सूखा-प्रवण/जनजातीय क्षेत्रों और बाढ़ संभावित क्षेत्रों को सिंचाई लाभ पहुंचाने वाली वृहद एवं मध्यम परियोजनाएं भी परियोजना लागत का 90% तक अनुदान के लिए पात्र हैं। इस कार्यक्रम के शुरू होने से आज तक राज्य सरकारों को 293 वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं और 14197 सतही लघु सिंचाई स्कीमों के लिए एआईबीपी के अंतर्गत सीएलए/अनुदान के रूप में 55416.0325 करोड़ रूपये (31.12.2012 तक) की राशि उपलब्ध कराई गई है । इस कार्यक्रम के शुरू होने से अभी तक 140 वृहद/मध्यम और 10495 सतही लघु सिंचाई स्कीमों को पूरा कर लिया गया है। मार्च, 2011 तक वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से 6.775 मिलियन हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है और सतही लघु सिंचाई स्कीमों के माध्यमसे 0.844 मिलियन हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है। एआईबीपी के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार सूखा प्रवण/जनजाति क्षेत्र को लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाओं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल के कृषि की समस्या वाले जिलों के लिए प्रधानमंत्री राहत पैकेज में शामिल परियोजनाओं और राष्ट्रीय औसत से कम सिंचाई विकास वाले राज्यों की परियोजनाओं को एआईबीपी के

अंतर्गत नई परियोजना को शामिल करने के एक अनुपात एक के मानदंडों में छूट देते हुए एआईबीपी में शामिल किया जा सकता है । आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र के कृषि की समस्या वाले जिलों के लिए प्रधानमंत्री राहत पैकेज में शुरूआती तौर पर शामिल की गई 65 वृहद/मध्यम परियोजनाओं में से अभी तक 40 परियोजनाएं एआईबीपी के अंतर्गत वित्तपोषित की गई हैं । इन परियोजनाओं के लिए अभी तक जारी किया गया अनुदान 6417.573 करोड़ रूपये है ।

वर्ष 2012-13 के लिए वित्त मंत्रालय ने 14242.00 करोड़ रूपए का बजट आबंटन एआईबीपी के लिए किया है जिसकी तुलना में एआईबीपी के अंतर्गत अनुदान के रूप में 1065.3450 करोड़ रूपये जारी किए जा चुके हैं (31.12.2012 तक) ।

राष्ट्रीय परियोजनाएं

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 7 फरवरी, 2008 को आयोजित की गई अपनी बैठक में निम्न चयन मानदंडों में आने वाली राष्ट्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी जल संसाधन मंत्रालय के प्रस्ताव को परियोजना लागत के 90% की केन्द्रीय सहायता अनुदान के रूप में देने पर अपनी सहमति दे दी है :

(i) अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएं जहां भारत में जल का उपयोग एक संधि के तहत होता है अथवा जहां परियोजना की आयोजना और इसे शीघ्र पूरा करना देश के हित में आवश्यक है ।

(ii) नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी परियोजनाओं सहित अंतर्राज्यीय परियोजना लागत में हिस्सेदारी, पुनर्वास, विद्युत उत्पादन के पहलू आदि से संबंधित अंतर्राज्यीय मुद्दों का समाधान न होने के कारण देरी हो रही है।

(iii) 2,00,000 हेक्टेयर से अधिक की अतिरिक्त क्षमता वाली अंत:राज्यीय परियोजनाएं और जहां जल की हिस्सेदारी के संबंध में कोई विवाद नहीं है और जहां जलविज्ञान स्थापित है ।

हाल ही में राष्ट्रीय परियोजनाओं की स्कीमों की दिशानिर्देशों में सितम्बर, 2012 में संशोधन किया गया। संशोधन के अनुसार विस्तार नवीकरण और आधुनिकीकरण (ईआरएम) परियोजनाएं, जो 2.0 लाख हेक्टेयर अथवा इससे अधिक की हानि हुई सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन को शामिल करती हैं, अब कुछ निश्चित परिस्थितियों में राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शामिल किए जाने हेतु पात्र होंगे।

अब तक राष्ट्रीय परियोजनाओं की स्कीम में 15 परियोजनाएं शामिल की गई हैं। तीन परियोजनाएं नामत: महाराष्ट्र की गोसीखुर्द परियोजना, पंजाब की शाहपुर कांडी परियोजना और पश्चिम बंगाल की तीस्ता बैराज परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के तहत वित्तपोषित किया गया है । गोसीखुर्द परियोजना को मार्च 2011-12 तक 2582.94 करोड़ रूपये की राशि का अनुदान दिया गया है । शाहपुर कांडी परियोजना को मार्च 2011-12 तक 26.036 करोड़ रूपये की राशि का अनुदान किया गया है । वर्ष 2010-11 के दौरान तीस्ता बैराज परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना स्कीम के अंतर्गत निधियां प्राप्त होना आंरभ हो गया तथा मार्च 2011-12 तक परियोजना हेतु 178.200 करोड़ रूपये की राशि का अनुदान दिया गया है ।

वार्षिक योजना **(2013-14)**

मंत्रालय/विभाग का नाम : जल संसाधन मंत्रालय

परिव्ययों एवं परिणामों/लक्ष्यों की विवरणी **(2013-14)**

क्र.सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	वार्षिक योजना 2013-14 (प्रस्तावित)	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/ समय सीमा	टिप्पणियां
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी)	उन चालू सिंचाई/बहु-उद्देशीय परियोजनाओं जो कि निर्माण की अंतिम अवस्था में हैं तथा जो कि राज्य सरकार के संसाधन क्षमता से परे हैं, को (क) अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन तथा (ख) इन परियोजनाओं से परिकल्पित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से समयबद्ध तरीके से पूरा करना।	एआईबीपी के लिए 9000 करोड़ रूपए (नौ हजार करोड़ रूपए) और राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए 1000 करोड़ रूपए	**0.5** मिलियन हेक्टेयर सिंचाई क्षमता के सृजन का लक्ष्य है तथा 5 वृहद/मध्यम परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है ।	**0.5** मिलियन हेक्टेयर सिंचाई क्षमता के सृजन का लक्ष्य है तथा 5 वृहद/मध्यम परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है ।	एआईबीपी के अंतर्गत शामिल परियोजनाओं को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

राष्ट्रीय परियोजनाओं से संबंधित सूचना

(1) XI वीं योजना के दौरान प्राप्त प्रगति

केन्द्रीय सहायता जारी- 2787.176 करोड़ रूपए (गोसीखुर्द के लिए 2582.94 करोड़ रूपए, तीस्ता बैराज के लिए 178.20 करोड़ रूपए और शाहपुर कांडी के लिए 26.036 करोड़ रूपए)

सृजित क्षमता– 54777 हे.(गोसीखुर्द से 14337 और तीस्ता बैराज से 40440)

(2) 2012-13 के दौरान प्रस्तावित प्रगति :

केन्द्रीय सहायता प्रक्रियाधीन है–.741.39 करोड़ रूपए (गोसीखुर्द के लिए 674.41 करोड़ रूपए और सरयू नहर के लिए 67.98 करोड़ रूपए)

सृजन हेतु प्रस्तावित क्षमता– 99981 हे.(गोसीखुर्द से 49981 हे और सरयू नहर से 50,000 हे.)

(3) परियोजना प्राधिकरणों से प्राप्त अनुमानों के अनुसार 2013-14 के लिए लक्ष्य :

प्रस्तावित केन्द्रीय सहायता –1777.84 करोड़ रू. (गोसीखुर्द के लिए 546.64 करोड़ रू., सरयू नहर के लिए 848.20 करोड़ रूपए और तीस्ता बैराज के लिए 383 करोड़ रूपए)

लक्षित क्षमता– 3.49 लाख हे. (गोसीखुर्द से 1.67 लाख हे., सरयू नहर से 1.25 लाख हे. और तीस्ता बैराज से 0.57 लाख हे)

अनुलग्नक -IV

XIवीं योजना परिव्यय की तुलना में जल संसाधन मंत्रालय के बजट का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए में /निवल)

क्षेत्र/संगठन/स्कीम	XII वीं योजना परिव्यय	लेखों के शीर्ष	बजट अनुमान 2007-08	वास्तविक 2007-08	बजट अनुमान 2008-09	वास्तविक 2008-09	बजट अनुमान 2009-10	वास्तविक 2009-10	बजट अनुमान 2010-11	वास्तविक 2010-11	बजट अनुमान 2011-12	वास्तविक 2011-12
वृहद एवं मध्यम सिंचाई												
1. राष्ट्रीय जल अकादमी	15.00	2701	2.00	1.86	2.30	2.37	2.60	2.53	4.00	2.94	3.00	3.62
2. अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम	260.00	2701	30.00	33.28	60.00	39.81	52.00	32.85	54.00	41.38	46.19	34.20
3. जल विज्ञान परियोजना	180.00	2701	33.00	6.98	44.00	9.92	38.10	21.54	53.00	27.22	80.00	27.65
4. जल संसाधन सूचना का विकास	200.00	2701	30.00	18.65	46.00	45.58	70.00	63.10	66.00	39.43	59.00	53.58
5. अवसंरचना विकास	**	2701	4.00	1.33	5.00	2.06	1.00	1.28	3.00	2.82	3.00	2.13
6. जल संसाधन विकास का अन्वेषण	260.00	2701	30.00	25.09	37.00	36.17	42.00	37.01	54.00	44.27	54.00	52.97
7. सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण	90.00	2701	2.00	1.32	13.00	9.08	12.00	10.85	15.00	13.30	25.00	14.32
8. बांध सुरक्षा अध्ययन और आयोजना	10.00	2701	1.00	0.48	1.60	0.80	1.00	0.34	1.50	1.10	3.00	1.38
9. नदी बेसिन संगठन/प्राधिकरण	50.00	2701	0.50	0.00	1.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	4.00	0.00
कुल: वृहद एवं मध्यम सिंचाई			**132.50**	**88.99**	**209.90**	**145.79**	**219.20**	**169.50**	**251.00**	**172.46**	**277.19**	**189.85**
लघु सिंचाई												
सतही जल स्कीम												
10. भूजल प्रबंधन एवं नियमन	460.00	2702	62.00	48.11	95.00	54.37	70.00	68.82	100.00	80.92	120.00	130.75
11. राजीव गांधी एनजीडब्ल्यूटी एवं आरआई	25.00	2702	1.50	0.60	2.10	0.64	2.00	1.78	6.00	3.19	3.00	3.65
12. अवसंरचना विकास	**	4702	4.55	1.27	7.00	2.07	4.50	2.15	10.50	6.86	11.40	6.97
कुल: लघु सिंचाई			**68.05**	**49.98**	**104.10**	**57.08**	**76.50**	**72.75**	**116.50**	**90.97**	**134.40**	**141.37**
13. कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम	$$	2705	300.00	277.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल : सीएडी एवं डब्ल्यूएम			**300.00**	**277.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र												
14. बाढ़ पूर्वानमान	130.00	2711	16.00	13.91	23.00	13.68	25.00	17.38	36.00	24.02	36.00	33.13
15. अवसंरचना विकास	**	4711	3.45	1.54	26.00	6.56	9.50	4.25	15.00	9.48	14.00	5.73
16. नदी प्रबंधन क्रियाकलाप एवं सीमावर्ती नदियों से संबंधित कार्य	601.00	2711	46.00	51.44	160.00	176.09	199.30	159.46	199.00	179.52	188.00	135.98
17. पगलादिया बांध परियोजना	500.00	2552	1.00	1.35	2.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.01	0.00
कुल : बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र			**66.45**	**68.24**	**211.00**	**196.33**	**234.30**	**181.09**	**250.50**	**213.02**	**238.01**	**174.84**
परिवहन क्षेत्र												
18. फरक्का बैराज परियोजना	350.00	5075	33.00	30.99	75.00	54.03	70.00	68.95	82.00	44.02	70.40	69.46
**XIवीं योजना के लिए कुल आवंटन	115.00											
$$ इस स्कीम को 2008-09 से राज्य क्षेत्र को अंतरित कर दिया गया है ।												
कुल योग	3246.00		600.00	516.04	600.00	453.23	600.00	492.29	700.00	520.47	720.00	575.52

अनुलग्नक -V

XIवीं योजना परिव्यय की तुलना में जल संसाधन मंत्रालय के बजट का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रूपए में/निवल)

क्षेत्र/संगठन/स्कीम	XII वीं योजना परिव्यय	लेखों के शीर्ष	बजट अनमान 2012-13	संशोधित अनमान 2012-13	वास्तविक दिसम्बर'12	बजट अनुमान 2013-14
वृहद एवं मध्यम सिंचाई						
1. अनसंधान एवं विकास कार्यक्रम	360.00	2701	100.00	35.00	24.22	50.00
2. जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	##	2701	84.99	40.00	28.36	149.98
3. अवसंरचना विकास	$$	2701	3.20	1.50	1.01	2.55
4. जल विज्ञान परियोजना	120.00	2701	70.00	43.72	20.62	70.00
5. मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण	**	2701	85.00	29.90	8.55	85.00
6. नदी बेसिन प्रबंधन	&&	2701	110.00	57.40	48.92	100.00
7. राष्ट्रीय जल मिशन का कार्यान्वयन	1390.00	2701	200.00	0.25	0.00	110.00
8. सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम	6000.00	2701	100.00	0.75	0.24	40.00
9. बांध पुनर्वास एवं सुधार कार्यक्रम (डीआरआईपी)	120.00	2701	24.00	2.30	0.15	36.00
कल: वृहद एवं मध्यम सिंचाई			777.19	210.82	132.07	643.53
लघु सिंचाई						
सतही जल स्कीमें						
10. भूमि जल प्रबंधन एवं विनियमन	3539.00	2702	318.00	180.00	91.30	275.00
11. जल संसाधन विकास/क्षमता निर्माण	**	2702	15.00	9.00	3.25	9.00
12. अवसंरचना विकास	$$	4702	39.80	6.93	1.71	29.00
13. जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	##	2702	0.01	0.00	0.00	0.02
कल: लघु सिंचाई			372.81	195.93	96.26	313.02
बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र						
14. बाढ़ पूर्वानमान	794.00	2711	48.00	30.00	17.58	150.00
15. अवसंरचना विकास	$$	4711	12.00	6.57	1.77	18.45
16. नदी प्रबंधन कार्यकलाप तथा सीमावर्ती नदियों से संबंधित कार्य	763.00	2711	125.00	30.00	19.54	125.00
17. नदी बेसिन प्रबंधन	&&	2711	90.00	76.68	60.30	100.00
कल : बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र			275.00	143.25	99.19	393.45
परिवहन क्षेत्र						
18. फरक्का बैराज परियोजना	558.00	5075	75.00	100.00	66.83	150.00
19. ईएटी	0.00		0.00	0.00	2.73	0.00
## जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	2247.00					
$$ अवसंरचना विकास	337.00					
** जल संसाधन विकास/क्षमता निर्माण	610.00					
&& नदी बेसिन प्रबंधन	1280.00					
कुल योग	18118.00		1500.00	650.00	397.08	1500.00